VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material

(May 2020 to January 2021)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

सामाजिक मुद्दे

विषय सूची

1. महिलाएं और बच्चे (Women And Child) 4

1.1. महिला एवं बाल स्वास्थ्य (Women & Child's Health) 4

1.1.1. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) {Safe Motherhood Assurance (SUMAN)} 5

1.2. महिला शिक्षा (Women's Education) 6

1.2.1. भारत में स्टेम क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर के अवसर (STEM Career Opportunities For Women in India) 6

1.3. महिलाओं का संरक्षण (Protection of Women) 8

1.3.1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 {Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005} 8

1.3.2. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment) 9

1.4. बीजिंग+25 की समीक्षा पर राष्ट्रीय परामर्श (National Consultation on the Review of Beijing+25) 10

1.5. बाल विवाह (Child Marriage) 11

1.6. पितृत्व अवकाश (Paternity leave) 13

1.7. बाल श्रम (Child Labour) 14

1.8. भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाएं (Women in Indian Agriculture) 16

1.9. महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स (Important Reports) 17

1.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News) 18

2. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections) 20

2.1. उभयलिंगी (Transgenders) 20

2.1.1. उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) 20

2.1.2. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 {Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020} 22

2.2. 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' {Right of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016} 22

2.3. अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) 24

2.3.1. अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन {Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission (ASIIM)} 24

2.4. अनुसूचित जनजातियां (Scheduled Tribes) 26

2.5. भारत में वृद्धजन आबादी (Elderly Population in India) 28

2.6. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging) 30

2.6.1. सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड {Sanitation and Hygiene Fund (SHF)} 32

2.7. आधुनिक दासता (Modern Slavery) 33

2.7.1. बंधुआ मजदूरी (Bonded Labour) 34

2.8. शहरी निर्धन (Urban Poor) 35

2.9. प्रवासी कामगार (Migrant Workers) 36

VISION IAS

 © Vision IAS

3. शिक्षा (Education)......38

3.1. नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) 38

3.1.1. विद्यालयी शिक्षा (School Education) 39

3.1.2. उच्चतर शिक्षा (Higher Education) 43

3.1.3. अन्य प्रमुख प्रावधान (Other Major Provisions) 45

3.2. राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) परियोजना {Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Project} 46

3.3. प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister Research Fellows: PMRF)...... 47

3.4. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020 (Annual Status of Education Report 2020) 47

3.5. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 (Global Education Monitoring Report 2020) 48

3.6. भारतीय शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2020 (State of the Education Report for India 2020) 50

3.7. इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस {Institutions of Eminence (IoE)} 50

3.8. रैंकिंग (Rankings) 51

3.8.1. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF) 51

3.8.2. ARIIA-2020 (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग) {Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA 2020)}...... 52

3.9. भारत में प्रत्यायन (Accreditation in India) 53

3.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 53

4. स्वास्थ्य (Health)......56

4.1. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन {National Digital Health Mission (NDHM)}...... 56

4.2. कोविड-19 एवं मानसिक स्वास्थ्य (COVID-19 and Mental Health) 58

4.3. भारत में मादक पदार्थों का दुरुपयोग (Drug Abuse In India) 59

4.4. महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 {Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020}...... 61

4.5. महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports) 61

4.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 63

5. पोषण एवं स्वच्छता (Nutrition and Sanitation) 65

5.1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 (Global Hunger Index 2020) 65

5.2. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 {Global Nutrition Report (GNR) 2020}...... 66

5.3. महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports) 67

5.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 68

6. विविध (Miscellaneous)......69

6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2020 (Human Development Report 2020)...... 69

6.2. मानव पूंजी सूचकांक 2020 (The Human Capital Index 2020) 70

6.3. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक {Global Multidimensional Poverty Index (MPI)} 72

6.4. भारत हेतु एस.डी.जी. इन्वेस्टर मैप (SDG Investor Map for India)...... 73

VISION IAS

6.5. भारत की दूसरी 'स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा' {India's Second Voluntary National Review (VNR)}................... 74
6.6. महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports) 75
6.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 78

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

1. महिलाएं और बच्चे (Women And Child)

1.1. महिला एवं बाल स्वास्थ्य (Women & Child's Health)

महिला और बाल स्वास्थ्य से संबंधित तथ्य और डेटा (Facts & data related to Women & Child's Health)

शब्दावली	परिभाषा	इससे संबद्ध डेटा
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर (Under-Five Mortality Rate: U5MR)	• इसमें प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म और 5 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की संभावना व्यक्त की जाती है।	<table><tr><td></td><td>**पुरुष**</td><td>**महिला**</td><td>**कुल**</td></tr><tr><td>**1990**</td><td>122</td><td>131</td><td>93</td></tr><tr><td>**2019**</td><td>34</td><td>35</td><td>38</td></tr></table>
शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR)	• किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु में होने वाली मृत्यु।	• वर्ष 1971 के 129 से घटकर वर्ष 2018 में 32 हो गया। • विगत 10 वर्षों में, IMR में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 32% की गिरावट दर्ज की गई है। • **सर्वाधिक IMR मध्य प्रदेश (48)** में और **न्यूनतम नागालैंड (4)** में है।
नवजात मृत्यु दर (Neonatal mortality rate)	• इसमें प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 28 दिनों की आयु के मध्य मृत्यु की संभावना व्यक्त की जाती है।	वर्ष 1990 से वर्ष 2019 के बीच 57 से घटकर 22 हो गई।
मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate: MMR)	• 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या। • WHO के अनुसार, गर्भवती होने के दौरान अथवा गर्भावस्था के समापन के 42 दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु हो जाना मातृ मृत्यु है।	• वर्ष 2015-17 के 122 से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 हो गया। • **उच्चतम MMR वाला राज्य:** असम (215), **निम्नतम MMR वाला राज्य:** केरल (43)
किशोर मृत्यु दर (10–19 वर्ष) {Adolescent (ages 10–19) mortality rate}	• 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना, जो 10 वर्ष की आयु के प्रति 1,000 बच्चों पर व्यक्त की जाती है।	• वर्ष 1990 से किशोर मृत्यु दर में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई है।
जन्म दर (Birth Rate)	• प्रति वर्ष प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या।	• वर्ष 1971 के 36.9 से घटकर वर्ष 2018 में 20.0 हो गई। • ग्रामीण-शहरी अंतराल भी कम हो गया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर में लगातार वृद्धि हुई है। • बिहार (26.2) में सर्वाधिक जन्म दर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

VISION IAS

		में न्यूनतम जन्म दर (11.2) है।
मृत्यु दर (Death rate)	• प्रति वर्ष प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या।	• वर्ष 1971 के 14.9 से घटकर वर्ष 2018 में 6.2 हो गई। • छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सर्वाधिक (8) और दिल्ली में न्यूनतम (3.3) है।
जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth: SRB)	• प्रति महिला के जन्म के सापेक्ष पुरुष जन्मों की संख्या।	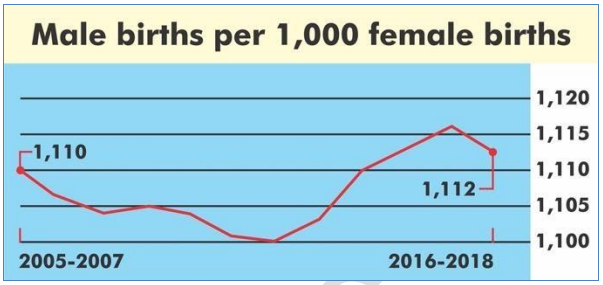
कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR)	• अपने **जीवन काल** में एक महिला द्वारा जन्म दिए गए या संभावित जन्मों की कुल संख्या। • प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को **प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन (Replacement Level Fertility: RLF) क्षमता** कहा जाता है। • RFL से कम TFR से देश की जनसंख्या में गिरावट परिलक्षित होती है।	यह वर्ष 1991 के 3.6 से घटकर वर्ष 2018 में 2.2 हो गई।
संस्थागत प्रसव (Institutional delivery)	• यह ऐसे शिशु जन्म को संदर्भित करता है, जो चिकित्सा सुविधाओं, तकनीक से युक्त और कुशल जन्म परिचारकों की देखरेख में होता है।	• विगत दो दशकों में, एक अस्पताल (या स्वास्थ्य देखभाल संस्थान) में एक बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं का अनुपात ग्रामीण भारत में लगभग 73% और शहरी भारत में 37% अंक तक बढ़ा है।

1.1.1. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) {Safe Motherhood Assurance (SUMAN)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने PMNCH {या "मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी" (Partnership for Maternal, Newborn and Child Health: PMNCH)} द्वारा आयोजित **'जलपान दायित्व' (Accountability Breakfast)** नामक कार्यक्रम (एक वार्षिक आयोजन) में सुमन (SUMAN) योजना के महत्व को रेखांकित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

नमूना पंजीकरण प्रणाली {Sample Registration System (SRS)}

- हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया है।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR), जन्म दर, मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन (fertility) और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने हेतु संचालित एक **जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण** है।
- इसे वर्ष 1964-65 में प्रायोगिक आधार पर तथा **वर्ष 1969-70 के दौरान पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गया।**
- SRS का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन **भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त** के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

VISION IAS

सुमन (SUMAN) के बारे में

- यह **मातृ एवं नवजात मृत्यु को शून्य करने के लिए** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूति के 6 माह पश्चात् तक माताओं और सभी रुग्ण नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा।
- **इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:**
  - गर्भावस्था की जटिलताओं के मामले में **शून्य व्यय प्रसव (Zero expense delivery)** और सी-सेक्शन (सिजेरियन) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - गर्भवती महिलाओं को घर से लेकर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक तथा ऐसे केंद्र से घर तक **निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।**
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में **सेवाओं से वंचित करने के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero-tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।**
- सेवाओं में कम से कम चार प्रसवपूर्व (antenatal) चिकित्सा जाँचें शामिल हैं तथा साथ ही प्रथम तिमाही (trimester) के समय जांच, आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (supplementation), टेटनस डिप्थीरिया इंजेक्शन आदि दिया जाना भी सम्मिलित है।
- **ज्ञातव्य है कि PMNCH महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा गठबंधन** है, जो 192 देशों के 1,000 से अधिक भागीदार संगठनों को एक मंच प्रदान करता है।
  - यह **भागीदारों को रणनीतियों को साझा करने, उद्देश्यों और संसाधनों को समेकित करने तथा विभिन्न हस्तक्षेपों पर सहमत होने** में सक्षम बनाता है। PMNCH बोर्ड के उपाध्यक्ष (Vice Chairs) भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) हैं।

1.2. महिला शिक्षा (Women's Education)

महिलाओं की शिक्षा से संबंधित तथ्य और आंकड़े

- **उच्चतर शिक्षा में** कुल नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.6% है।
- **स्टेम** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) (Science, Technology, Engineering and Mathematics: STEM) विषयों में महिला स्नातकों का वैश्विक औसत 35% है, जबकि भारत में महिला स्नातकों का आंकड़ा 40% है।
- भारत में केवल 14% महिला शोधकर्ताओं को ही नियोजित किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 30% है।
- उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात **(GER)** लड़कों के 26.3% की तुलना में 26.4% है।
- **लैंगिक समता सूचकांक (GPI)** में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 के 0.92 से **बढ़कर** वर्ष 2018-19 में 1 हो गया है।

1.2.1. भारत में स्टेम क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर के अवसर (STEM Career Opportunities For Women in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** और **IBM इंडिया** ने छात्रों के मध्य **स्टेम** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) (Science, Technology, Engineering and Mathematics: STEM) **अध्ययन** को प्रोत्साहित करने के लिए दो परियोजनाओं में भागीदारी की घोषणा की है।

संबंधित तथ्य

महिला उद्यमिता और सशक्तीकरण {Women Entrepreneurship and Empowerment (WEE)}

- **यह IIT दिल्ली** द्वारा प्रारंभ की गई तथा **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा समर्थित **अपनी तरह की भारत की प्रथम सामाजिक व राष्ट्रीय पहल** है।
- इसका उद्देश्य **देश में महिला उद्यमिता को बल प्रदान करना** और एक ऐसे पारितंत्र को बढ़ावा देना है, जो महिलाओं द्वारा ऐसे उद्यमों के सृजन तथा आजीविका को सक्षम बनाता है।
- **इसके द्वारा कॉलेज जाने वाली छात्राओं से लेकर मध्यम आयु वर्ग की गृहिणियों तक** को उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य व संतोषप्रद करियर विकल्प के रूप में अपनाने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह **संपूर्ण भारत की महिला उद्यमियों को उनके उत्पादों के लिए संभावित निवेशकों और क्रेताओं से जोड़ती** है, ताकि वे अपने व्यवसाय के विचार को वित्तीय रूप से स्थायी उद्यम में परिवर्तित कर सकें।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रथम भागीदारी **DST के 'विज्ञान ज्योति' कार्यक्रम** में है। द्वितीय भागीदारी **'विज्ञान प्रसार'** (DST का एक स्वायत्त संगठन) के साथ है, जिसके अंतर्गत **'एंगेज विद साइंस (विज्ञान से जुड़ें)'** नाम से प्रौद्योगिकी संचालित एक अंतर्क्रियाशील प्लेटफॉर्म का निर्माण व संचालन किया जाएगा।
- **विज्ञान ज्योति** कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के मध्य STEM अध्ययन को प्रोत्साहित करना है।
    - इसका प्रयोजन **छात्राओं को STEM करियर के लिए प्रेरित करना है।** इसके लिए, नौवीं से 12वीं कक्षा तक की मेधावी छात्राओं को समान अवसर प्रदान करने की योजना निर्मित की गई है, ताकि वे STEM में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के शीर्ष महाविद्यालयों में जहां बालिकाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
    - IBM इंडिया के साथ भागीदारी से वर्तमान गतिविधियों को बल मिलेगा। इस भागीदारी के विस्तार से **भविष्य में अधिक से अधिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जा सकेगा।**
    - IBM इंडिया में कार्यरत **तकनीकी विशेषज्ञ महिलाएं प्रतिभाशाली छात्राओं से** संवाद करेंगी और **उनके लिए प्रेरणा स्रोत होंगी।** वे छात्राओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत STEM क्षेत्र में करियर की योजना बनाने में सहायता करेंगी।
- **विज्ञान प्रसार के एंगेज विद साइंस** कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों का एक समुदाय बनाकर छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें उच्चतर शिक्षण संस्थानों से जोड़ना है।
    - **'एंगेज विद साइंस' पहल** के लिए भागीदारी के हिस्से के रूप में, IBM द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रम की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों में छात्रों के लिए कार्यशाला, सेमिनारों का आयोजन एवं **उनके मार्गदर्शन हेतु IBM के विशेषज्ञों का प्रयोग सम्मिलित है।**

लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदम

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति (Science and Technology Policy: STP) 2020**
- **नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग: किरण (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing: KIRAN):**
    - वर्ष 2014 में, **DST ने सभी महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को "किरण" नामक एक ही कार्यक्रम** के अंतर्गत पुनर्गठित किया था।
    - किरण कार्यक्रम का **उद्देश्य** महिलाओं को मुख्यधारा में सम्मिलित करके **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता** प्राप्त करना है।
    - **किरण** के अंतर्गत प्रारंभ की गई **"महिला वैज्ञानिक योजना"** वस्तुतः बेरोज़गार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को फेलोशिप सहित करियर के अन्य अवसर प्रदान करती है।
    - **क्यूरी** (महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों का समेकन: CURIE), **किरण** योजना का एक उप-घटक है। इसके तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु अनुसंधान अवसंरचना के विकास तथा अत्याधुनिक शोध प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए केवल महिला विश्वविद्यालयों को ही समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
    - **किरण के तहत आरंभ की गई मोबिलिटी योजना** कामकाजी महिला वैज्ञानिकों के पुनर्वास संबंधी मुद्दों को संबोधित करती है और 2-5 वर्ष की अवधि के लिए परियोजनागत सहायता प्रदान करती है।
- **STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) क्षेत्र में महिलाओं के लिए इंडो-यू.एस. फेलोशिप:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रमुख संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान आरंभ करने के लिए भारतीय महिला वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को अवसर प्रदान करता है।
    - यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत-संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच का एक संयुक्त प्रयास** है।
- **उड़ान (UDAAN):** यह विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात के समाधान हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है।

 © Vision IAS

- इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष प्रत्येक बालिका को मुफ्त और ऑनलाइन संसाधन प्रदान कर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर **विज्ञान और गणित के अधिगम को बेहतर बनाना और प्रोत्साहित** करना है। इस योजना अंतर्गत चयनित 1,000 वंचित बालिकाओं को विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है।

- **बायो टेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट और रिओरिएंटेशन प्रोग्राम (बायोकेयर/(BioCARe):** यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक पहल है। यह मुख्य रूप से 55 वर्ष तक की आयु वाली नियोजित/बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास पर बल देती है।
  - इसका उद्देश्य **विश्वविद्यालयों और लघु अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पूर्णतः नियोजित या करियर अंतराल के उपरांत मुख्य धारा में वापस आने की इच्छुक बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के क्षमता निर्माण को सुनिश्चित** करना है, ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से शोध एवं विकास परियोजनाओं को आरंभ करने में मदद मिल सके।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत **संचालित जेंडर एडवांसमेंट फ़ॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (Gender Advancement for Transforming Institutions: GATI)** वस्तुतः संस्थानों में लैंगिक संतुलन को बनाए रखने हेतु किया गया एक प्रयास है।
  - इसका उद्देश्य विविधता, समावेशन और स्वयं की सफलता तथा प्रगति के लिए जनसांख्यिकीय प्रतिभा आधारित सेल्फ स्पेक्ट्रम की दिशा में उच्च शिक्षा व अनुसंधान संस्थानों को प्रेरित करना है।

संबंधित तथ्य: एथेना स्वान चार्टर (Athena SWAN Charter)

- **एथेना स्वान चार्टर** एक **मूल्यांकन और प्रत्यानन कार्यक्रम** है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित तथा चिकित्सा में लैंगिक समता को बढ़ावा देता है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology)**, नई **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (Science, Technology and Innovation Policy)** के तहत, महिलाओं के नामांकन एवं महिला संकाय व वैज्ञानिकों के करियर की उन्नति के आधार पर संस्थानों की ग्रेडिंग की एक प्रणाली को शामिल कर रहा है।
  - वर्ष 2015-16 में, **वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.71 प्रतिशत** थी।
- यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम के **एथेना स्वान {(वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क (Scientific Women's Academic Network: SWAN)} कार्यक्रम** से प्रेरित है।

1.3. महिलाओं का संरक्षण (Protection of Women)

1.3.1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 {Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **महिलाओं को साझे घर में निवास करने का अधिकार होगा,** चाहे भले ही वह घर ससुराल पक्ष द्वारा किराए पर लिया गया हो या उनके स्वामित्वाधीन हो या उस घर पर उसके पति का स्वामित्व न हो।

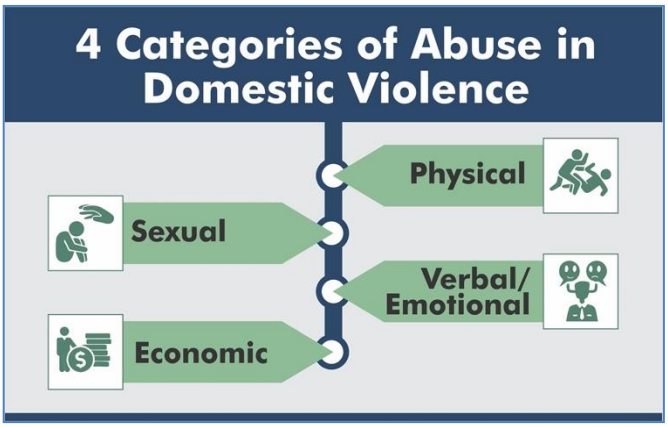

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम {Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA)}

- यह एक सिविल कानून है जो **पीड़ित महिला को प्रदत्त राहत पर केंद्रित है** जैसे कि प्रतिपूर्ति, सुरक्षा, साझे घर में निवास करने का अधिकार आदि।
  - यह अधिनियम **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women: CEDAW)** के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है। ज्ञातव्य है कि भारत ने **वर्ष 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि** की थी।
- घरेलू संबंध को इस **अधिनियम के तहत परिभाषित** किया गया है। (इन्फोग्राफिक्स का संदर्भ लें सकते हैं)

- यह अधिनियम साझी गृहस्थी के घर को उस स्थान के रूप में परिभाषित करता है, जहां महिला निवास करती है या किसी अवस्था में घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या पति के साथ रह चुकी है। इसमें "स्वामित्व वाला या किराए पर लिया हुआ" घर शामिल है।
- हालांकि, इस अधिनियम में **वैवाहिक बलात्कार से संबंधित दुर्व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया** गया है।
- **घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण:** इस अधिनियम के तहत, महिलाएं घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा एवं वित्तीय मुआवजे की मांग कर सकती हैं और यदि वह अलग रह रही हैं तो दुर्व्यवहारकर्ता से निर्वाह संबंधी भुगतान प्राप्त कर सकती हैं।
    - यह **सुरक्षित आवास का अधिकार** अर्थात् ससुराल या साझे घर में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसके पास घर का स्वामित्व या उसमें कोई अधिकार हो या न हो। यह अधिकार न्यायालय द्वारा पारित एक निवास संबंधी आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया है।
        - न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी, पीड़िता से किसी भी प्रकार का संपर्क न करे या उसके पास न जाए।
- **दंड:** इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- **संरक्षण अधिकारी:** यह अधिनियम चिकित्सीय परीक्षण, विधिक सहायता और सुरक्षित आश्रय के लिए महिलाओं की सहायतार्थ संरक्षण अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- **जानकारी देने वाले दायित्व का अपवर्जन:** कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है, या हो रहा है, या होने की संभावना है, तो वह इसके बारे में संबंधित संरक्षण अधिकारी को सूचना प्रदान कर सकता है।

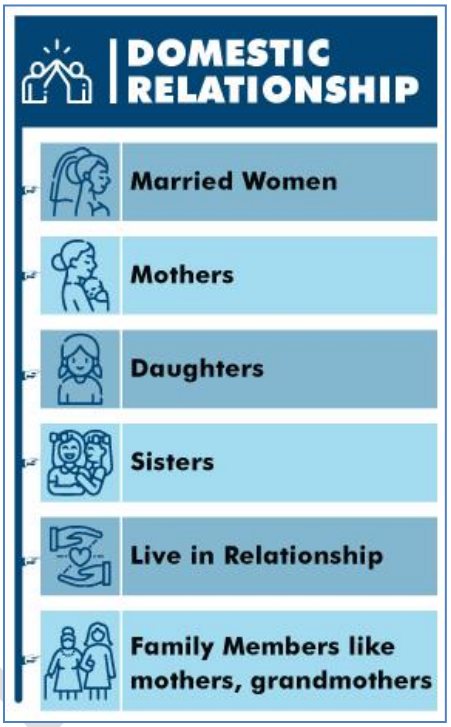

अन्य संबंधित तथ्य

भरण-पोषण संबंधी नियम

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा **भरण-पोषण संबंधी नियमों** को निर्धारित किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि **परित्यक्त पत्नियां एवं बच्चे, न्यायालय में आवेदन करने की तिथि से पति से भरण-पोषण प्राप्त** करने के हकदार होंगे।
- यह **विभिन्न विधानों के तहत मौजूदा भरण-पोषण राशि की एकरूपता को सुनिश्चित** करने के साथ-साथ हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू दत्तक व भरण-पोषण अधिनियम में मौजूद दोषों का निवारण करने में भी मदद करेगा। ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन के संबंध में मौन है।

पूर्व में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (PWDVA) पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- "वयस्क पुरुष" पद को PWDVA से हटा दिया गया था, **ताकि पीड़ित महिला किसी अन्य महिला के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सके। (वर्ष 2016, उच्चतम न्यायालय का निर्णय)**
- PWDVA का उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक शोषण से संरक्षण प्रदान करना है तथा **यह विवाह-विच्छेद के उपरांत भी लागू रहेगा। (वर्ष 2018, उच्चतम न्यायालय का निर्णय)**
- एक **लिव-इन पार्टनर भी भरण-पोषण की मांग** कर सकता है। (वर्ष 2018, उच्चतम न्यायालय का निर्णय)
- भरण पोषण अनुतोष पत्नी की जीविका पर निर्भर नहीं करता है। (वर्ष 2019, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय)

1.3.2. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई भारतीय कंपनियों ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 या PoSH अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है।

© Vision IAS

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 {Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013} के बारे में

- यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित** करता है तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
- इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न के प्रकारों के रूप में **प्रतिकर (quid pro quo) उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य परिवेश की अवधारणाओं** को भी शामिल किया गया है, यदि ये लैंगिक उत्पीड़न के कृत्य अथवा व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं।
- इसमें **मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद अथवा मिथ्या साक्ष्य** के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है।
- इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित **विशाखा दिशा-निर्देशों को लागू** करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, SHe-Box** महिला कर्मियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाता है तथा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

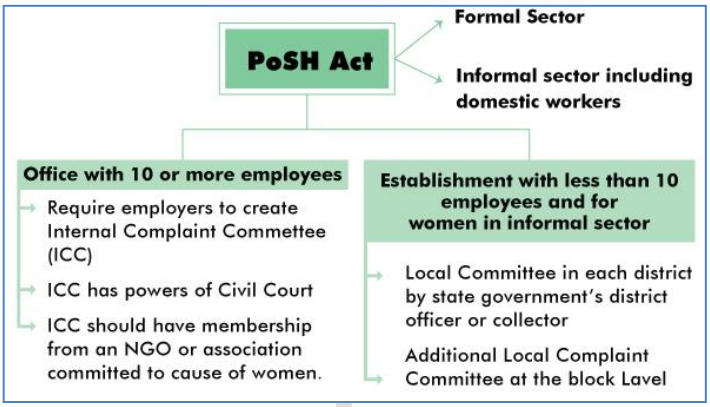

संबंधित तथ्य

लैंगिक अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (National database of sex offenders: NDSO)

- NDSO में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बाल लैंगिक शोषण और छेड़-छाड़ के आरोपों में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या **एक मिलियन से भी अधिक हो गई है।**
- NDSO देश में **लैंगिक अपराधियों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस** है। इस डेटाबेस का रखरखाव राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा किया जाता है।
- यह **ऑनलाइन सुविधा विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उपयोग के लिए है,** जिनकी अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुंच है।
- इसे वर्ष 2018 में **गृह मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया था।

1.4. बीजिंग+25 की समीक्षा पर राष्ट्रीय परामर्श (National Consultation on the Review of Beijing+25)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA)** के अंगीकरण की 25वीं वर्षगांठ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और यू.एन. वीमेन द्वारा बीजिंग+25 की समीक्षा पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

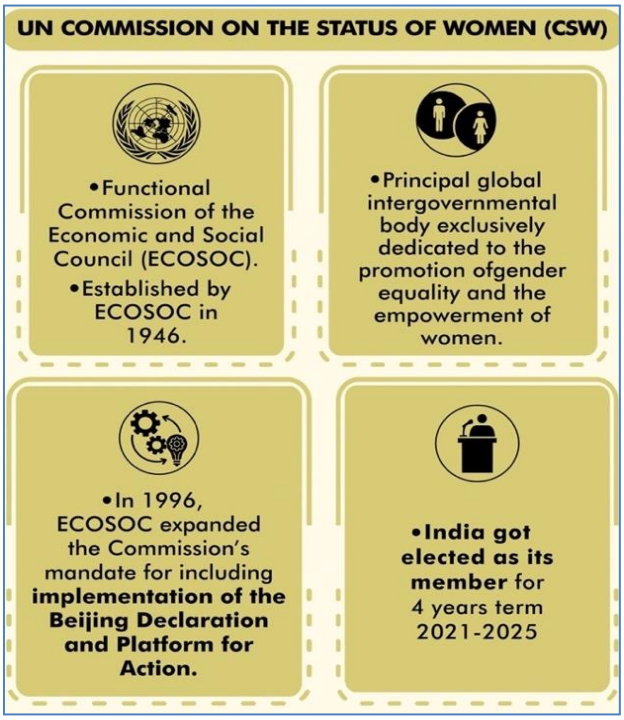

बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA) (वर्ष 1995) के बारे में

- BPfA को चतुर्थ **वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन वीमेन** (वर्ष 1995) के दौरान अंगीकृत किया गया था।
  - संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। तीन अन्य विश्व सम्मेलनों में प्रथम वर्ष 1975 में मैक्सिको में, द्वितीय वर्ष 1980 में कोपेनहेगन में और तीसरा नैरोबी में वर्ष

1985 में आयोजित हुआ था।

- **BPfA** महिलाओं की उन्नति और चिंतनीय 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए रणनीतिक उद्देश्यों एवं कार्यवाहियों को निर्धारित करता है।
- **कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ वीमेन (CSW)** द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में BPfA के कार्यान्वयन संबंधी वैश्विक प्रगति की समीक्षा की जाती है।
    - CSW, **संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** का एक कार्यात्मक आयोग तथा प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है, जो अनन्य रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- BPfA कानूनी रूप से **बाध्यकारी दस्तावेज़ नहीं** है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।
- इसने पहली बार **बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, जननांग विकृति और प्रसव-पूर्व लिंग चयन** जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए **"बालिकाओं के विरुद्ध निरंतर भेदभाव तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन"** जैसे विषयों को चिंता के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में शामिल करने की सुविधा प्रदान की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women: NCW) के बारे में

- यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत **वर्ष 1992** में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- इस आयोग में महिलाओं के हितों के लिए समर्पित एक अध्यक्ष तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव सम्मिलित होते हैं
- आयोग के सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।
- **आयोग के अधिदेश (Mandate of commission):**
    - महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परिक्षण करना;
    - महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण करना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनका निवारण करने की कार्य योजनाओं की अनुशंसा की जा सके;
    - समय-समय पर भारतीय महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना;
    - महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करना;
    - बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना आदि।

यू.एन. वीमेन (UN Women) के बारे में:

- यह वर्ष 2010 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति समर्पित है।
- यह **सतत विकास लक्ष्यों के विज़न को महिलाओं और बालिकाओं हेतु व्यवहार्य बनाने के लिए** विश्व स्तर पर कार्यरत है तथा सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

1.5. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जया जेटली की अध्यक्षता में गठित एक **टास्क फोर्स** की रिपोर्ट के आधार पर लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को संशोधित करने, मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने, मातृ मृत्यु दर (MMR) कम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर एवं अन्य संबंधित मुद्दों में सुधार के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की संभावना है।

बाल विवाह से संबंधित उपबंध

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006	भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012	विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954
• अल्प आयु में विवाह वैध है, किंतु वह अमान्य किए जाने योग्य है, जिसका अर्थ है कि अल्पायु का विवाह तब तक वैध है, जब तक विवाह में शामिल नाबालिग इसे वैध बनाए रखना रहना चाहते हैं। • यह अधिनियम कम आयु में किए गए उन विवाहों को शून्य या कोई कानूनी वैधता नहीं रखने वाला मानता है, जहाँ उनमें मानव तस्करी, प्रलोभन, धोखाधड़ी और छल-कपट सम्मिलित होता है। • यह अवयस्क पक्ष को विवाह को रद्द करने या वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष बाद तक विवाह को शून्य करने की अनुमति देता है।	• 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ, उसकी सहमति के बिना या सहमति से यौन संबंध स्थापित करना दंडनीय अपराध है। • **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ वाद** में, न्यायालय ने धारा 375 के अपवाद 2 को निरस्त कर दिया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध की अनुमति दी गई थी।	• यह अधिनियम अधिनियम विवाह के माध्यम से किसी भी व्यक्ति द्वारा बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमले (penetrative sexual assault) को दांडिक घोषित करता है।	• यह अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित है। • विवाह करने के इच्छुक जोड़ों को विधि के अंतर्गत विवाह करने के लिए जिले के विवाह अधिकारी के समक्ष 30 दिन की पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता होती है।

Evolution of Child marriage law in India

Age of Consent Act, 1891
Raised the **age to consent for sex from 10 to 12 years**

Prohibition of Child Marriage (PCMA) Act, 2006
Age limits revised to **18 and 21 for girls and boys respectively.**

1891 — 1929 — 2006

Child Marriage Restraint Act, 1929 (Sarda Act)

- Fixed minimum age of marriage for **girls to 14 years and boys to 18 years.**
- This **act was amended in 1978** which changed age to 21 and 18 for boys and girls respectively. Later, it was also reiterated in 2006 Act.

1.6. पितृत्व अवकाश (Paternity leave)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा भारतीय कप्तान को पितृत्व अवकाश प्रदान किया गया।

	पितृत्व अवकाश (Paternity leave)	मातृत्व अवकाश (Maternity leaves)
परिभाषा	• पितृत्व अवकाश को एक ऐसी **अवकाश अवधि (सवेतन) के रूप संदर्भित किया जाता है, जो विशिष्ट रूप से बच्चे के जन्म के संबंध में पिता के लिए आरक्षित होती है** और यह अन्य वार्षिक अवकाशों के अतिरिक्त पिता को प्रदान की जाती है।	• यह अवकाश की उस अवधि को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग हाल ही में माता बनी महिला अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए कर सकती हैं।
भारत में प्रावधान	• भारत में **पितृत्व अवकाश के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।** • **अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सेवा नियम** के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए **अधिकतम दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा-बच्चा की देखभाल हेतु** 15 दिन के पितृत्व अवकाश की अनुमति प्रदान की गई है। ○ यह सुविधा **बच्चे को गोद लेने** के मामलें में भी प्रदान की गई है। ○ यह अवकाश बच्चे की जन्म की तिथि या गोद लेने की तिथि से **6 माह के भीतर लिया जा सकता है।** • **निजी संस्थाएं:** भारत में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, जो निजी क्षेत्रों को अपने कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए अधिदेशित करता हो। ○ हालांकि कुछ निजी संस्थानों द्वारा भी पितृत्व अवकाश प्रदान किए जा रहे हैं।	• इस अवकाश नीति को **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017** के द्वारा विनियमित किया जाता है। • यह अधिनियम **10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले** सभी संस्थानों पर लागू होता है। • पहले दो जीवित बच्चों के लिए 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है, ○ जो महिलाएं दो बच्चों के उपरांत अवकाश की मांग करती हैं, उन्हें 12 सप्ताहों का अवकाश प्रदान किया जाता है। इसमें 6 सप्ताह का अवकाश बच्चे के जन्म से पूर्व तथा शेष 6 सप्ताह का अवकाश बच्चे के जन्म के उपरांत दिया जाता है। • **गोद लेने वाली और कमिशनिंग/सरोगेट माताओं के लिए 12 हफ्ते** का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। • मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला को कर्मचारी के रूप में **किसी संस्थान में पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों तक की अवधि** के लिए कार्यरत रहना आवश्यक है। • **इस अधिनियम के अनुसार नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे महिलाओं को** उनकी नियुक्ति के समय उनके लिए उपलब्ध **मातृत्व लाभों के बारे में शिक्षित/सूचित करें।**

अन्य संबंधित तथ्य

मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave)

- जोमैटो ने महिला कर्मचारियों हेतु मासिक धर्म की अवधि के लिए नई सवैतनिक अवकाश नीति की घोषणा की है।
- **बिहार राज्य** में वर्ष 1992 से ही सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की अवधि के लिए **प्रत्येक माह में दो दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश** प्राप्त करने का प्रावधान है।
- **मेन्स्ट्रुएशन बेनिफ़िट बिल, 2017 (लोक सभा में वर्ष 2018 में पुरःस्थापित):**
  - इस विधेयक का उद्देश्य **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को प्रत्येक माह दो दिन के सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश** के साथ-साथ मासिक धर्म के दौरान के अन्य दिनों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर सुविधा का प्रावधान करना है।
  - इसका लाभ सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा आठ एवं उससे ऊपर की कक्षाओं की छात्राओं को भी प्राप्त होगा।

बाल देखभाल अवकाश या चाइल्ड केयर लीव (Child Care leaves)

- अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम के अंतर्गत, अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक **महिला कर्मचारी और "एकल पुरुष अभिभावक" कर्मचारी** को बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिन का अवकाश प्रदान किया जाता है।
  - कुल 730 दिनों के अवकाश में से कर्मचारियों को पहले 365 दिनों के दौरान पूर्ण वेतन प्रदान किया जाता है, जबकि आगामी 365

दिनों में 80% वेतन दिया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, किसी भी आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए (पहले यह बच्चे के 22 वर्ष की आयु तक था) भी सरकारी कर्मचारी द्वारा CCL का लाभ उठाया जा सकता है।
- **बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले कभी भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है** (दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में उम्र की कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है)।
- बाल देखभाल अवकाश या चाइल्ड केयर लीव को **छठे वेतन आयोग** द्वारा आरम्भ किया गया था। इससे पूर्व, महिला कर्मचारियों को ही CCL प्रदान किया जाता था, हालांकि इसे 7वें वेतन आयोग ने एकल पुरुष कर्मचारियों तक विस्तारित कर दिया है।
- इससे पूर्व, वर्ष 2019 में, रक्षा मंत्रालय द्वारा एकल पुरुष सेवा कर्मियों के लिए CCL के लाभों को विस्तारित किया गया था।

1.7. बाल श्रम (Child Labour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अभिसमय नंबर 182 - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) का "बाल मजदूरी के बदतरीन रूपों के खिलाफ संधि (Worst Forms of Child Labour Convention), 1999" - सार्वभौमिक अभिपुष्टि प्राप्त करने वाला अब तक का पहला **अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक** बन गया है। ज्ञातव्य है कि ILO के सभी 187 सदस्य देशों ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- ILO संयुक्त राष्ट्र की एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, जिसका गठन वर्ष 1919 में हुआ, जो श्रम मानक तय करने, नीतियों का विकास करने और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए इसके सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और कार्मिकों को एक मंच उपलब्ध करवाता है।
- भारत, ILO का **संस्थापक सदस्य** है।

ILO के आठ आधारभूत अभिसमय हैं

अभिसमय	भारत द्वारा अनुसमर्थन
सं. 29: बलात् श्रम समझौता, 1930	**हाँ**
सं. 87: संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संगठित होने के अधिकार के संरक्षण से संबंधित अभिसमय, 1948	**नहीं**
सं. 98: संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित अभिसमय, 1949	**नहीं**
सं. 100: समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951	**हाँ**
सं. 105: बलात् श्रम उन्मूलन अभिसमय, 1957	**हाँ**
सं. 111: भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय, 1958	**हाँ**
सं. 138: न्यूनतम आयु समझौता, 1973	**हाँ**
सं. 182: बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभिसमय, 1999	**हाँ**

ILO के अभिसमय संख्या 182 के विषय में

- यह **बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूपों के निषेध एवं उन्मूलन** का आह्वान करता है, जिसमें निम्नलिखित कार्यों में बच्चों का परिनियोजन निषेध है:
  - **सभी प्रकार की दासता**: जैसे बच्चों को बेचना एवं तस्करी करना, बंधुआ मजदूरी एवं दासत्व तथा **सशस्त्र संघर्ष** में बच्चों की बलपूर्वक भर्ती करना;
  - **वेश्यावृत्ति**, या अश्लील साहित्य;
  - **अवैध गतिविधियों**, जैसे- मादक पदार्थों का उत्पादन व तस्करी;
  - कोई भी कार्य जो उनके **स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता** को हानि पहुंचाए।
- यह ILO के आठ मूल अभिसमयों में से एक है तथा वर्ष 1999 में जिनेवा में ILO के सदस्य देशों की बैठक के दौरान इसे अंगीकृत किया गया था।
- बाल श्रम अभिसमय पर अभिपुष्टि दर में वृद्धि ने तथा देशों द्वारा इससे संबंधित विधियों व नीतियों को अंगीकृत करने के (जिसमें कार्य करने की न्यूनतम आयु संबंधित विधि व नीतियां भी सम्मिलित हैं) परिणामस्वरूप,**वर्ष 2000 एवं 2016 के मध्य बाल श्रम की घटनाओं व इसके सबसे विकृत स्वरूपों में लगभग 40% की गिरावट** देखी गई है।

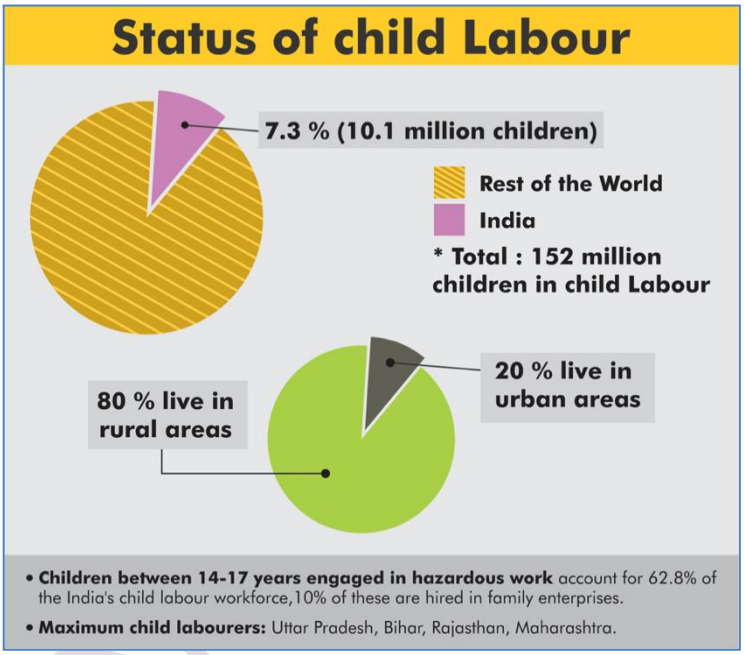

बाल श्रम के विषय में:

- **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016, "सभी व्यवसायों में बच्चों के नियोजन और जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं गतिविधियों में किशोरों के नियोजन"** पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
- यह उन लोगों पर **दंड आरोपित करता** है जो किशोरों को नियोजित या उनसे कार्य करवाते हैं।
- यह बच्चों को बाल कलाकार के रूप में या पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है।

विभिन्न अधिनियमों के तहत बच्चे की आयु का निर्धारण:
- **POCSO अधिनियम:** 18 वर्ष से कम।
- **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016:** 14 वर्ष से कम।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015:** 16 वर्ष से कम।
- **कारखाना अधिनियम, 1948:** 15 वर्ष से कम।

- इसके तहत 'किशोर' (14-18 आयु वर्ग) की एक नई श्रेणी निर्धारित की गई है, जिन्हें' गैर-खतरनाक 'व्यवसायों में नियोजित किया जा सकता है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project: NCLP):** यह **श्रम और रोजगार मंत्रालय** के तहत संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत सभी बच्चों को बाल श्रम से निकालने और अभिनिर्धारण (withdrawal and Identification) के माध्यम से बाल श्रम के प्रत्येक स्वरूप का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया है।
  - जिला स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में **जिला परियोजना समितियों (DPS) की स्थापना** की जाती है।
  - **9-14 वर्ष की आयु के बच्चों को कार्य से हटा कर उन्हें NCLP विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भेज दिया जाता है,** जहां उन्हें पूरक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाते हैं।

© Vision IAS

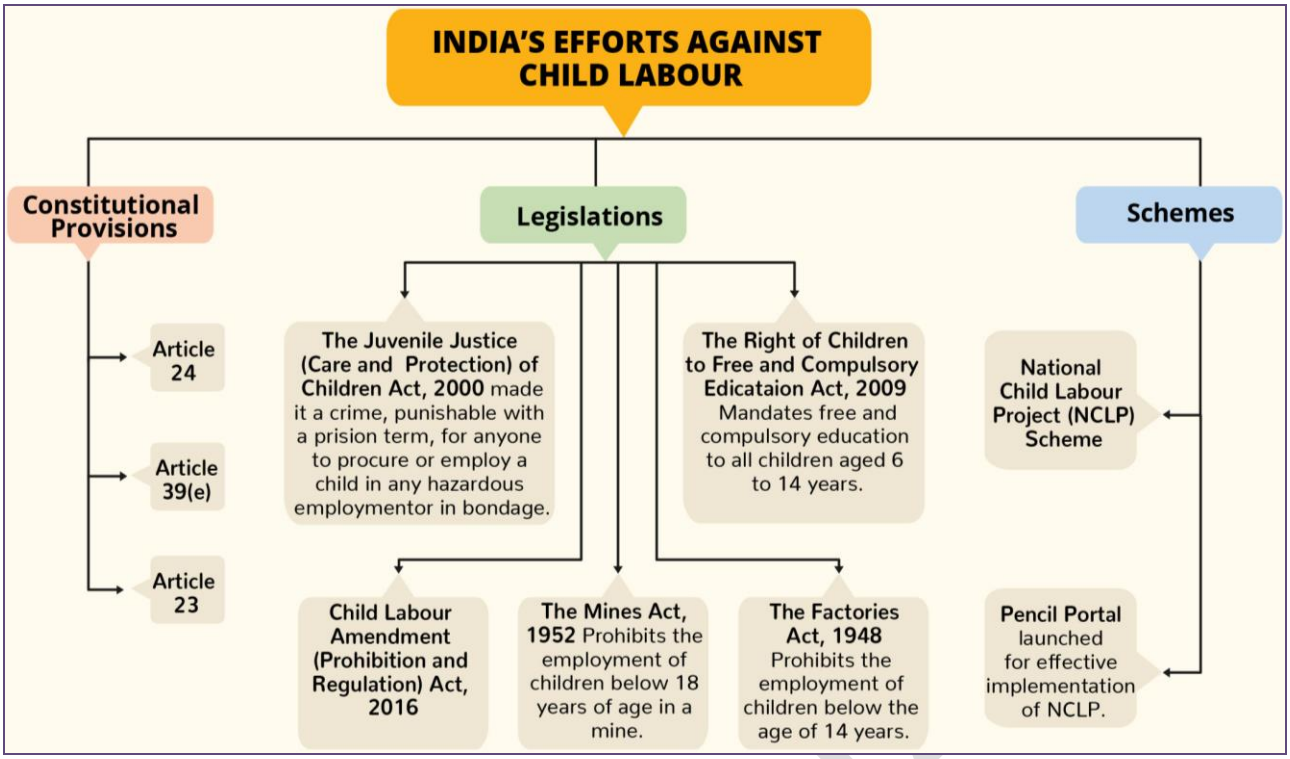

1.8. भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाएं (Women in Indian Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किसानों के विरोध प्रदर्शनों ने पारंपरिक रूप से उपेक्षित महिला कृषक समूहों पर ध्यानाकर्षित किया है।

कृषि में महिलाएं

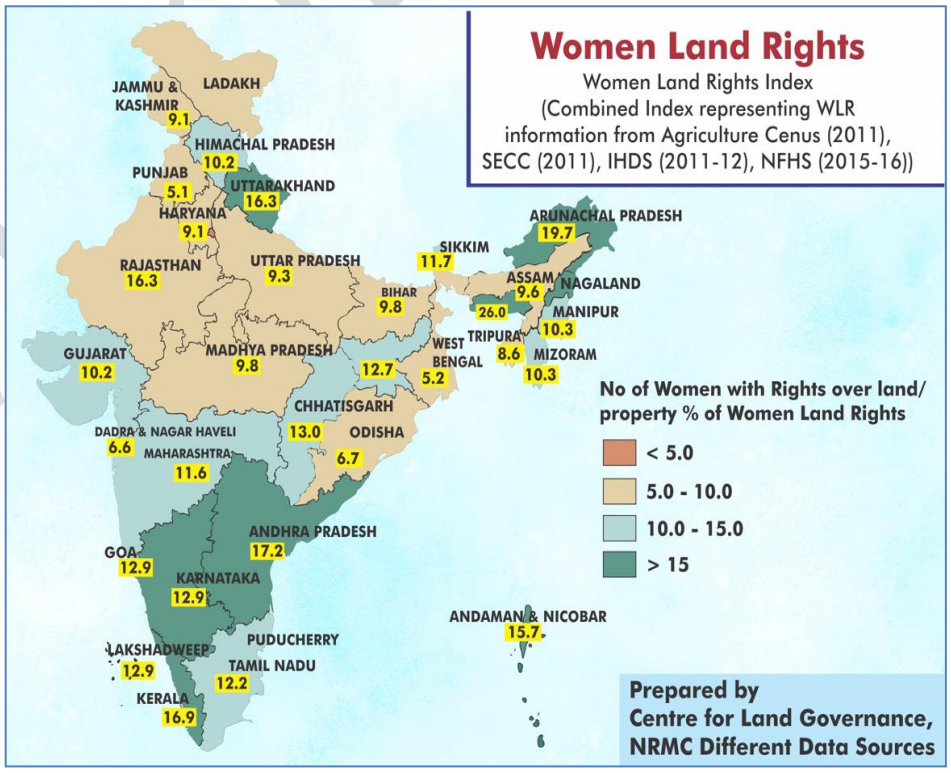

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत के कृषि श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग एक तिहाई है तथा कृषि उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 55 से 66 प्रतिशत है।
- **कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, महिलाओं द्वारा परिचालनीय जोत का आकार वर्ष 2010-11 के 12.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 14.0 प्रतिशत हो गया।** यह देश में कृषि जोत के प्रबंधन और / या संचालन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इसे **कृषि के महिलाकरण** (feminization of agriculture) के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

- पुरुषों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास में वृद्धि के कारण, **कृषि क्षेत्र में महिला संलग्नता में बढ़ोतरी हुई है।** इस क्षेत्र में वे कृषक, उद्यमी और श्रमिक जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निष्पादन कर रही हैं।

- **महिलाओं के स्वामित्व अधिकारों की बढ़ोतरी से होने वाले लाभ:**
  - यह महिलाओं में सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावनाओं को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, यह महिलाओं में अपना पक्ष/मत रखने की शक्ति और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाता है।
  - इससे महिलाओं की जीवन-स्थिति में सुधार होगा, पोषण और खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित होगी तथा बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा को प्राप्त किया जा सकेगा।

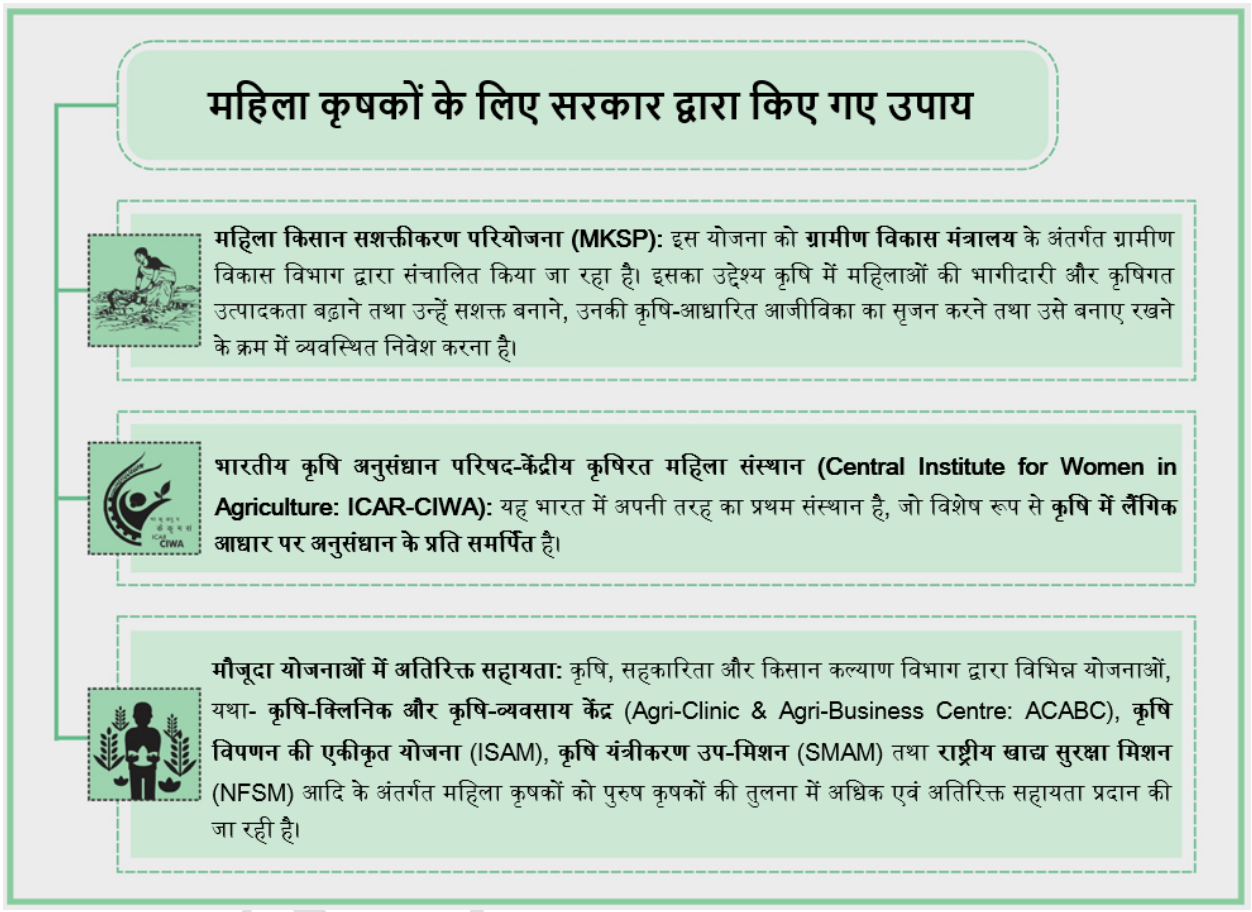

1.9. महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स (Important Reports)

महिला और व्यापार: महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने में व्यापार की भूमिका {"Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Women's Equality"}	• **विश्व बैंक समूह और विश्व व्यापार संगठन (WTO)** द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।
	• **अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट:**
	  ○ **विश्व बैंक-**
	  ▪ व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business)।
	  ▪ विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)।
	  ▪ वैश्विक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospective)।
	  ○ **विश्व व्यापार संगठन-**
	  ▪ विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (The World Trade Statistical Review)।
	  ▪ विश्व व्यापार रिपोर्ट (The World Trade Report)।
	• यह रिपोर्ट महिलाओं पर पृथक रूप से निर्मित नए श्रम डेटासेट के प्रयोग के आधार पर यह पता लगाने के प्रयास को चिन्हित करती है कि कैसे महिलाएं व्यापार से प्रभावित होती हैं।

© Vision IAS

सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक (SDG Gender Index)	• यह वैश्विक लैंगिक समानता का मापन करने के लिए विकसित किया गया एक नया सूचकांक है। • वर्ष 2019 में **भारत 129 देशों में 95वें** स्थान पर था। • यह **इक्वल मेजर्स 2030** द्वारा विकसित किया गया है। यह अफ्रीकी महिला विकास और संचार नेटवर्क, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य गठबंधन आदि सहित क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों द्वारा संचालित एक संयुक्त प्रयास का परिणाम है। • **इसमें 17 आधिकारिक SDGs में से 14 में 51 लिंग विशिष्ट संकेतकों को शामिल किया गया है** जो निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं को सम्मिलित करते हैं। • समग्र सूचकांक स्कोर 0-100 के पैमाने पर आधारित है। 100 का स्कोर अंतर्निहित संकेतकों के संबंध में लैंगिक समानता की उपलब्धि को दर्शाता है।
लॉस्ट एट होम रिपोर्ट	• इसे **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/(UNICEF)** द्वारा प्रकाशित किया गया है। • यह रिपोर्ट **आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों और चुनौतियों तथा उनकी रक्षा हेतु आवश्यक तत्काल कार्यवाही का आकलन** करती है। • रिपोर्ट के अनुसार- ○ भारत में, वर्ष 2019 में आंतरिक विस्थापन की कुल नई संख्या लगभग 5 मिलियन थी - जिनमें से अधिकांश आपदाओं के कारण विस्थापित हुए थे। ○ बच्चों और उनके परिवारों हेतु आंतरिक विस्थापन के प्रमुख कारण संघर्ष और हिंसा रहे हैं।

1.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियाँ (Other Important News)

भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (India's first international women's trade centre)	• इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसरण में **केरल के अंगमाली** (Angamaly) में स्थापित किया जाएगा। • इसका उद्देश्य महिलाओं को नए व्यवसाय आरंभ करने के लिए सुरक्षित स्थान तथा उनके उत्पादों के वैश्विक स्तर पर विपणन की सुविधा प्रदान करते हुए **महिला उद्यमशीलता को गति प्रदान करना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है।**
कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज (COVID-19 Shri Shakti Challenge)	• इस चैलेंज को अप्रैल 2020 में **यू.एन. वीमेन के सहयोग से MyGov** द्वारा प्रारंभ किया गया है। • इसका उद्देश्य नवोन्मेषी समाधानों को प्रस्तुत करने वाले महिलाओं के नेतृत्वाधीन स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करना व सम्मिलित करना है। ये समाधान कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं या वृहद स्तर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं का निदान करने में सहयोग कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बाल संरक्षण मामले में 'मिरर ऑर्डर' जारी किया {Supreme Court (SC) issues 'mirror order' in child custody case}	• एक **"मिरर-ऑर्डर" चरित्र में अनुषंगी या सहायक** होता है। यह उस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करता है जिसने एक बच्चे के संरक्षण पर प्राथमिक अधिकारिता का प्रयोग किया है। ○ यह निर्णय एक बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) से संबंधित एक याचिका पर आधारित था, जिसका पिता केन्या में और माता भारत में निवासरत है। ○ उच्चतम न्यायालय ने पिता को बच्चे की अभिरक्षा (कस्टडी) प्रदान की है तथा उसे केन्या के एक न्यायालय से एक मिरर ऑर्डर प्राप्त करने का आदेश दिया। • ऐसा आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि उस देश की न्यायालय, जहां बच्चे को स्थानांतरित किया जा रहा है, वे उन व्यवस्थाओं से अवगत हैं, जो उक्त देश में की गई थीं, जहाँ वह सामान्य रूप से निवास कर रहा था। ○ यह अवयस्क बच्चे के हितों की रक्षा करने का एक साधन है और यह सुनिश्चित करता

	है कि माता-पिता दोनों समान रूप से देश के नियमों का पालन करें। ○ मिरर ऑर्डर का उन मामलों में भी प्रमुख स्थान है, जहां बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय हेग कन्वेंशन, 1980 (Hague Convention on Civil Aspects on International Child Abduction, 1980) लागू नहीं होता है। ○ कन्वेंशन बच्चों की शीघ्र वापसी हेतु एक प्रक्रिया प्रदान करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अपहरण और प्रतिधारण के हानिकारक प्रभावों से उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। ○ वर्तमान में, भारत और केन्या इस कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।

© Vision IAS

2. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections)

2.1. उभयलिंगी (Transgenders)

2.1.1. उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 {Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019} के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए **उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons: NCTP)** का गठन किया है।

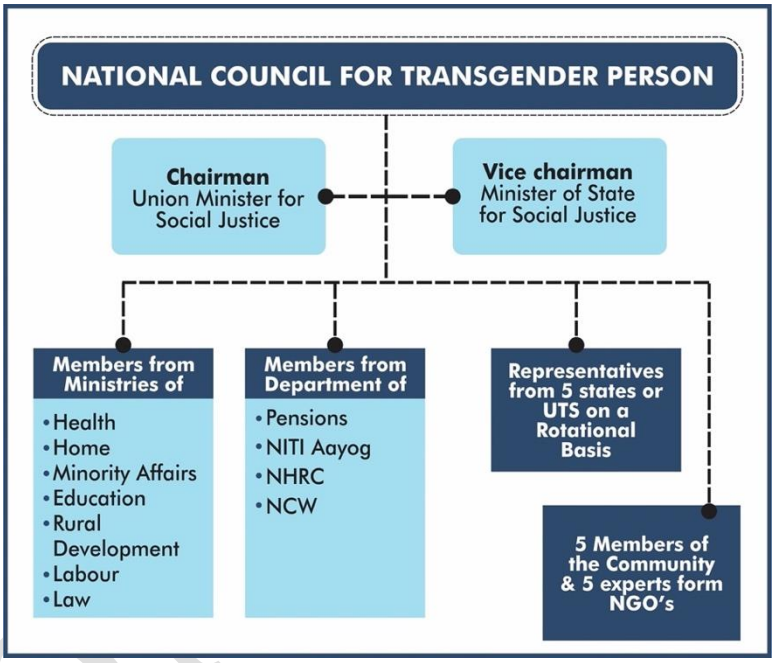

परिषद के बारे में

- **पदावधि:**
  - परिषद के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- **NCTP के प्रमुख कार्य:**
  - केंद्रीय सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान तथा परियोजनाएं तैयार करने हेतु **परामर्श देना।**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता तथा पूर्ण सहभागिता हासिल करने के लिए तैयार की गई नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभाव की **निगरानी तथा मूल्यांकन करना।**
  - सरकार के उन सभी विभागों और अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन **तथा समन्वय करना** जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े हैं।
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की **शिकायतों का निवारण करना।**
  - **ऐसे अन्य कृत्य करना,** जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।
    - NCTP को केंद्र द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया है।
    - इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित करने, स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार, सरकारों द्वारा कल्याणकारी उपाय, अपराध और दंड संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।

ट्रांसजेडरों के बारे में

- अधिनियम के अनुसार, ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति है, **जिसका लिंग उससे उसके जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है** तथा इसके अंतर्गत उभय-पुरुष (trans-men) या उभय स्त्री (trans-women) परिवर्तित, अन्तःलिंग (intersex) भिन्नताओं वाले व्यक्ति, लिंग-समलैंगिक (gender-queers) तथा किन्नर, हिजडा, अरावाणी, एवं जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृति पहचान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में ट्रांसजेंडरों की जनसंख्या 4.9 लाख है।**
- **इनकी सर्वाधिक जनसंख्या (लगभग 28%) उत्तर प्रदेश में है,** जिसके पश्चात् क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अन्य प्रावधान:

- इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना तथा उनके लिए कल्याणकारी प्रावधान बनाकर उनके अधिकारों का संरक्षण करना है।

- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहचान से संबंधित प्रमाणपत्र:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिलाधिकारी को, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।
  - पुनरीक्षित प्रमाणपत्र तभी जारी किया जा सकता है, यदि उस व्यक्ति ने या तो पुरुष या महिला के रूप में पर अपने लिंग में परिवर्तन हेतु शल्यक्रिया करवाया है।
- **सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय:** इनका उद्देश्य समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेशन एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव एवं पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी, ऐसी योजनाएं बनाएगी जो ट्रांसजेंडर संवेदी हों तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में सक्षम हो।
- **अपराध व दंड**: निम्नलिखित अपराधों के लिए छह महीने से लेकर दो वर्ष तक का दंड और जुर्माना है : (i) बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना (इसमें लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा सम्मिलित नहीं है), (ii) उन्हें सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से रोकना, (iii) उन्हें गृहस्थी, ग्राम या निवास इत्यादि छोड़ने के लिए विवश करना (iv) उनका शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक उत्पीड़न करना।

- **स्वास्थ्य देखभाल:** सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पृथक HIV निगरानी केंद्र की स्थापना और लिंग पुनः नियतन शल्यक्रिया (sex reassignment surgeries) जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयास करेगी।
  - सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करेगी।

इस समुदाय के संरक्षण के लिए अन्य प्रावधान

- अनुच्छेद 14, 15, 19, तथा 21 के अंतर्गत **संवैधानिक संरक्षण** समानता व वाक्-स्वातंत्र्य और जीवन की सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, तथा लिंग, नस्ल, जाति, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भौतिक इंटरफेस और कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना ही पहचान पत्र जारी करने के लिए स्थापित।
- **गरिमा गृह:** आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और क्षमता निर्माण में समर्थन प्रदान करने जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने के लिए आश्रय गृह।
- **मणिपुर में खुडोल (उपहार) पहल:** यह इंफाल स्थित YA All नामक एक गैर-सरकारी संगठन की पहल है। यह पहल आम लोगों से जुटाए गए धन के माध्यम से वित्तपोषित है जिसने भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी।
- केरल वर्ष 2015 में ट्रांजसेंडर नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है।

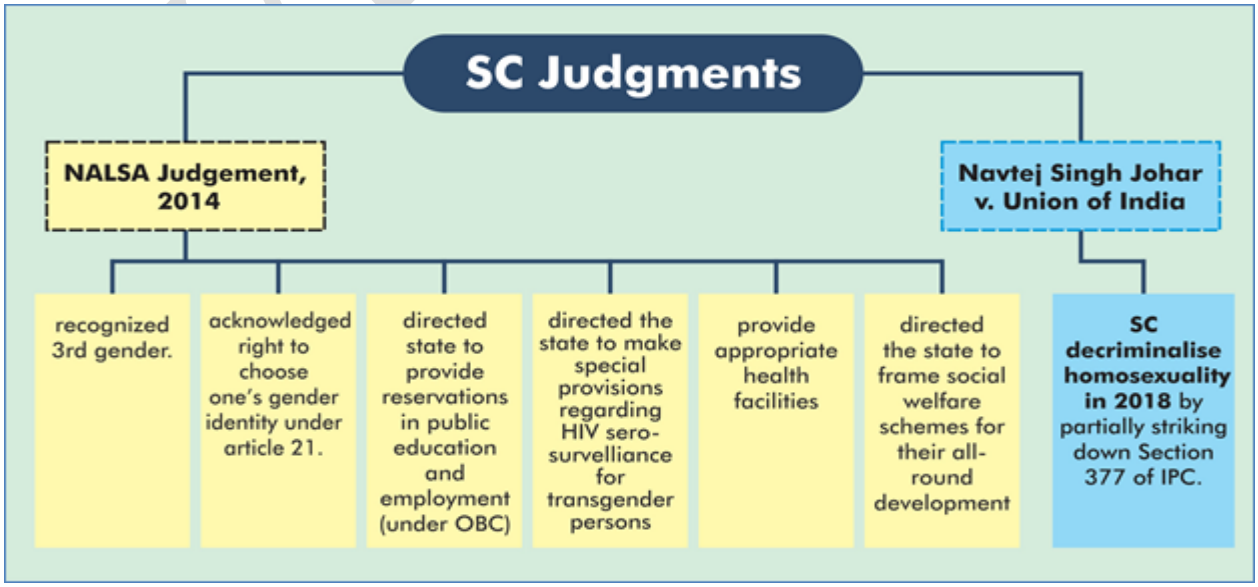

© Vision IAS

2.1.2. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 {Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जारी किए हैं।

इन नियमों के बारे में

- इन नियमों को **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 {Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019}** के तहत जारी किया गया है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate: DM)** आवेदक द्वारा दायर एक शपथ पत्र के आधार पर किसी भी **चिकित्सीय या शारीरिक जांच के बिना** किसी व्यक्ति के लिंग को प्रमाणित करेगा।
  - उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए **राज्य सरकारों द्वारा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा** तथा केंद्र द्वारा सृजित की गई योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - उभयलिंगी व्यक्तियों को शामिल करने हेतु **सभी मौजूदा शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याणकारी उपायों आदि की समीक्षा** के लिए प्रावधान किया गया है।
  - **राज्य सरकारों को उनके दायरे के अंतर्गत आने वाले** किसी भी सरकारी या निजी संगठन अथवा निजी और सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में **उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति भेदभाव के निषेध के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।**
  - **उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील अवसंरचना** जैसे कि अस्पतालों में पृथक वार्ड और शौचालयों का निर्माण कार्य नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।
  - राज्य सरकारों को उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जाँच करने के लिए **उभयलिंगी संरक्षण प्रकोष्ठ (Transgender Protection Cell)** का गठन करना होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत कार्यस्थल समानता सूचकांक {India Workplace Equality Index (IWEI)}

- यह नियोक्ताओं के लिए **भारत का प्रथम व्यापक बेंचमार्किंग उपकरण** है, जो **लेस्बियन, गे, बाय सेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (LGBT+)** को कार्यस्थल में शामिल किए जाने पर उनकी प्रगति का मापन करता है।
- इस सूचकांक को **प्राइड सर्कल, स्टोनवॉल यू.के. और फिक्की (FICCI) की साझेदारी में केशव सूरी फाउंडेशन द्वारा विकसित** किया गया है।
  - इस सूचकांक को वर्ष 2005 में लॉन्च किए गए **स्टोनवॉल वर्कप्लेस इक्वालिटी इन्डेक्स** की विशेषज्ञता के आधार पर विकसित किया गया है।
- **इस सूचकांक द्वारा मापन किए जाने वाले नौ क्षेत्रों में शामिल हैं:** नीतियां और लाभ, कर्मचारी जीवनचक्र, कर्मचारी नेटवर्क समूह, सहयोगी और अनुकरणीय व्यक्ति, वरिष्ठ नेतृत्व, निगरानी, खरीद, सामुदायिक जुड़ाव और अतिरिक्त कार्य।

2.2. 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' {Right of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के कुछ उपबंधों में संशोधन करने हेतु विचार किया जा रहा है

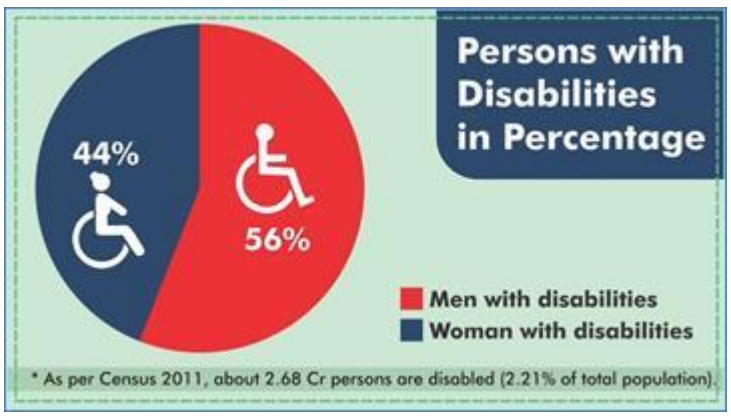

अन्य संबंधित तथ्य

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस कदम का उद्देश्य व्यावसायिक भावनाओं में सुधार करने व न्यायालयी प्रक्रियाओं में विद्यमान अवरोधों के निवारणार्थ **गौण अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना** है।
  - यह ऐसे अनेक कृत्यों के लिए कारावास के जोखिम को कम करेगा, जिनका **प्रयोजन गैर-दुर्भावनापूर्ण होता है।**

- कानूनी प्रक्रियाओं में अनिश्चितता और न्यायालयों में विवादों के समाधान हेतु लगने वाले अनावश्यक समय से **'ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' पर नकारात्मक प्रभाव** उत्पन्न होता है।

- हालांकि, दिव्यांगजन अधिकार के समर्थक अनेक कार्यकर्ताओं ने इन संशोधनों का विरोध किया है। उनका मानना है कि **यह कदम RPwD अधिनियम, 2016 की समग्र प्रभावशीलता को कम करेगा।**

PwDs के संबंध में आरक्षण

- निःशक्तजनों को प्रदत्त आरक्षण को **क्षैतिज आरक्षण** (horizontal reservation) कहा जाता है। यह सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (vertical categories), जैसे- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग सभी को प्रदत्त है।
  - ऊर्ध्वाधर आरक्षण, **अनुच्छेद 16(4)** के तहत SC/ST एवं OBC जैसे पिछड़े वर्गों को प्रदान किया जाता है।
  - क्षैतिज आरक्षण का आशय आरक्षण के भीतर आरक्षण से है, जैसे- महिलाओं, दिव्यांगजनों आदि को आरक्षण।

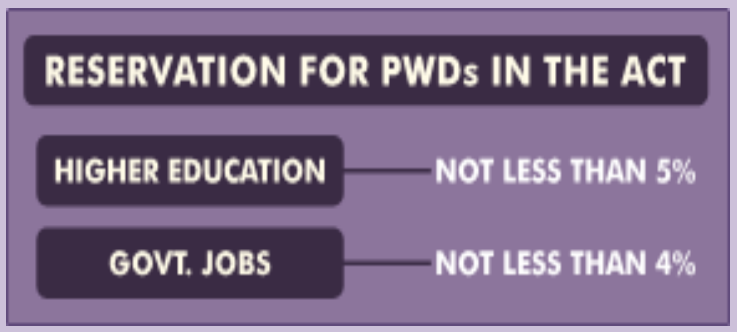

RPwD अधिनियम, 2016 के बारे में

- इसके द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया गया है।
- यह अधिनियम **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी** के सिद्धांतों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए अनुकूल कार्यस्थल की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
- **RPwD अधिनियम, 2016** में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि **दिव्यांगजनों** को अन्य व्यक्तियों की भांति **समता व गरिमा युक्त जीवन और अपने स्वाभिमान के साथ जीवनयापन के अधिकार** प्राप्त हों।
- इसमें **दिव्यांगता की 21 श्रेणियों** और दिव्यांगजनों को प्राप्त **अधिकारों** को शामिल किया गया है।
- "संदर्भित दिव्यांगता" (benchmark disabilities) को अधिनियम में वर्णित कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता सत्यापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग** के संदर्भित दिव्यांगता वाले प्रत्येक बालक को **निःशुल्क शिक्षा** का अधिकार प्राप्त होगा।
  - अब **निजी प्रतिष्ठानों को भी इसके दायरे के अधीन** ला दिया गया है। हालांकि, निजी प्रतिष्ठानों द्वारा PwD को अनिवार्यत: नियुक्त करना अब आवश्यक नहीं है। साथ ही अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठानों पर कुछ बाध्यताएं आरोपित की गई हैं।
  - इसके तहत **शिक्षा, रोजगार और आजीविका का अधिकार** तथा सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं।
  - इसके तहत PwD के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए **दंड और कारावास के प्रावधान** किए गए हैं।

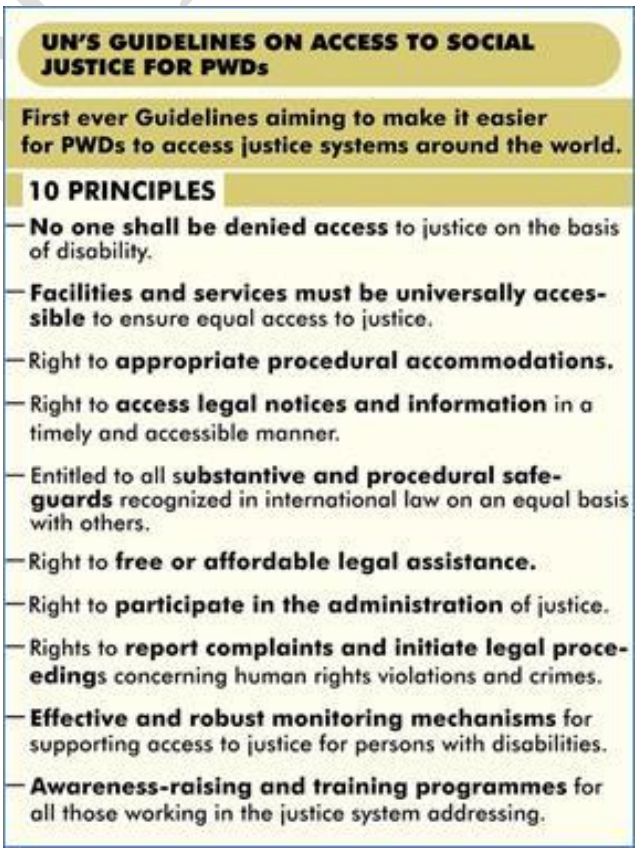

© Vision IAS

- PwD के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा।
- केंद्रीय व राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माण वाले निकाय के रूप में कार्यों को संपादित करने हेतु दिव्यांगता पर एक **व्यापक केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित** किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय और राज्य कोष** का सृजन किया जाएगा।
- **प्रधान मंत्री सुगम्य भारत अभियान** को सुदृढ़ करने के लिए, एक निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक भवनों (दोनों सार्वजनिक और निजी) में पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी

- यह वर्ष 2008 में प्रभावी हुआ था। यह **21वीं सदी की प्रथम व्यापक मानवाधिकार संधि और दिव्यांगजनों के अधिकारों के व्यापक संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रथम समझौता है।**
- **इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में अग्रलिखित शामिल हैं-** अंतर्निहित गरिमा हेतु सम्मान, अविभेद (non-discrimination), समाज में प्रभावी भागीदारी और समावेश, अवसर की समानता, पहुंच, पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य समानता तथा दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना।
- **हालांकि, कन्वेंशन में दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं** किया गया है। इसमें स्वीकृत किया गया है कि "दिव्यांगता" की अवधारणा निश्चित नहीं है और यह एक समाज से दूसरे समाज में मौजूदा परिवेश के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
- **भारत द्वारा इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की गई है।**

दिव्यांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश (National Disaster Management Guidelines on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DiDRR)

- हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश (DiDRR) जारी किए गए।
- DiDRR जोखिम के शमन और न्यूनीकरण के माध्यम से प्रभावित समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है।
- ये दिशा-निर्देश स्थापित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों एवं पद्धतियों के आधार पर DiDRR के कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक निर्देश प्रदान करते हैं ताकि सभी हितधारक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित कर सकें व आगे बढ़ा सकें।

मानकीकृत साधन और सहायक उपकरण को खरीदने / उनकी फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (ADIP) योजना {Assistance to Disabled persons for purchasing / fitting of aids / appliances (ADIP) scheme}

- इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्मित, मानकीकृत साधन और सहायक उपकरण खरीदने / उनकी फिटिंग के लिए **जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना** है। इससे उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सकता है तथा साथ ही इससे उनके आर्थिक सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी।
- ADIP योजना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** की एक पहल है। इसे गैर-सरकारी संगठनों, इस मंत्रालय से संलग्न राष्ट्रीय संस्थानों और ALIMCO (एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम) जैसी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

2.3. अनुसूचित जाति (Scheduled Castes)

2.3.1. अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन {Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission (ASIIM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया है।

विवरण

- ASIIM को **उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों** में **अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों** में **नवाचार और उद्यम** को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि (Venture Capital Fund for SCs: VCF-SC) के तहत आरंभ किया गया है।
  - VCF-SC (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित) अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करके और उन्हें **रोज़गार प्रदाता (Job-Givers) बनने में सक्षम** करके **दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता** विकसित करता है।

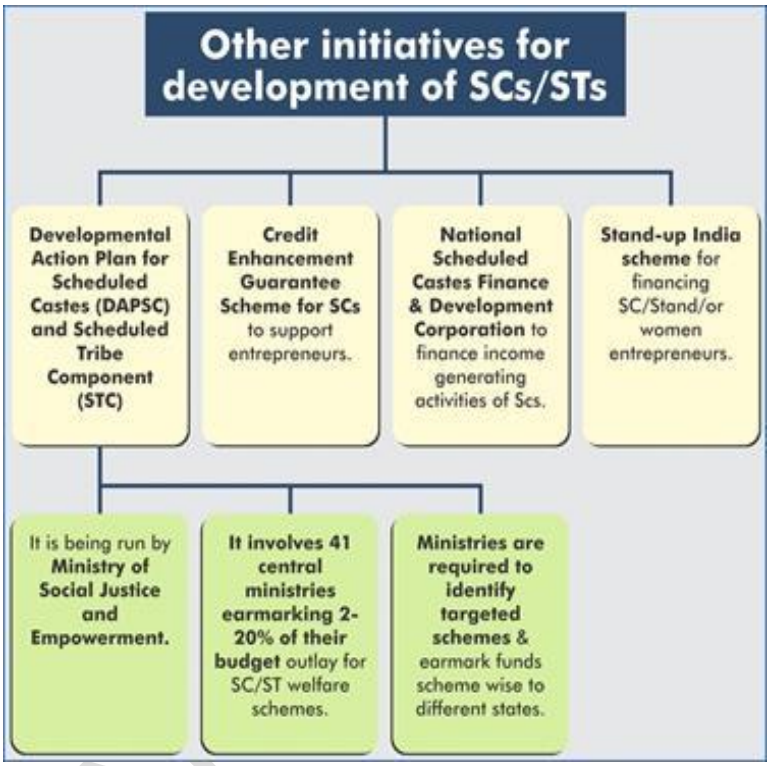

- ASIIM के तहत **अनुसूचित जाति के युवाओं द्वारा आरंभ की गई 1,000 पहलों की पहचान की जाएगी** और तीन वर्षों में 30 लाख रुपये इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- **ASIIM के उद्देश्य हैं:**
  - दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।**
  - **टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (TBI)** के माध्यम से वर्ष 2024 तक 1,000 अभिनव विचारों का समर्थन करना।
    - टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (TBI) की स्थापना उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है।
  - स्टार्ट-अप विचारों को तब तक समर्थन, प्रचार और सहायता प्रदान करना, जब तक कि वे उदार पूंजी समर्थन के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर तक नहीं पहुंच जाते।
  - अभिनव विचारों से समृद्ध छात्रों को प्रोत्साहित करके उन्हें **आत्मविश्वास के साथ** उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करना।

अन्य संबंधित तथ्य

वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना) (VISVAS Yojana)

- यह प्रति वर्ष निम्नलिखित हेतु 5% ब्याज अनुदान प्रदान करने वाली एक योजना है:
  - अनुसूचित जाति और/या अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लाभार्थियों वाले SHGs (इन्हें 4 लाख रुपये तक ऋण/उधार प्रदान किया जाएगा)।
  - अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तिगत लाभार्थी (इन्हें 2 लाख रुपये तक ऋण/उधार प्रदान किया जाएगा)।
- इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NURLM) या नाबार्ड के तहत गठित पात्र वैसे SHGs को कम ब्याज दर के रूप में प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
  - अनुसूचित जाति से संबद्ध SHGs/लाभार्थियों के लिए **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC)।**
  - अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध SHGs/लाभार्थियों के लिए **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC)।**
- SHGs के सदस्यों की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा SHGs को NRLM / NULM या NABARD के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- SC या OBC से संबंधित परिवार के सभी सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है वे ब्याज अनुदान हेतु पात्र होंगे।

 © Vision IAS

2.4. अनुसूचित जनजातियां (Scheduled Tribes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने अनुसूचित जनजातियों के लिए **"स्वास्थ्य"** नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल का ई-शुभारंभ किया है।

विवरण

- यह **जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित ई-पोर्टल** है जो भारत की जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सभी जानकारियां, एक ही मंच पर प्रदान करेगा।
  - यह **साक्ष्य, विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान-प्रदान** को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए अभिनव अभ्यासों, शोधों के संक्षिप्त परिणामों आदि को शामिल एवं प्रबंधित करेगा।
- **शुरू की गई अन्य पहलें:**
  - अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए अधिक पारदर्शिता और सरलतापूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु **राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल (National Overseas Portal)** और **राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल (National Tribal Fellowship Portal)** की शुरुआत की गई है।
  - डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड **"एम्पावरिंग ट्राइबल्स-ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया"** (**Empowering Tribals, Transforming India**), STs को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेगा तथा दक्षता और पारदर्शिता लाएगा।
  - स्वास्थ्य और पोषण पर **ई-न्यूज़लेटर- आलेख** जारी किया जाता है।

जनजातियों और जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित डेटा

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में जनजातीय आबादी 104 मिलियन से अधिक** है। यहाँ लगभग **705 जनजातियां निवास करती** हैं और ये **देश की कुल जनसंख्या का 8.6%** है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में **90% से अधिक जनजातीय लोग** निवास करते हैं।
- मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। इसके बाद इनकी सर्वाधिक आबादी क्रमशः **महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान** में निवास करती है।
- **जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति:**
  - **आजीविका की स्थिति:** 20.5% गैर-जनजातीय आबादी की तुलना में 40.6% जनजातियाँ निर्धनता रेखा से नीचे निवास करती हैं।
  - **मूलभूत सुविधाओं का अभाव:** वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश जनजातीय आबादी को नल के माध्यम से जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
  - जनजातीय आबादी के मध्य जल-निकासी की सुविधा और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता भी बहुत कम है।
  - **शिक्षा स्तर में व्याप्त अंतराल:** इनकी शैक्षणिक स्थिति में भी एक बड़ा अंतर विद्यमान है, क्योंकि **41% ST आबादी निरक्षर** है।
  - 933/1000 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में **जनजातियों के बीच लिंगानुपात 990/1000** है।
- **जनजातीय स्वास्थ्य:**
  - जनजातियाँ, रोगों के तिहरे बोझ से पीड़ित हैं:
    - ये कुपोषण और संक्रामक रोगों, जैसे- मलेरिया, तपेदिक, एचआईवी, हेपेटाइटिस, वायरल बुखार आदि से पीड़ित हैं। **मलेरिया के 30% मामले और मलेरिया से संबंधित मृत्यु के 60% मामले जनजातियों से संबंधित हैं।**
    - **आनुवंशिक विकार और जीवन शैली संबंधी रोग,** जैसे- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वसन रोग आदि। इसके अतिरिक्त, सिकल सेल एनीमिया के रूप में आनुवंशिक विकार 1-40% जनजातीय आबादी को प्रभावित करता है। अदियन, इरुला, पनियन, गोंड आदि जनजातियों में **जी-6-पीडी रेड सेल एंजाइम (G-6-PD red cell enzyme)** की कमी दर्ज की गई है।

VISION IAS

- **मानसिक रोग और व्यसन**: राष्ट्रीय परिवार-स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (NFHS-3) के अनुसार, **15-54 वर्ष की आयु के 56% गैर-जनजातीय पुरुषों की तुलना में 72% जनजातीय पुरुष तंबाकू का सेवन** करते हैं।

- **अन्य संकेतक:** जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर, किशोर स्वास्थ्य, बाल रुग्णता, मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से संबंधित प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 10-25% कम है। उदाहरण के लिए:
  - 67 वर्ष के राष्ट्रीय औसत की तुलना में **जनजातियों की जीवन प्रत्याशा 63.9 वर्ष** है,
  - **62 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 74 है।**
  - 50% किशोर ST लड़कियां अल्प वजन की हैं और उनका BMI 18.5 से कम है।
  - लगभग **80% जनजातीय बच्चे अल्पपोषित हैं और एनीमिया से पीड़ित** हैं। जबकि भारत में पांच वर्ष से कम आयु के 40% जनजातीय बच्चे ठिगनेपन (Stunting) से पीड़ित हैं।

जनजातियों के लिए की गई अन्य पहलें

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन और प्रबंधन कार्यक्रम (North Eastern Region Community Resource and Management Program: NERCORMP):**
  - पूर्वोत्तर भारत में निर्धन और सीमांत जनजातीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से **आजीविका और ग्रामीण विकास परियोजना**।
  - **प्रमुख क्षेत्र:**
    - सामाजिक लामबंदी, संगठन और क्षमता निर्माण,
    - आय सृजन गतिविधियों पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप।
  - इसे **चार राज्यों** अर्थात **अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय** में कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - **उत्तर पूर्वी परिषद**, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की संयुक्त पहल।
- **जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** ग्यारहवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद ST छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
  - यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** के अंतर्गत संचालित योजना है।
  - **उद्देश्य:**
    - ST बच्चों के माता-पिता का सहयोग करना, ताकि स्कूल ड्रॉप-आउट के मामले कम से कम हो।
    - प्री-मैट्रिक चरण में ST बच्चों की प्रवेश दर में सुधार।
- **ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड "एम्पावरिंग ट्राइबल्स-ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया":** यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु **जनजातीय कार्य मंत्रालय** की 11 योजनाओं/ पहलों के अद्यतनीकृत और रियल टाइम विवरणों को प्रस्तुत करने वाला **इंटरैक्टिव और गतिशील ऑनलाइन मंच** है।
  - यह ST को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। यह प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा।
  - इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) की पहल:**
  - **ट्राइफूड (Trifood) परियोजना:** यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की संयुक्त पहल है।
    - जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित गौण वनोपज (MFP) के **बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन** के माध्यम से जनजातियों की आय में वृद्धि करना।
  - **ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस:** इस पहल के माध्यम से विभिन्न हस्तकला, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की सोर्सिंग के लिए 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - यह जनजातीय वनवासियों और कारीगरों को **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों** से जोड़कर उनके आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करेगा तथा उन्हें मुख्यधारा के विकास के और समीप लाएगा।
  - **जनजातियों के लिए प्रौद्योगिकी:** MSME मंत्रालय द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधान मंत्री वन धन योजना (PMVDY) के अंतर्गत पंजीकृत जनजातीय वनोपज संग्राहकों का क्षमता निर्माण करना और उन्हें उद्यमिता कौशल प्रदान करना है।
    - प्रशिक्षुओं को छह सप्ताह में 30 दिनों के कार्यक्रम में भाग लेना होता है।
    - यह गुणवत्ता प्रमाणन सहित विपणन उत्पादों के साथ अपने व्यवसाय के संचालन के लिए सक्षम और सशक्त बनाकर जनजातीय उद्यमियों की उच्च सफलता दर सुनिश्चित करता है।

© Vision IAS

- **नमथ बसई (Namath Basai):** यह **जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करने का अनूठा कार्यक्रम** है, जिसे **केरल सरकार द्वारा संचालित** किया जा रहा है।

2.5. भारत में वृद्धजन आबादी (Elderly Population in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस (1 अक्टूबर)** के अवसर पर **स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (Decade of Healthy Ageing) (2020-2030)** का शुभारंभ किया है।

- ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने अगस्त 2020 में **स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2020-2030)** का समर्थन किया था।

स्वस्थ वृद्धावस्था (Healthy Ageing) के बारे में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वस्थ वृद्धावस्था को **कार्यात्मक योग्यता (functional ability) के विकास तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जिससे वृद्धावस्था में खुशहाली आती है।**
  - कार्यात्मक योग्यता का तात्पर्य उन क्षमताओं से है, जो सभी लोगों को सक्षम बनाती है और जिससे वे अपने आवश्यकतानुसार कार्यों को संपादित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, निर्णय लेना, गतिशील होना इत्यादि।
  - इसमें किसी व्यक्ति की सभी शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएं एवं चतुर्दिक परिवेश (घर, समुदाय इत्यादि) से उनकी अंतः क्रिया सम्मिलित होती है।
- स्वस्थ वृद्धावस्था ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्ववर्ती केंद्र बिंदु **सक्रिय वृद्धावस्था** (वर्ष 2002 में विकसित नीतिगत फ्रेमवर्क) को प्रतिस्थापित कर दिया है।
  - सक्रिय वृद्धावस्था (Active ageing) **व्यक्ति की आयु वृद्धि के साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य, भागीदारी और सुरक्षा के अवसरों को अनुकूल बनाने की एक प्रक्रिया है।**
  - **यह मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना, 2002 पर आधारित है।**
  - मैड्रिड कार्य योजना 21वीं शताब्दी में वृद्धावस्था के मुद्दे से निपटने हेतु एक नवीन साहसिक एजेंडा प्रदान करती है।

वृद्धजन आबादी - भारत में स्थिति

- **जनगणना 2011** के अनुसार, भारत में लगभग **10.4 करोड़** वृद्ध नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक) हैं, जिनमें 5.3 करोड़ महिलाएं और 5.1 करोड़ पुरुष हैं।
  - **71% वृद्धजन आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 29% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।**

- भारत में व्यापक रूप से **वृद्धजन निर्भरता अनुपात वर्ष 1961 के 10.9% से बढ़कर वर्ष 2011 में 14.2%** हो गया था। वृद्ध महिलाओं तथा पुरुषों के लिए यह निर्भरता अनुपात वर्ष 2011 में क्रमशः **14.9% और 13.6%** था।
  - **निर्भरता अनुपात** वस्तुतः श्रम बल से बाहर स्थित (निर्भरता भाग) और श्रम बल में शामिल (उत्पादक भाग) व्यक्तियों का आयु-जनसंख्या अनुपात है।
  - इसका उपयोग **उत्पादक जनसंख्या पर दबाव के मापन** हेतु किया जाता है।
- **जनगणना 2011 के अनुसार, वृद्धजन आबादी पर राज्य-वार आंकड़ें यह प्रकट करते हैं कि केरल में वृद्ध जनसंख्या** का अनुपात सर्वाधिक (12.6 प्रतिशत) है, **सबसे कम अनुपात दादर एवं नगर हवेली (4.0 प्रतिशत) में है।**
- भारत की वृद्धजन आबादी बढ़ने के साथ, सरकार गरिमापूर्ण और सुरक्षित वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से वरिष्ठों हेतु विभिन्न ग्रेड की आवासीय और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं को विकसित कर "सिल्वर अर्थव्यवस्था (Silver Economy)" के विचार को बढ़ावा देने के तरीकों के अन्वेषण हेतु प्रयासरत है।
  - सिल्वर अर्थव्यवस्था को एक ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया गया है जो नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वृद्धजनों की आबादी की आवश्यकताओं के चतुर्दिक विकसित होती है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

- यह अधिनियम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों एवं उनके कल्याण के लिए आवश्यकता-आधारित भरण पोषण को सुनिश्चित करता है।
- **अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं**
  - बच्चों के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री को शामिल किया गया है।
  - माता-पिता के अंतर्गत पिता या माता, चाहे जैविक या दत्तक हो या सौतेला पिता या सौतेली माता को शामिल किया गया है।
  - **नातेदार:** नातेदार से निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा।
  - **भरण पोषण:** इसमें आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना शामिल हैं, ताकि ऐसे माता-पिता एक सामान्य जीवनयापन कर सकें।
  - **भरण पोषण संबंधी अधिदेश:** अधिनियम में भरण पोषण शुल्क पर ऊपरी सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है।
  - **भरण पोषण राशि जमा करने के संबंध में:** ऐसा बालक या नातेदार, जिससे ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का भुगतान करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तिथि के 30 दिनों के भीतर आदेशित संपूर्ण रकम ऐसी रीति से जमा करेगा जो अधिकरण निदेश दे।
  - **अपील:** अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।
- **वर्ष 2007 के अधिनियम में संशोधन हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था।**

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (National Programme for Health Care of the Elderly: NPHCE)

- यह निम्नलिखित के तहत परिकल्पित सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करता है:
  - दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UNCRPD),
  - वर्ष 1999 में अंगीकृत **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति,**
  - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 20 वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखभाल संबंधी प्रावधानों को लागू करता है।
- यह समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से वृद्धजनों को सहयोगी, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं तक सुगम पहुँच प्रदान करता है।
- इसकी मूल रणनीति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्त्ता द्वारा घर पर जाकर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है।

सम्बंधित तथ्य: लोंगीट्यूडनल नल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया वेव-1, इंडिया रिपोर्ट {Longitudinal Ageing Study of India (LASI) WAVE-1, India Report}

- LASI भारत में वृद्ध हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय

© Vision IAS

सर्वेक्षण है।
- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2050 में **वृद्धजनों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) की आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी,** जो कि वर्ष 2011 की जनगणना में 103 मिलियन थी।
  - **लगभग दो में से एक बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित है।** लगभग 27% बुजुर्गों में बहु-रुग्णताएं हैं। 40 प्रतिशत वृद्धजनों को कोई न कोई दिव्यांगता है और 20 प्रतिशत वृद्धजन मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं।
  - भारत में 45 वर्ष तथा उससे ऊपर के लोगों की **औसत प्रति व्यक्ति आय 44,901 रुपये** है तथा इनमें से एक तिहाई उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से पीड़ित हैं।
  - 78% बुजुर्गों को न तो पेंशन मिल रही है और **न ही मिलने की अपेक्षा है।**

2.6. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश के 243 शहरों में **'सफाई-मित्र सुरक्षा चैलेंज'** नामक एक अभियान की शुरुआत की गयी है। इस अभियान का उद्देश्य **वर्ष 2021 तक हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) को समाप्त** करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

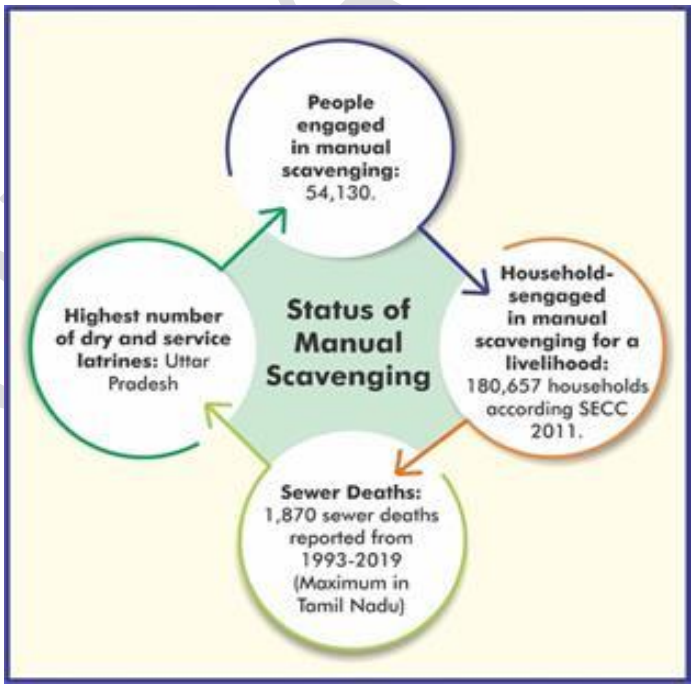

- इस अभियान के अंतर्गत, **243 शहरों के सीवर एवं सेप्टिक टैंक को मशीनीकृत किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, यदि हाथ से मैला ढोने की सूचना मिलती है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाले शहरों को पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।
- इसका उद्देश्य सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की 'जोखिमपूर्ण सफाई' के कारण होने वाली **किसी भी जन हानि को रोकना** है।
- ये उपाय **स्वच्छ भारत अभियान (Clean India initiative)** के भाग हैं।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा के बारे में

- **सर्विस/शुष्क शौचालयों** से मानव मल-मूत्र को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल रूप से या हाथ से साफ़ करने की प्रथा को हाथ से **मैला ढोने की प्रथा के रूप में संदर्भित** किया जाता है।
  - सफाई कर्मी स्वतः सीवर एवं सेप्टिक टैंकों और शुष्क शौचालय में घुसकर अपने हाथों से मानव मल-मूत्र को एकत्रित करते हैं और फिर वे सिर पर एक कंटेनर में रख कर दूर कहीं निस्तारित कर देते हैं।
  - **सर्विस/शुष्क शौचालय** ऐसे शौचालय होते हैं, जो जलविहीन होते हैं और जहां से मानव मल-मूत्र को हाथों से बाल्टी, हौज और शौच गड्ढों में एकत्रित किया जाता है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधान

- **यह हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन, बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई तथा अस्वच्छ शौचालय के निर्माण को प्रतिबंधित करता है।** इस प्रथा को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा गया है।
- **इस अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को परिभाषित किया गया है:** मानव अपशिष्ट के सभी स्रोतों जैसे खुली नाली, गड्ढे वाले शौचालय, सेप्टिक टैंक, नालों और रेलवे पटरियों पर मानव मल-मूत्र को किसी व्यक्ति द्वारा हाथों से साफ़ करने को मैनुअल स्कैवेंजर्स या हाथ से मैला उठाने के रूप में संदर्भित किया गया है।

- **पुनर्वास संबंधी प्रावधान:** मैला उठाने वालों को शुरुआत में एक बार नकद सहायता, आजीविका के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स के परिवार के सदस्यों में से एक व्यस्क को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना आदि।
- हाथ से मैला उठाने वालों की **पहचान करने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकरण** (नगर पालिका या पंचायत, छावनी बोर्ड या रेलवे प्राधिकरण) को सौंपा गया है।
- इस अधिनियम की **धारा 8** के तहत इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति **2 वर्ष तक के कारावास या 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों दंडों का भोगी** होगा। किसी भी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए 5 वर्ष तक के कारावास या 15 लाख का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
- **अधिनियम में चिन्हित किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:**
  - आरंभिक एकमुश्त नकद सहायता।
  - मैला उठाने वाले के बच्चों को छात्रवृत्ति।
  - आवासीय भूखंड का आवंटन और निर्मित भवन तथा भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
  - आजीविका कौशल में प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका का भुगतान।
  - परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण के साथ सब्सिडी का प्रावधान।

भारत में इस संबंध में अब तक उठाए गए कदम

- **संवैधानिक/कानूनी/ संस्थागत उपाय:**
  - **स्वच्छता राज्य सूची का विषय है।**
  - भारत का संविधान **अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है**, और **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act), 1955** किसी को हाथ से मैला उठाने के लिए बाध्य करने से रोकता है।
  - **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम (National Commission for Safai Karamcharis Act) 1993** के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। इस आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों को निस्तारित करना है।
  - **सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय का सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम {Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act}, 1993** के तहत, हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन और शुष्क शौचालय के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा जुर्माने एवं कारावास के साथ इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
  - वर्ष 1993 के अधिनियम के अतिरिक्त, **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** मुख्यतः शुष्क शौचालयों के निषेध के साथ-साथ अस्वच्छ शौचालयों, खुले नालों या गड्ढों के मल-मूत्र को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैन्युअल रूप से साफ़ करने हेतु किसी के नियोजन को भी गैर कानूनी घोषित करता है।

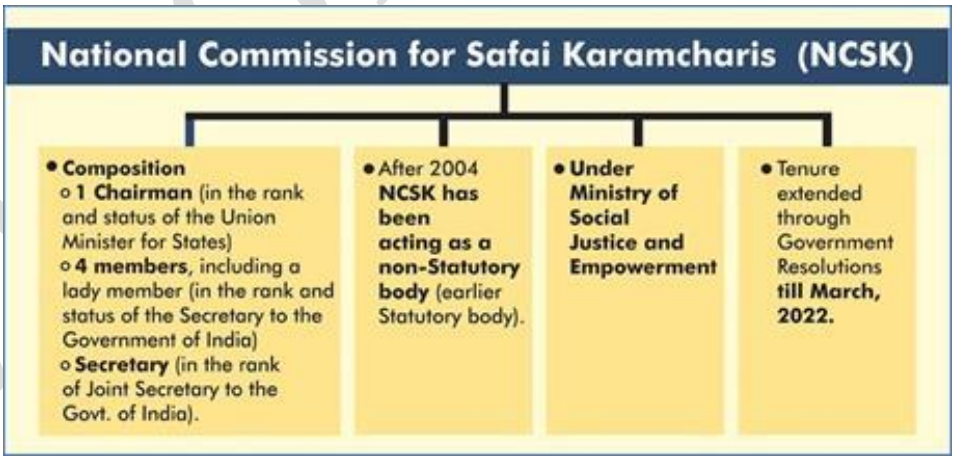

  - वर्ष 1997 में स्थापित **नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवेलेपमेंट कॉरपोरेशन** को इससे संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- **स्वच्छता से संबंधित योजनाएं:**
  - छोटे एवं मध्यम शहरों के समेकित विकास की योजनाएं (वर्ष 1969),
  - संपूर्ण स्वच्छता अभियान, 1999, जिसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया है,
  - स्वच्छ भारत अभियान, 2014
- **पुनर्वास से संबंधित योजनाएं:**
  - मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति की राष्ट्रीय योजना, 1992
  - हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना, जिसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था।

- **सिविल सोसाइटी/ अन्य पहलें:**
  - **सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA), 1995,** वर्तमान में **बेजवाड़ा विल्सन** के नेतृत्व में संचालित, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इसका उद्देश्य जाति-आधारित पेशे का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना और मैला ढोने वालों की गरिमामयी आजीविका की दिशा में उनके पुनर्वास हेतु ठोस प्रयास करना है।
  - वर्ष 2002 में **राष्ट्रीय गरिमा अभियान** का संचालन आरंभ हुआ। यह 13 राज्यों के 30 समुदाय-आधारित संगठनों का एक गठबंधन है। इसके अंतर्गत हाथ से मैला ढोने की प्रथा को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान की शुरूआत की गयी है।
  - **"बैंडीकूट" ("BANDICOOT"):** केरल में मकड़ी के आकार वाले रोबोट को विकसित किया गया है, जो कुशलता के साथ सीवर और नालों की सफाई कर सकता है।

2.6.1. सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड {Sanitation and Hygiene Fund (SHF)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड का शुभारंभ किया है।

SHF के बारे में

- SHF एक वैश्विक वित्त-पोषण तंत्र है, जो **स्वच्छता सेवाओं की कमी और प्रतिक्रिया करने की न्यूनतम क्षमता से उत्पन्न होने वाले रोगों से दबावग्रस्त देशों को त्वरित वित्त-पोषण प्रदान करेगा।**
  - इसका लक्ष्य अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए **आगामी पांच वर्षों में 2 बिलियन डॉलर** जुटाना है।
  - इसे **संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UN Office for Project Services)** द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- **SHF का उद्देश्य:**
  - घरेलू स्वच्छता का विस्तार करना;
  - मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता (sanitation and hygiene) सुनिश्चित करना;
  - स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में सफाई एवं स्वच्छता का प्रावधान करना; तथा
  - अभिनव स्वच्छता समाधानों का समर्थन करना।
- इससे पूर्व, WHO ने **वॉश (वाटर, सेनिटेशन एंड हाइजीन: WASH) रणनीति 2018-2025** को अपनाया था। यह रणनीति दर्शाती है कि किस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों में वॉश जैसे तरीकों को अपनाने और परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों की शुरूआत से WHO ने अपना प्रभाव बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

'स्वच्छ भारत मिशन अकादमी' {Swachh Bharat Mission Academy (SBMA)}

- **इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया है।**
- यह **खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free: ODF) प्लस कार्यक्रम पर मॉड्यूल्स के साथ** एक इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) आधारित **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** है।
  - **ODF प्लस** स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF कार्यक्रम का विस्तार है।
  - इसका उद्देश्य ODF कार्यक्रम को संधारणीय बनाना और **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।
- SBMA स्वच्छाग्रहियों, समुदाय-आधारित संगठनों (community-based organizations), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) {SBM(G)} के द्वितीय चरण से संबंधित अन्य लोगों के **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देगा।**

स्वच्छता अभियान ऐप (Swachata Abhiyan app)

- इस ऐप को **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया है।
- यह ऐप **अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मियों (manual scavengers) की पहचान और उनकी जियो टैगिंग** करेगा।
- यह अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करने और सभी **हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास में सहायता** प्रदान करेगा।

VISION IAS

2.7. आधुनिक दासता (Modern Slavery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'स्टैक्ड ऑड्स' (Stacked Odds)** नामक शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **प्रत्येक 130 में से 1 महिला** आधुनिक दासता के तहत जीवनयापन कर रही है।

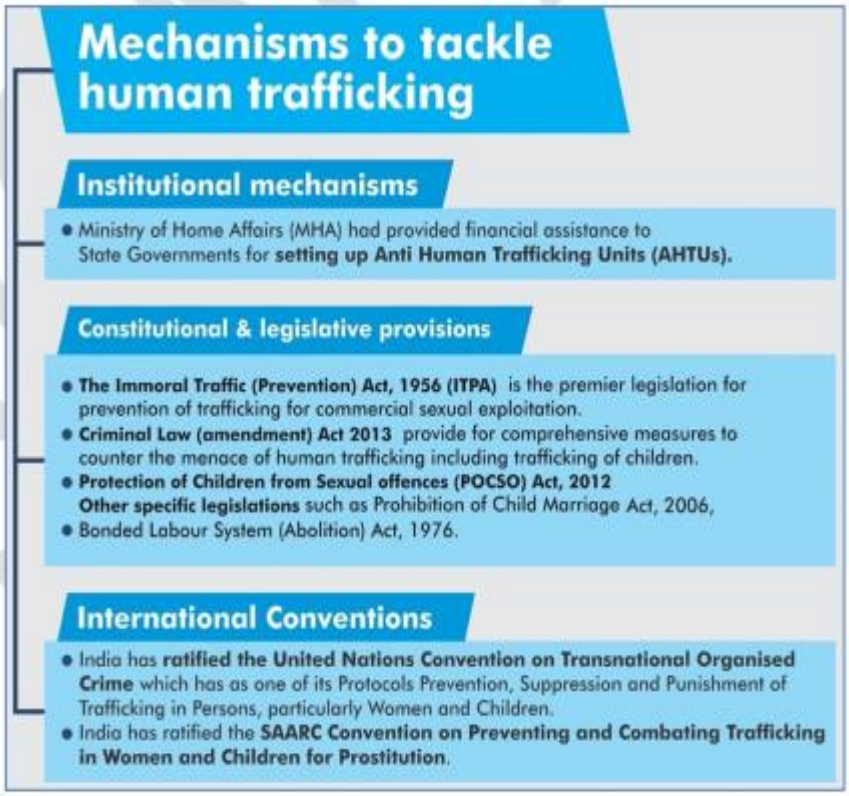

आधुनिक दासता क्या है?

- "आधुनिक दासता" या "समकालिक दासता" की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। अनिवार्य रूप से, **यह शोषण की उन स्थितियों को संदर्भित करती है, जिनसे कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, उत्पीड़न, छल या प्राधिकार के दुरुपयोग के कारण बाहर नहीं निकल सकता।**
- **आधुनिक दासता के कई रूप हैं, जैसे-**
  - **मानव तस्करी,**
  - **बलात श्रम,**
  - **ऋण दासता / बंधुआ मजदूरी,**
  - **वंश आधारित दासता:** इसमें लोगों को संपत्ति के रूप में माना जाता है और दासत्व की उनकी स्थिति पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी रहती है।
  - बाल तस्करी, बाल सैनिकों आदि सहित **बच्चों की दासता।**
  - **जबरन और अल्प आयु में विवाह।**

भारत में आधुनिक दासता

- वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत में 8 मिलियन लोग आधुनिक दासता से ग्रसित थे।
  - 1,000 लोगों में से 6.10 आधुनिक दासता में रहने वाली आबादी का अनुमानित अनुपात है।
  - 100 में से 55.49 लोग आधुनिक दासता के प्रति सुभेद्य हैं।
  - यह सूचकांक **वॉक फ्री** द्वारा जारी किया गया था।

आधुनिक दासता के संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने अपनी दंड संहिता में तस्करी, दासता, बलात श्रम और बाल लैंगिक शोषण सहित आधुनिक दासता के अधिकांश रूपों का अपराधीकरण किया है (उदाहरणार्थ- पॉक्सो अर्थात् लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)।
  - वर्तमान में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के उपयोग के अपराधीकरण के लिए कोई कानून नहीं है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई **उज्ज्वला और स्वाधार योजनाएं** मुक्त की गई महिलाओं के लिए आश्रय एवं पुनर्वास सेवाओं का संचालन करती हैं।
- वर्ष 2016 में सरकार ने **"बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना"** को अपनाया था। यह योजना बंधुआ मजदूरी में फंसे विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें नकद क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।
- **सरकार ने वर्ष 2017 में ILO के दो प्रमुख अभिसमयों की पुष्टि (अनुसमर्थन) की थी, यथा-** रोजगार के लिए न्यूनतम आयु पर अभिसमय-संख्या 138; और बाल श्रम के सबसे निकृष्ट रूपों पर अभिसमय- संख्या 182.

© Vision IAS

2.7.1. बंधुआ मजदूरी (Bonded Labour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय द्वारा NHRC को बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया गया है।

विवरण

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) **बलात् या अनिवार्य श्रम** को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है: "ऐसे सभी कार्य या सेवा जो किसी व्यक्ति से दंड के भय के आधार पर बलपूर्वक प्राप्त किया गया हो तथा जिस हेतु उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया हो"।
- **बंधुआ श्रम एक प्रकार का बलात् श्रम है।**
- वैश्विक दासता सूचकांक (Global Slavery Index), 2016 में **लगभग 1.8 करोड़ भारतीयों के आधुनिक दासता से ग्रसित होने का आंकलन** किया गया था, जिसमें बंधुआ मजदूरी भी शामिल है।
- बंधुआ मजदूरी भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21 और 23** तथा **बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 {Bonded Labour Abolition Act (BLSA), 1976} के तहत निषिद्ध** है।
    - BLSA अन्य अधिनियमों द्वारा भी समर्थित है, जैसे- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; अंतर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 आदि।
    - कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने के उद्देश्य से BLSA बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
    - BLSA को संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - BLSA के तहत सतर्कता समितियों के रूप में जिला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र का प्रावधान किया गया है।
    - राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं।

बंधुआ श्रम के उन्मूलन हेतु केंद्र ने तीन सूत्री रणनीति अपनाई है		
BLSA, 1976 अपराधों पर कार्यवाही हेतु प्रथम या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए **कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्ति प्रदान करता है।**	बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तरों पर **सतर्कता समितियों का गठन।**	**बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजना:** इसके तहत केंद्र और राज्य प्रत्येक द्वारा पुनर्वास के लिए 10,000 रुपये का योगदान दिया जाता है।

अन्य तथ्य

घरेलू नौकर (Domestic Workers)

- हाल ही में, घरेलू नौकरों (घर के कार्यों से संबंधित) द्वारा **नियोक्ताओं एवं घरेलू नौकरों के सार्वभौमिक पंजीकरण** और इस संबंध में **राष्ट्रीय कानून की मांग करते हुए** एक घोषणा-पत्र जारी किया गया है।
    - कोविड-19 के परिणामस्वरूप, अनेक लोग आजीविका, सुरक्षात्मक उपकरण और वायरस के बारे में सूचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक न्यायोचित पहुँच से वंचित हो गए हैं।
    - कम से कम 85 प्रतिशत श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, **घरेलू कार्य से तात्पर्य घर के कामकाज से** है, जैसे कि सफाई करना, खाना बनाने का कार्य, बच्चों की देखभाल और ऐसे अन्य कार्य जो पारिश्रमिक हेतु किसी नियोक्ता के लिए किए जाते हैं।
    - ये कार्य **निरक्षर महिलाओं या अल्प शिक्षित लोगों** को आजीविका हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं।
    - **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** के अनुसार, वर्ष 2011-12 में भारत में घरेलू नौकरों की संख्या 37.4 मिलियन थी।
- घरेलू कार्यों से संबंधित श्रमिकों के संबंध में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता हो, न्यूनतम वेतन को अनिवार्य करता हो और प्रति दिन कार्य के अधिकतम घंटों को निर्धारित करता हो।

- **इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास:**
  - **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (Unorganized Workers' Social Security Act, 2008)** और **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 {Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013}** लागू किए गए हैं।
  - केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों ने **घरेलू नौकरों के लिए कल्याण बोर्डों का गठन** किया है, जहां पर वे पंजीकरण पश्चात कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2.8. शहरी निर्धन (Urban Poor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शहरी अनौपचारिक श्रमिकों पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के अत्यंत दुष्प्रभाव तथा शहरों से अपने मूल स्थानों की ओर किए गए प्रवासन ने शहरी निर्धनों के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

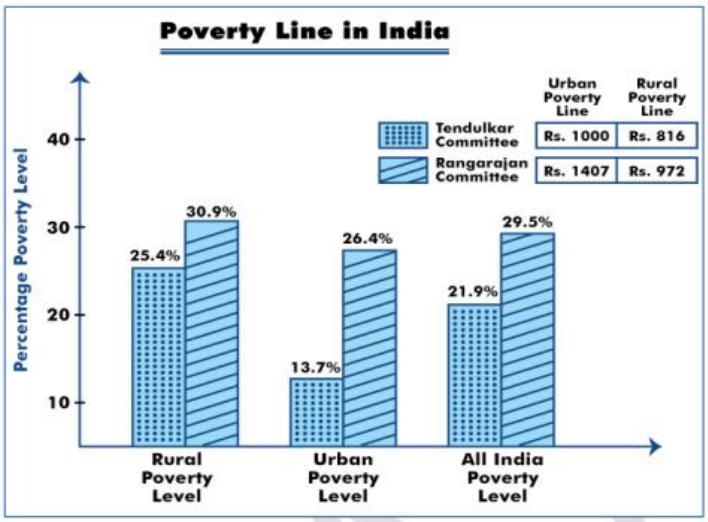

विवरण

- विगत शताब्दी में, भारत की शहरी जनसंख्या में काफी तीव्रता से वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1901 में भारत की शहरी जनसंख्या 25 मिलियन थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 377 मिलियन हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग **31.2%** है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरों की लगभग 17.7% जनसंख्या (लगभग 65 मिलियन लोग) मलिन बस्तियों में निवास करती है।
- केंद्रीय स्तर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी निर्धनों के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है।

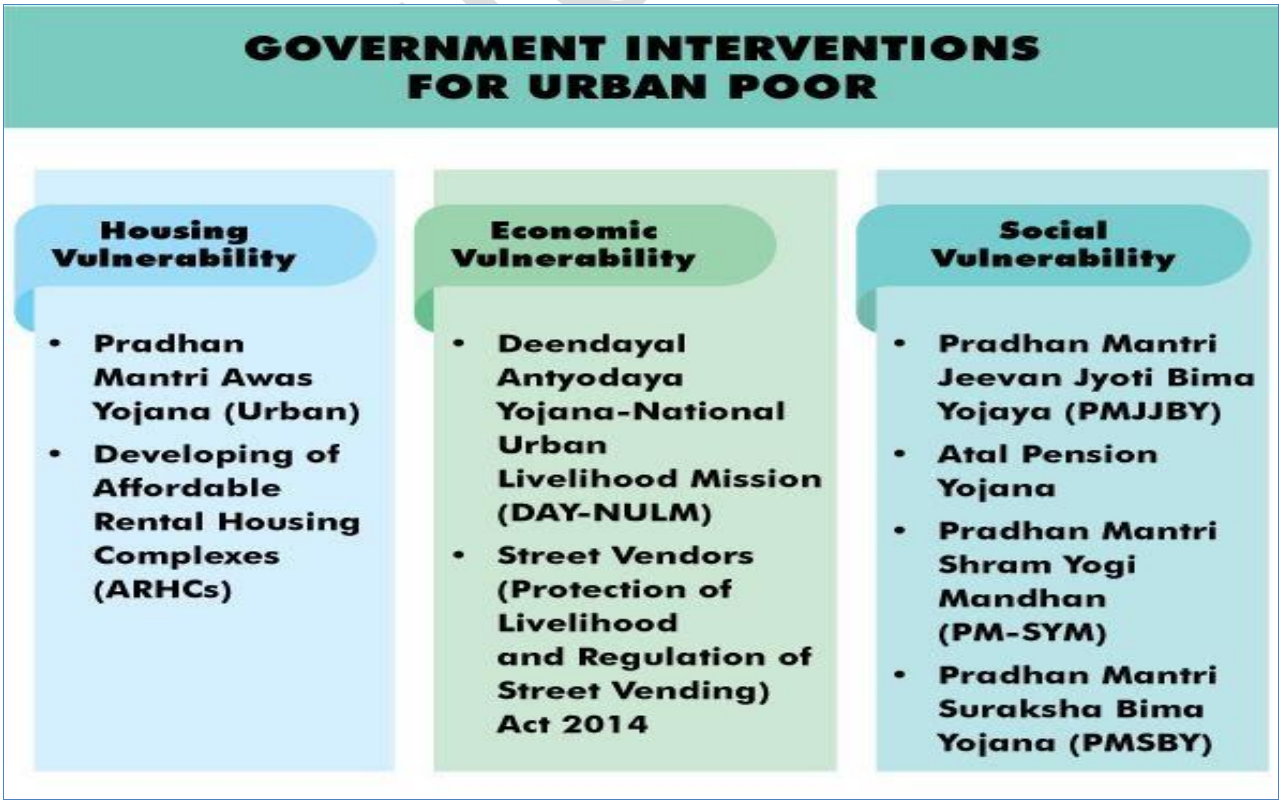

© Vision IAS

2.9. प्रवासी कामगार (Migrant Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने **प्रवासी संकट पर उच्चतम न्यायालय (SC) के हस्तक्षेप की मांग** की थी।

सुझाए गए उपाय:

- **अंतर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक (नियोजन तथा सेवा परिस्थितियों का विनियमन) अधिनियम, 1979** में आपातकालीन स्थितियों जैसे कि कोविड-19, प्राकृतिक आपदाओं आदि से निपटने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए जाएं।
- **असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित किए गए जाएं।

अंतर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक (नियोजन तथा सेवा परिस्थितियों का विनियमन) अधिनियम, 1979 {Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979}

- यह अधिनियम, अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों के रोजगार को विनियमित करने और रोजगार की उचित और सभ्य स्थिति प्रदान करने के लिए अधिनियमित गया था।
- यह अन्य श्रमिकों के समान न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि के लिए प्रावधान करता है।
- इसमें अंतर्राज्यीय प्रवासियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, और ऐसे काम करने वाले ठेकेदारों को उपयुक्त सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
  - ठेकेदार संबंधित प्राधिकारी को सभी श्रमिकों का विवरण प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।
  - ठेकेदारों को नियमित भुगतान, गैर-भेदभाव, उपयुक्त आवास की व्यवस्था, कामगारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और सुरक्षात्मक कपड़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रारंभ की गई अन्य पहलें

अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक (Interstate Migrant Policy index: IMPEX)

यह सूचकांक **इंडिया माइग्रेशन नाउ** (एक गैर-लाभकारी संगठन) द्वारा जारी किया गया है। यह प्रवासी एकीकरण नीतियों के आधार पर सभी राज्यों की तुलना करता है और उन्हें रैंक प्रदान करता है। यह बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, राजनीतिक समावेशन आदि जैसे नीतिगत क्षेत्रों की जांच करता है।

राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (National Migrant Information System: NMIS)

- इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा विकसित किया गया है।
- NMIS राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका एक केंद्रीय ऑनलाइन भंडार है।
- यह तीव्र अंतरराज्यीय संचार/ समन्वय में सहायता करेगा।
- इसके **कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग** जैसे अतिरिक्त लाभ हैं, जो समग्र कोविड-19 प्रतिक्रिया में उपयोगी हो सकते हैं।

असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database for Unorganised Workers: NDUW)

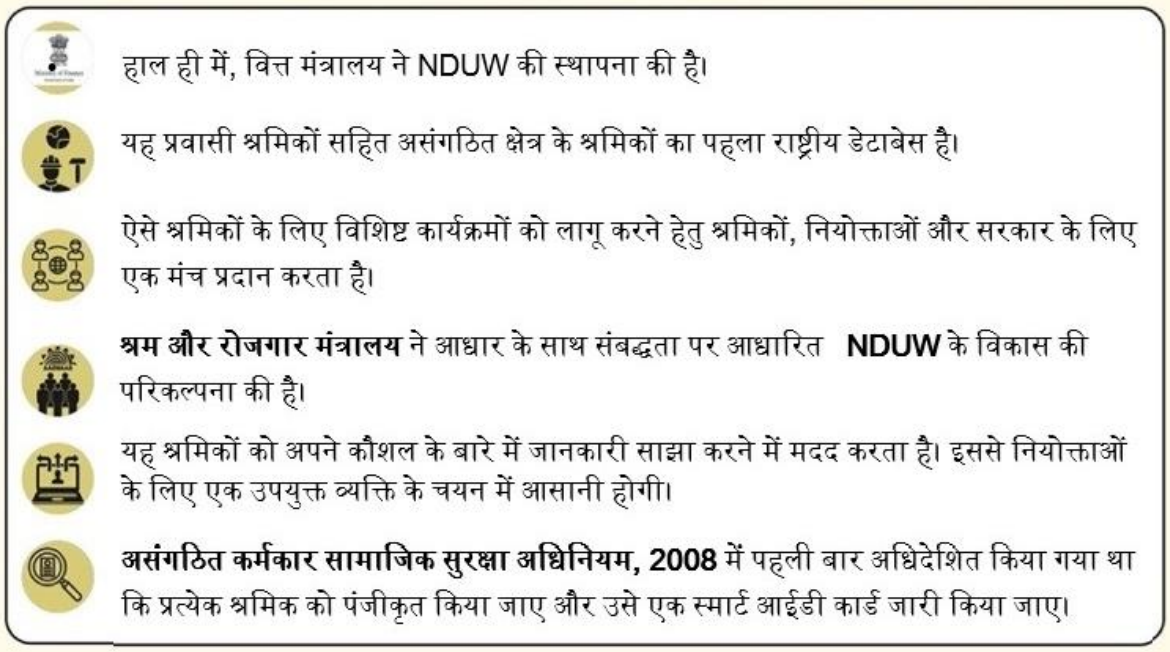

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (Unorganised Workers Social Security Act, 2008) के बारे में

- यह घरेलू कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान करता है।
- यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात जीवन और अक्षमता संबंधी कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ एवं वृद्धावस्था की सुरक्षा प्रदान करता है।
- राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए अधिदेशित किया गया है जिसमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं:
  - जीवन और अक्षमता कवर,
  - स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ,
  - वृद्धावस्था में संरक्षण
  - भविष्य निधि से संबंधित,
  - रोजगार के दौरान शारीरिक चोट संबंधी लाभ, आवास
  - बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएं, और
  - श्रमिकों का कौशल उन्नयन।

© Vision IAS

3. शिक्षा (Education)

3.1. नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

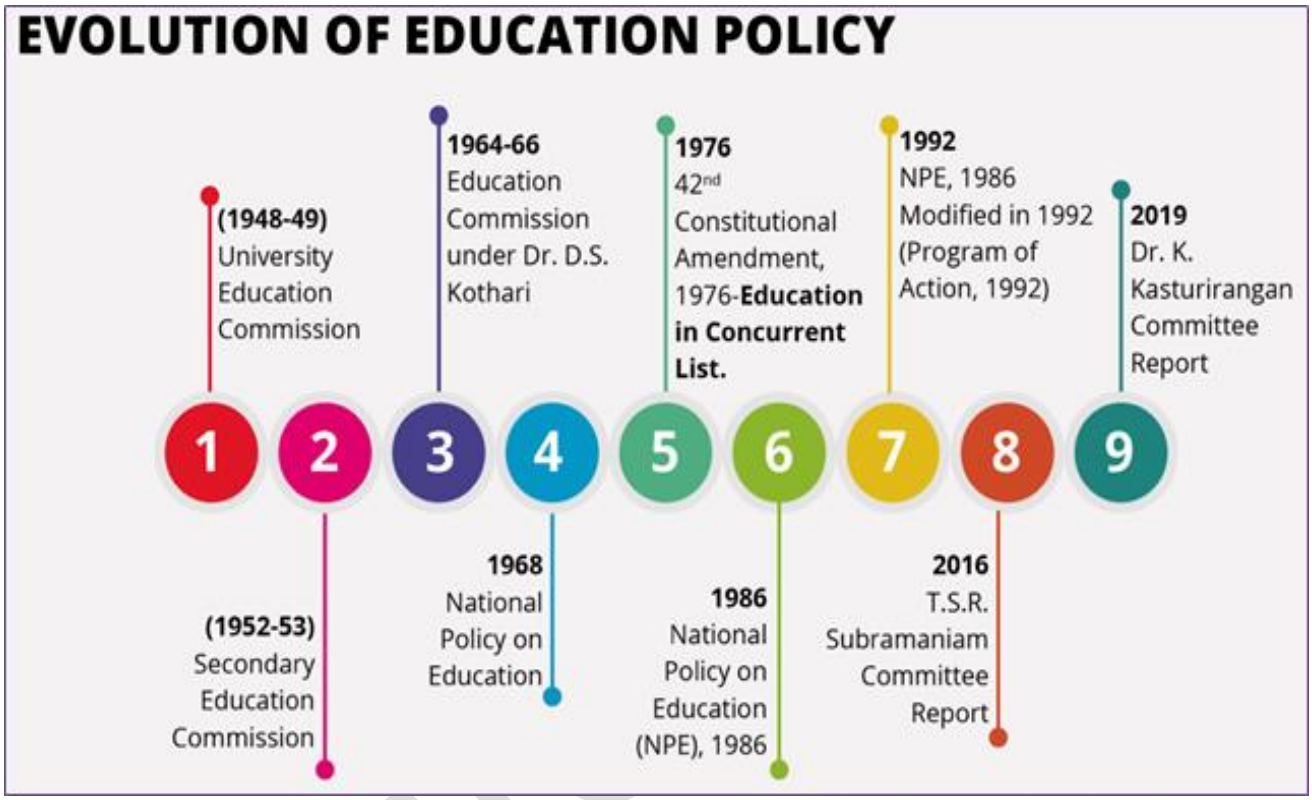

इस नीति के बारे में

- इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है।
- यह शिक्षा नीति वर्ष 1986 (34 वर्ष पूर्व) में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का स्थान लेगी।
- इन सुधारों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) को शिक्षा और अध्ययन पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) के रूप में पुनः नामित किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 का विज़न

- ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना, जो सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करके एक समतामूलक तथा जीवंत ज्ञान से परिपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान कर सके।
- अपने देश के साथ एक दृढ़ बंधन स्थापित करते हुए मूल अधिकारों, कर्तव्यों तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की एक गहन भावना का सृजन करना तथा परिवर्तित होते विश्व में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों के विषय में सचेतन जागरूकता विकसित करना।
- ऐसे कौशलों, मूल्यों एवं प्रवृत्तियों को अंतर्निविष्ट करवाना, जो मानवाधिकारों, सतत विकास तथा आजीविका और वैश्विक कल्याण के प्रति उत्तरदायी प्रतिबद्धता का समर्थन करे व जिससे सही अर्थों में एक सच्चे वैश्विक नागरिक का प्रतिबिंबन होता हो।

3.1.1. विद्यालयी शिक्षा (School Education)

आयाम	विवरण
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)	• **3-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता:** 3-6 वर्ष के आयु वर्ग (बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण आयु चरण) के अब तक वंचित रहे बच्चों को विद्यालयी पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाना। • **ECCE आंगनवाड़ियों और प्री-स्कूलों के माध्यम से प्रदान की जाएगी,** जिनमें ECCE शिक्षाशास्त्र एवं पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती किए जाएंगे। • प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कम से एक वर्ष को समाविष्ट करने वाले **प्री-स्कूल संभाग को** केंद्रीय विद्यालयों एवं अन्य प्राथमिक विद्यालयों **(विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में)** में अंत:स्थापित किया जाएगा। • राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठयक्रम और शैक्षणिक ढांचा (NCPFECCE)** विकसित करेगी। • **ECCE का कार्यान्वयन** मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास (WCD) मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (HFW) मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा **संयुक्त रूप से किया जाएगा।**
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति	• मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन।** • **राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति** को भी तैयार किया जाना है। • बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विषय पर उच्च गुणवत्तापूर्ण संसाधनों के राष्ट्रीय निक्षेपागार को **'ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल अवसंरचना' (दीक्षा/DIKSHA)** पर उपलब्ध

© Vision IAS

	कराया जाएगा।
सभी स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा अवधि के दौरान ही विद्यालय छोड़ने (Dropouts) की दरों को कम करना तथा विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना	इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक **प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER)** प्राप्त करना है। यह उपलब्धि अर्जित करने के लिए निम्नलिखित पहलें कार्यान्वित की गई हैं: • **प्रभावी तथा पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करना** ताकि सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित और मनोनुकूल विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। 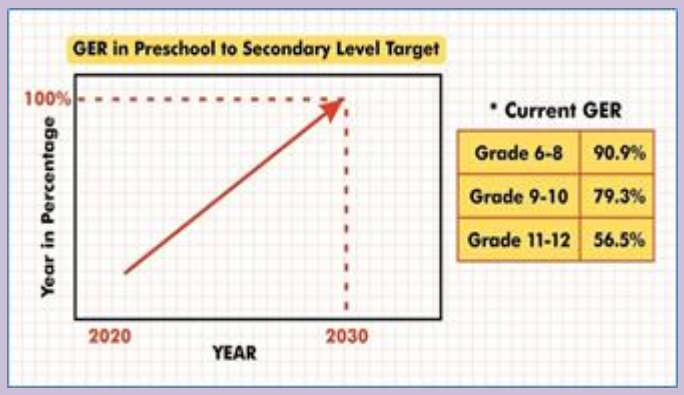 • राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा **प्रस्तुत मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL)** कार्यक्रम को, **सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs)** पर विशेष बल देते हुए विस्तारित और सशक्त किया जाएगा। • **परामर्शदाताओं या भलीभांति प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्रों** तथा साथ ही साथ उनकी शिक्षा के स्तर की निगरानी करना।
पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र	• विद्यालयी पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को **नए 5+3+3+4 प्रतिमान** में नव स्वरूप प्रदान करना। ○ **5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज (बुनियादी चरण) (3-8 वर्ष के आयु वर्ग को समाहित करने वाला):** आंगनबाड़ी/प्री-स्कूल के 3 वर्ष + कक्षा 1-2 में प्राथमिक विद्यालय के 2 वर्ष; ○ **प्रीप्रेटरी स्टेज (तैयारी चरण) के 3 वर्ष (8-11 वर्ष के आयु वर्ग):** कक्षा 3, 4 और 5; ○ **मिडिल स्टेज (मध्य चरण) के 3 वर्ष (11-14 वर्ष के आयु वर्ग):** कक्षा 6, 7 एवं 8 तथा ○ **सेकेंडरी स्टेज (उच्च चरण) के 4 वर्ष (14-18 वर्ष के आयु वर्ग):** कक्षा 9, 10, 11 व 12 • आवश्यक अधिगम और अपरिहार्य चिंतन को संवर्धित करने के लिए **पाठ्यक्रम सामग्री में कमी करना।** 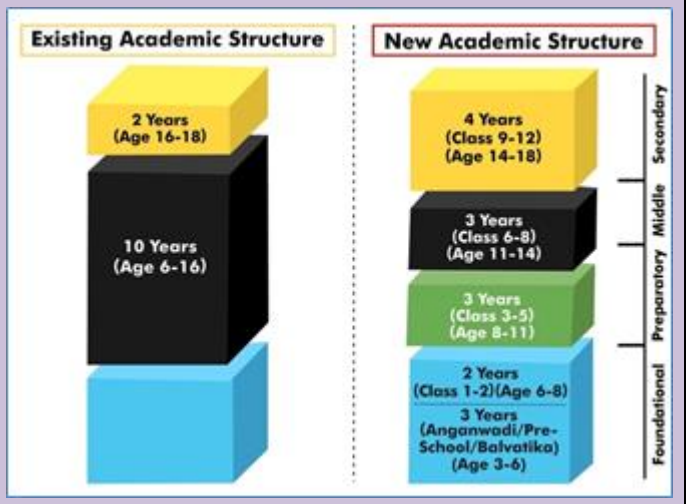 • व्यावहारिक व क्रियाशील अधिगम तथा कला-समेकित और खेल-समेकित शिक्षा सहित सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा अपनाई जाएगी। • **विभिन्न प्रकार के विषय संयोजन के चयन की स्वतंत्रता:** कला, मानविकी एवं विज्ञान के मध्य, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर व सह-पाठ्यक्रम के बीच तथा व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के मध्य कठोर रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग (स्वस्थ जीवन शैली अर्थात कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग से विहीन खाद्य सामग्री का उपयोग करना), पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (GCED) आदि **जैसे समकालीन विषयों का आरम्भ किया जाएगा।** • कक्षा 6-8 के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन की बैग-विहीन अवधि के माध्यम से **व्यावसायिक**

	शिक्षा, जहां विद्यार्थी बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे **स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों** से कुछ कौशल अर्जित करेंगे। • **NCERT द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठयक्रम रूपरेखा** विकसित की जाएगी।
छात्र आकलन	• **कक्षा 3, 5 और 8 की विद्यालयी परीक्षाओं को** उचित प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किया जाएगा। • **कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएंगी, परंतु समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा।** • **राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (PARAKH) (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण)**, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मानकों का निर्धारण करने वाले एक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। • सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाली (360 डिग्री) एक बहुआयामी रिपोर्ट के साथ **समग्र विकास कार्ड,** जो प्रगति के साथ-साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और मन:प्रेरक (साइकोमोटर) प्रक्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता को दर्शाता हो। इसमें स्व-आकलन, साथियों के द्वारा आकलन और शिक्षक आकलन भी सम्मिलित होंगे। • **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** पूर्वस्नातक और स्नातक प्रवेशों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करने और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में फ़ेलोशिप के लिए स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगी।
बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति	• कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक **शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी।** • विद्यार्थियों को **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** पहल के तहत **'भारत की भाषाओं'** पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा। • **त्रि-भाषा सूत्र का अधिक नम्यता के साथ कार्यान्वयन।** • **सभी शास्त्रीय भाषाएँ** (संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया) स्कूलों में विकल्प के रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, पाली, फारसी और प्राकृत भी व्यापक रूप से विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी। • **भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL)** को संपूर्ण देश में **मानकीकृत किया जाएगा।**

समान और समावेशी शिक्षा - सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए प्रावधान (Equitable and Inclusive Education-Provisions for Socio-Economically Disadvantaged groups-SEDGs)	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किए गए प्रमुख प्रावधान**
	• निम्नलिखित की स्थापना करना-
	  ○ महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए **जेंडर समावेशन कोष।**
	  ○ **विशेष शिक्षा क्षेत्र** (SEZs)- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की (SEDGs) बड़ी आबादियों वाले अंचलों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZs) घोषित किया जाएगा।
	• **दिव्यांग बच्चों को** बुनियादी चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में पूर्णतया भाग लेने के लिए सक्षम किया जाएगा।
	• प्रत्येक राज्य / जिले को कला, करियर और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए **विशेष दिवसकालीन बोर्डिंग स्कूल** के रूप में, **"बाल भवन"** स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
	• सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय की निशुल्क अवसंरचना का **सामाजिक चेतना केंद्रों** के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
	• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए **जनजातीय समूहों से संबंधित बच्चों के लिए विशेष तंत्र।**
	• **सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs)** के मेधावी छात्रों के लिए **शुल्क छूट और छात्रवृत्ति** प्रदान की जाएगी।
	• **अतिरिक्त विद्यालय- आकांक्षी जिलों/ विशेष शिक्षा क्षेत्रों** (SEZs) में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) तथा केंद्रीय विद्यालयों (KVs) की स्थापना की जाएगी।

प्रभावकारी शिक्षक शिक्षा और भर्ती	• वर्ष 2021 तक **शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की**

© Vision IAS

	जाएगी। • वर्ष 2030 तक, अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री पात्रता **4 वर्षीय एकीकृत बी.एड.** डिग्री होगी। • बी.एड. में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। • उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय के एक वृहद समूह से **'राष्ट्रीय परामर्श (मेंटरिंग) मिशन'** की स्थापना की जाएगी। • सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में मौलिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरण में **सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TETs) अनिवार्य होगी।** • कक्षा शिक्षण में शिक्षाशास्त्र के पहलुओं के चयन **हेतु शिक्षकों को** अधिक **स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।** • राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा वर्ष 2022 तक **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST)** विकसित किए जाएंगे। • **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का पुनर्गठन-** NCTE को सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) के अंतर्गत एक व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय (PSSB) के रूप में पुनर्गठित किया जाना है।
स्कूल प्रशासन	• विद्यालयों को ऐसे परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो प्रशासन की मूल इकाई होंगे और एक प्रभावकारी पेशेवर शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। • विद्यालयों में विद्यालय विकास योजनाएं (SDPs) विकसित की जाएंगी। ये योजनाएं तब विद्यालय परिसर/क्लस्टर विकास योजनाओं (SCDPs) के निर्माण का आधार बन जाएंगी। • देश भर में एक **पब्लिक स्कूल का एक निजी स्कूल के साथ युग्मन/जोड़ा बनाने की प्रक्रिया** अपनाई जाएगी, ताकी युग्मित स्कूल एक दूसरे से सीख सकें और यदि संभव हो तो संसाधनों को भी साझा कर सकें।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक- निर्धारण और प्रत्यायन	• नीति निर्माण, विनियमन, संचालन और अकादमिक मामलों के लिए स्पष्ट व पृथक प्रणालियों की परिकल्पना की गई है। • राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा **स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) की स्थापना की जाएगी।** • राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा **स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना (SQAAF) विकसित की जाएगी।** • **सरकारी और निजी स्कूलों** (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता प्राप्त/नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर) **का आकलन करने और मान्यता प्रदान करने के लिए एक ही मापदंड का उपयोग किया जाएगा।** • **समग्र प्रणाली की आवधिक 'स्वास्थ्य जांच'** के लिए प्रस्तावित, नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (PARAKH) द्वारा, छात्रों के अधिगम स्तरों का एक प्रतिदर्श आधारित **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)** संपन्न किया जाएगा। 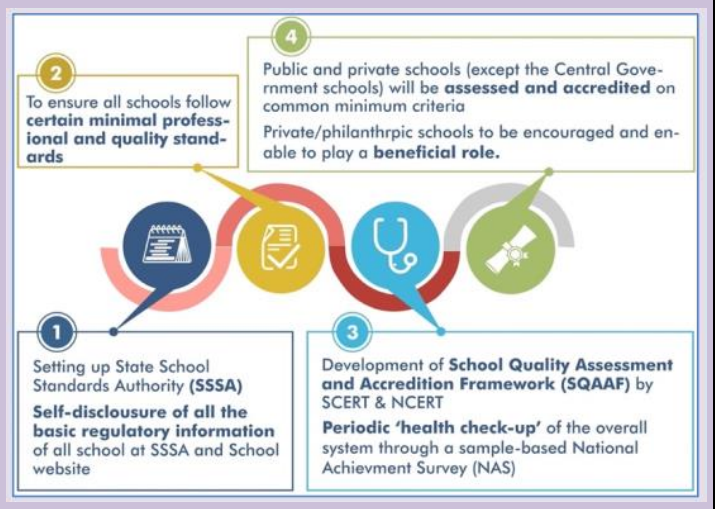

3.1.2. उच्चतर शिक्षा (Higher Education)

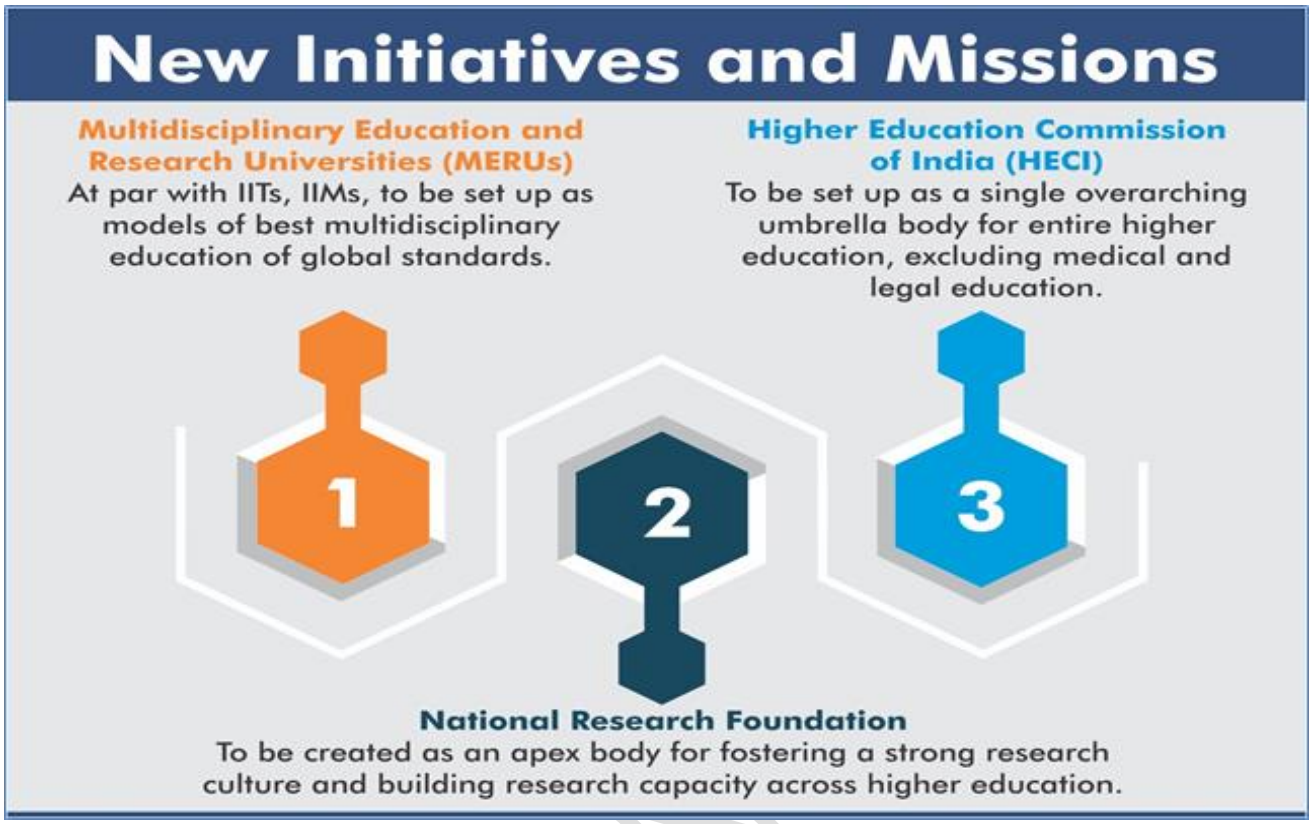

संस्थागत पुनर्गठन एवं समेकन	• सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को तीन प्रकार के संस्थानों में समेकित किया जाएगा, यथा- ○ **अनुसंधान विश्वविद्यालय:** अनुसंधान एवं शिक्षण पर समान ध्यान दिया जाएगा; ○ **शिक्षण विश्वविद्यालय:** अनुसंधान पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा तथा ○ **स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज:** लगभग संपूर्ण ध्यान शिक्षण पर केंद्रित होगा। 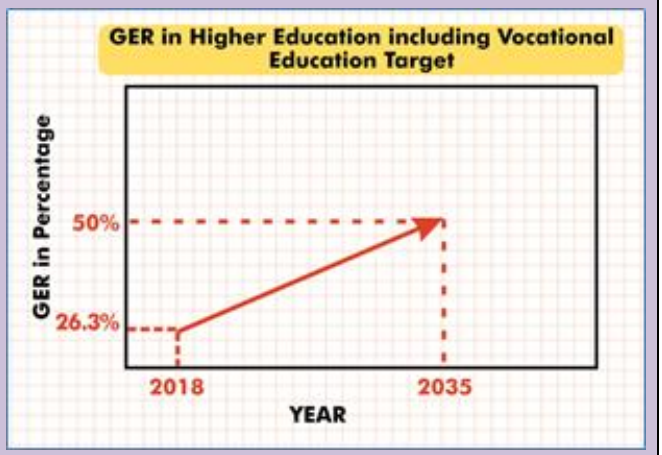 • महाविद्यालयों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा तथा महाविद्यालयों को **क्रमिक स्वायत्तता** प्रदान करने के लिए एक चरण-वार तंत्र स्थापित किया जाएगा। • यह परिकल्पना की गई है कि एक निर्धारित अवधि में, प्रत्येक महाविद्यालय एक स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के एक घटक महाविद्यालय के रूप में विकसित होगा। • वर्ष 2040 तक, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा। • वर्ष 2030 तक, प्रत्येक जिले में या उसके आसपास कम से कम **एक वृहद बहु-विषयक HEI स्थापित होगा।** • इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को **26.3% (2018) से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना है।**
समग्र बहुविषयक शिक्षा	• नीति में **लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण तथा उपयुक्त प्रमाणन**

 © Vision IAS

	के साथ कई प्रवेश व निकास बिंदुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। • विभिन्न HEIs से अर्जित **शैक्षिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट** की स्थापना की जाएगी, ताकि इन्हें प्राप्त अंतिम डिग्री में अंतरित किया जा सके एवं उनकी गणना की जा सके। • देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के प्रतिमानों के रूप में आई.आई.टी., आई.आई.एम. के समकक्ष **बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु/MERU) स्थापित किए जाएंगे।** • संपूर्ण उच्च शिक्षा में एक सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।
विनियमन	• चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा के अतिरिक्त, शेष **उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण सर्वसमावेशी निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना की जाएगी। HECI के चार स्वतंत्र स्तर होंगे, यथा-** ○ विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामकीय परिषद (NHERC), ○ मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (GEC), ○ वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC), ○ प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)। • **सार्वजनिक एवं निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान,** विनियमन, प्रत्यायन व अकादमिक मानकों के लिए **समान मानदंडों द्वारा ही शासित होंगे।**
उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) का अंतर्राष्ट्रीयकरण	• **अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम**, सामाजिक संलग्नता हेतु सार्थक अवसर, गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं एवं संस्थान में कहीं भी सहायता प्रदान करना आदि। • **प्रत्येक HEI में,** विदेश से आने वाले छात्रों का स्वागत व उनकी सहायता से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाला **एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय** स्थापित किया जाएगा। • **उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा** तथा इसी प्रकार, विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में परिचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी। • **इस प्रकार की प्रविष्टि को सुविधाजनक बनाने वाला एक विधायी ढांचा** तैयार किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समतुल्य विनियामकीय, अभिशासनात्मक व सामग्री मानदंडों के संदर्भ में **विशेष व्यवस्था** की जाएगी। • भारतीय संस्थानों एवं वैश्विक संस्थानों के मध्य **अनुसंधान सहयोग व छात्र विनिमय** को बढ़ावा दिया जाएगा। • प्रत्येक HEI की आवश्यकताओं के अनुसार, जहां उपयुक्त होगा, **विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त क्रेडिट** को भी डिग्री प्रदान करते समय सम्मिलित किया (गिना) जाएगा।
समानता और समावेशन	**सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम** • सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (SEDGs) की शिक्षा के लिए **उपयुक्त सरकारी निधि** निर्धारित की जाएगी। • SEDGs के लिए उच्च सकल नामांकन अनुपात (GER) हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। • HEIs में प्रवेश में छात्र-छात्रा संतुलन में वृद्धि की जाएगी। • आकांक्षी जिलों तथा SEDGs की बड़ी आबादी वाले विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZs) में उच्च गुणवत्ता वाले अतिरिक्त HEIs की स्थापना करके पहुंच बढ़ाई जाएगी। **सभी HEIs द्वारा किए जाने वाले उपाए** • उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर लागत एवं शुल्क को कम करना। • SEDGs को अधिक वित्तीय सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान करना। • पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। • लैंगिक-पहचान के मुद्दे पर संकाय, परामर्शदाता एवं छात्रों की संवेदनशीलता (जागरूकता) सुनिश्चित करना। • सभी गैर-भेदभाव व उत्पीड़न-विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करना।

3.1.3. अन्य प्रमुख प्रावधान (Other Major Provisions)

शिक्षा का वित्तपोषण	• शिक्षा क्षेत्रक में **सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर उसे सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक** करने के लिए केंद्र व राज्य मिलकर कार्य करेंगे। • नवीन शिक्षा नीति **शिक्षा क्षेत्रक में निजी परोपकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन व सहयोग** प्रदान करने का आह्वान करती है।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी	• शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन तथा प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त विनिमय हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)** का निर्माण किया जाएगा। • कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने तथा वंचित समूहों की शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए **शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण** किया जाएगा।
प्रौढ़ शिक्षा	• नीति का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता** प्राप्त करना है। • **कक्षाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात विद्यालयों/ विद्यालय परिसरों** तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा। • प्रौढ़ शिक्षा के लिए **गुणवत्तायुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प** जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।
ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा	• जब कभी और जहां भी पारंपरिक एवं व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ-साथ, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की **विस्तारपूर्वक अनुशंसाएं** की गई हैं। • डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सामग्री एवं क्षमता निर्माण के समन्वय के प्रयोजनार्थ विद्यालय व उच्च शिक्षा, दोनों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) में एक समर्पित इकाई का गठन किया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा	• सभी व्यावसायिक शिक्षाएं उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। • स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी व कृषि विश्वविद्यालय आदि बहु-विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
भारतीय भाषाओं, कलाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन	• भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, रचनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन आदि में सशक्त विभाग गठित किए जाएंगे एवं कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे तथा इन्हें देश भर में विकसित किया जाएगा। साथ ही, इन विषयों में 4-वर्षीय बी.एड. की दोहरी डिग्री सहित अन्य डिग्रियां भी विकसित की जाएंगी। • स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्तकला को प्रोत्साहित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहां अध्ययन करते हैं, वे वहां की संस्कृति व स्थानीय ज्ञान से अवगत हों, **उत्कृष्ट स्तर के स्थानीय कलाकारों व शिल्पकारों** को **अतिथि संकाय** के रूप में नियुक्त किया जाएगा। • प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान एवं यहां तक कि प्रत्येक विद्यालय या विद्यालय परिसर में छात्रों को कला, रचनात्मकता व क्षेत्र / देश के समृद्ध कोष से परिचित कराने के लिए **कलाकारों के नियोजन {Artist(s)-in-Residence} की पृथक व्यवस्था करनी होगी।** • अनुवाद एवं व्याख्या, कला व संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व आदि में **उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्यक्रम तथा डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे।** • **भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा** के संदर्भ में नवीनतम अवधारणाओं के लिए सरल परंतु सटीक शब्दावली का निर्धारण करने तथा नियमित आधार पर शब्दकोशों को जारी करने के लिए विद्वानों व देशी वक्ताओं को नियोजित करते हुए अकादमियों की स्थापना की जाएगी।

© Vision IAS

3.2. राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) परियोजना {Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की प्रणाली को सुदृढ़ करने में राज्यों की सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त-पोषित **स्टार्स (STARS) परियोजना** को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है।

स्टार्स परियोजना के बारे में

- स्टार्स परियोजना के अंतर्गत बेहतर शिक्षा परिणामों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हस्तक्षेपों को अपनाने, उन्हें लागू करने, उनका आकलन करने व उनमें सुधार करने में राज्यों की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर श्रम बाजार आउटकम के लिए स्कूलों को अपनी रणनीति में बदलाव या सुधार के लिए कार्य करना होगा।
- इस परियोजना के संपूर्ण सकेंद्रण और इसके घटकों को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP) 2020** के **गुणवत्ता आधारित अधिगम परिणामों (Quality Based Learning Outcomes)** के उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है।
- इस परियोजना में **6 राज्य,** यथा- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं।
    - शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चिन्हित किए गए राज्यों का विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए समर्थन किया जाएगा।
- 15 लाख स्कूलों के लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी (6-17 वर्ष के मध्य) और 1 करोड़ से अधिक शिक्षक इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।
- इसका क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय (MOE) के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के अंतर्गत **केंद्र प्रायोजित एक नई योजना** के रूप में किया जाएगा।
- इस परियोजना की लागत को **विश्व बैंक और भागीदार राज्यों के मध्य साझा किया जाता है।** इसके तहत विश्व बैंक द्वारा सहयोग **परिणाम आधारित वित्तपोषण साधन** (जिसे 'परिणाम के लिए कार्यक्रम' (Program for Results: PforR) कहा जाता है) के रूप किया जाएगा।

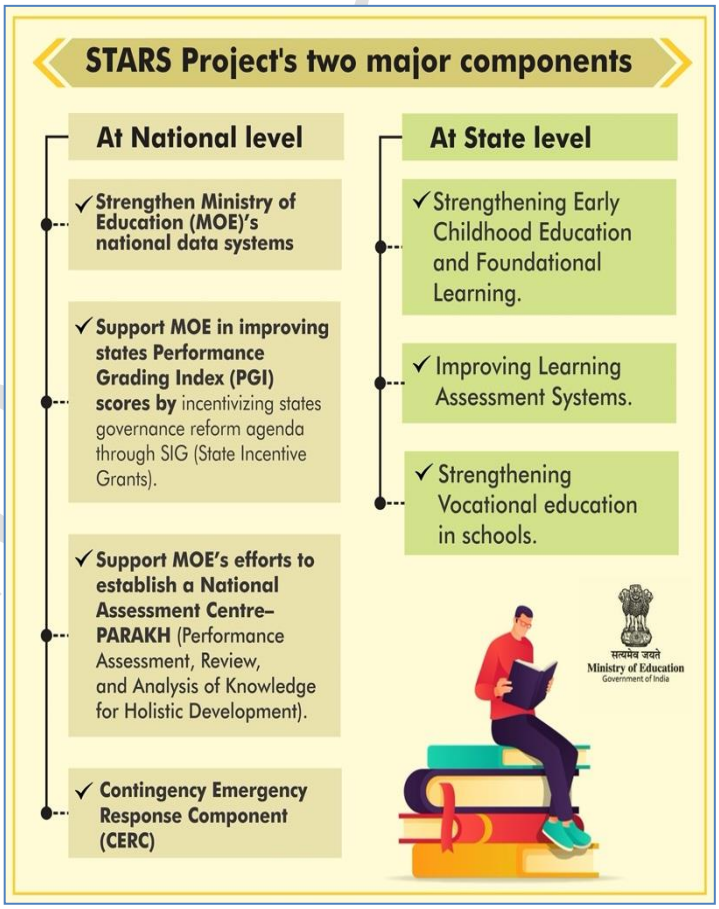

- यह **संवितरण से जुड़े संकेतकों (Disbursement-Linked Indicators - इसके तहत निधियों को सहमत परिणामों के समुच्चय को प्राप्त करने पर जारी किया जाता है।) के समुच्चय** के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रमुख सुधार सुनिश्चित करेगा। **राज्य प्रोत्साहन अनुदान** (SIG) का उपयोग राज्यों को वांछित परियोजना के परिणामों को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में **प्रधान मंत्री ई-विद्या; बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक रूपरेखा पहल** पर ध्यान केंद्रित करना भी है।
- यह योजना **अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम (Program for International Student Assessment: PISA) 2021** में भारत की भागीदारी के लिए कई वर्षों तक निधि की आपूर्ति भी करेगी।

3.3. प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister Research Fellows: PMRF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने PMRF योजना में संशोधनों की घोषणा की है।

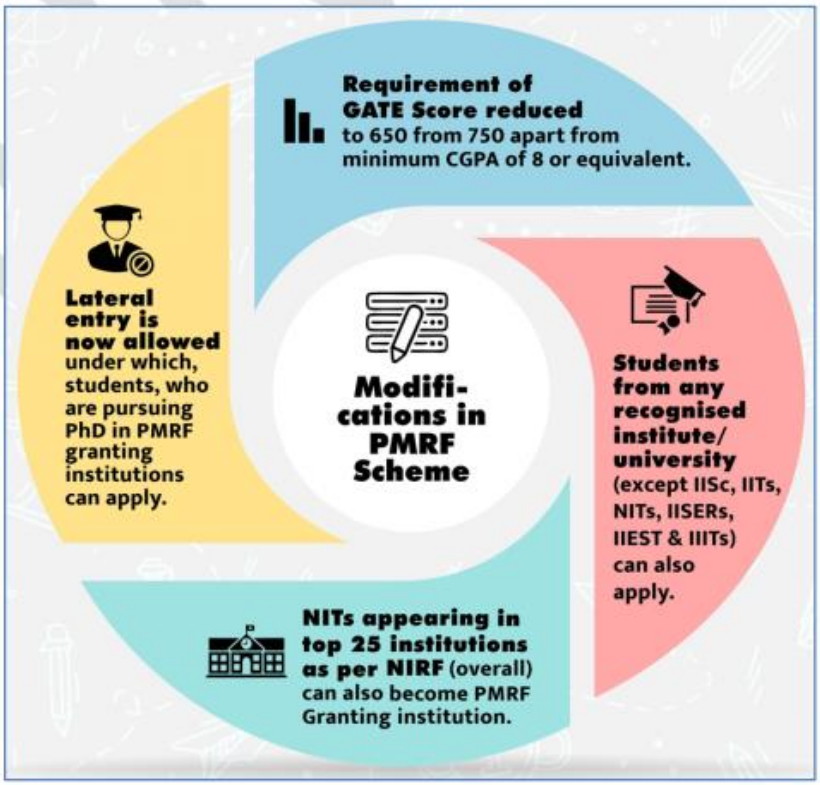

PMRF योजना के बारे में

- PMRF योजना देश के विभिन्न **उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए, वर्ष 2018-19 से आरंभ करते हुए सात वर्षों की अवधि** के लिए शुरू की गई थी।
  - इसके अंतर्गत, वे छात्र जो IISc / IIT / NIT / IISER / IIIT में बी.टेक या इंटीग्रेटेड एम.टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में एम.एस.सी (MSc) के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं या अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं, को IIT/ IISc में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश की सुविधा दी जाएगी।
  - यह योजना आकर्षक फेलोशिप व शोध अनुदान के साथ शोध के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास करती है।
- अब देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, MoE ने कुछ अन्य संशोधन किए हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

अन्य संबंधित तथ्य:

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (Maulana Azad National Fellowship: MANF) योजना

- इस योजना में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, यथा- बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदायों के छात्रों को एम.फिल और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष की फेलोशिप प्रदान की जाती है।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से MANF को लागू करता है।
- वर्ष 2019-20 के लिए उम्मीदवारों का चयन **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) द्वारा आयोजित JRF-NET (जूनियर रिसर्च फेलो- नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा के माध्यम** से किया गया है।
  - वर्ष 2019-20 से पूर्व, उम्मीदवारों का चयन उनके स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के आधार पर किया गया था।

प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (Prime Minister's Special Scholarship Scheme: PMSSS)

- इस योजना को **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा कार्यान्वित** किया जा रहा है।
- PMSSS की शुरुआत वर्ष 2010 में J&K और लद्दाख के युवाओं के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से की गई थी, जो उन्हें सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने पर केंद्रित थी।
- **छात्रवृत्ति के घटक:** शैक्षणिक शुल्क और रखरखाव भत्ता।

3.4. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020 (Annual Status of Education Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 15वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट **वेव 1 (ASER 2020 Wave 1)** जारी की गई।

© Vision IAS

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report) के बारे में

- ASER एक वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के लिए बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और आधारभूत अधिगम (लर्निंग) स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
  - शहरी क्षेत्र को इसके दायरे में नहीं रखा गया है।
- विद्यालयी शिक्षा की स्थिति 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए दर्ज की जाती है तथा 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सरल पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित के सवाल हल करने की उनकी क्षमता का परीक्षण किया जाता है।
- वर्ष 2015 को छोड़कर, ASER का आयोजन वर्ष 2005 से प्रति वर्ष किया जा रहा है।
- ASER का आयोजन प्रत्येक जिले में स्थानीय सहयोगी संगठनों के स्वयंसेवियों द्वारा किया जाता है। ASER को **प्रथम** नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है।
- वर्ष 2017 में ASER की 'बियॉन्ड बेसिक्स' रिपोर्ट के तहत 14-18 आयु वर्ग में युवाओं की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

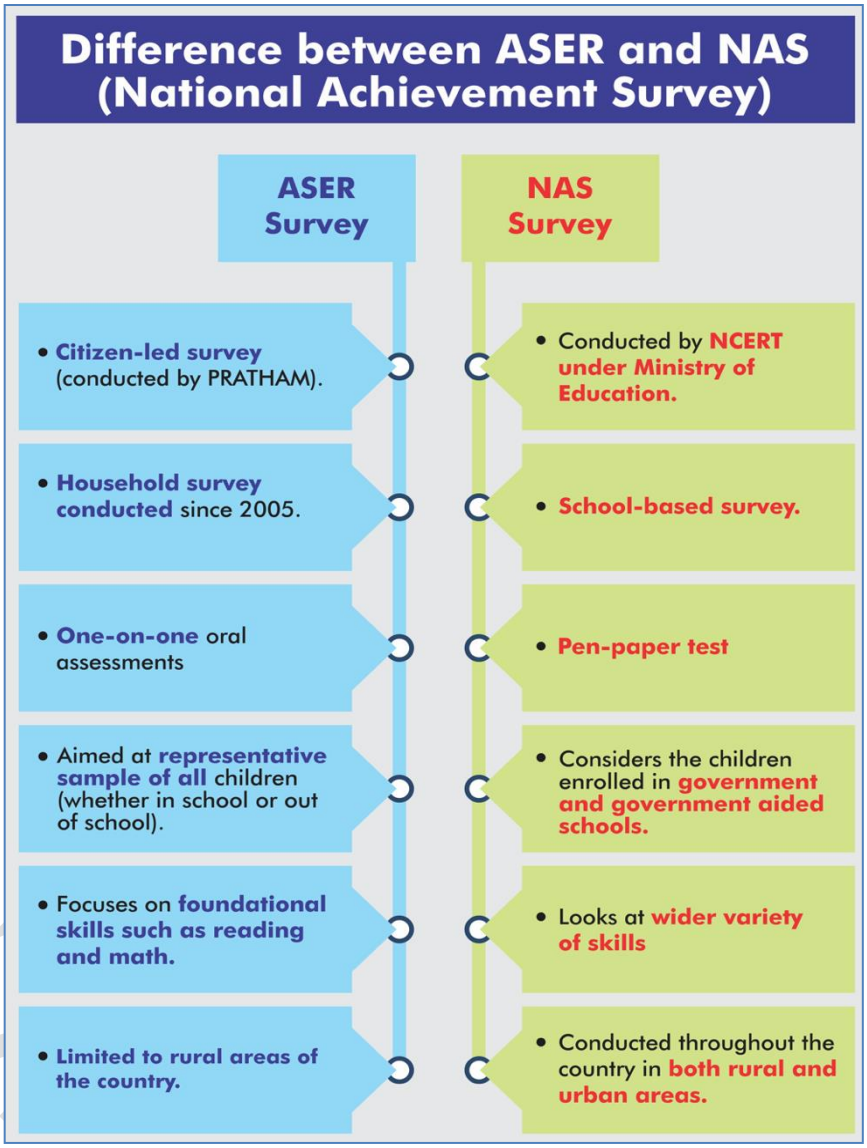

ASER 2020 के प्रमुख निष्कर्ष

- **बच्चों का नामांकन:** ASER 2018 के आंकड़े की तुलना में, ASER 2020 के आंकड़े (सितंबर 2020) निजी से लेकर सरकारी स्कूलों तक में, सभी कक्षाओं में तथा लड़कियों एवं लड़कों दोनों के नामांकन में कुछ परिवर्तन (अर्थात् कमी) को दर्शाते हैं।
- **बच्चे जिनका वर्तमान में नामांकन नहीं हुआ है:** यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2018 के केवल 1.8% की तुलना में वर्ष 2020 में 6-10 वर्ष के आयु वर्ग के 5.3% बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है।
- **शिक्षण सामग्री और गतिविधियों तक पहुंच:** समान कक्षाओं के सरकारी स्कूल के छात्रों की तुलना में निजी स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षण / गतिविधि सामग्रियां (learning materials/activities) सबसे अधिक प्राप्त हुई हैं।
  - संदर्भ सप्ताह में **बच्चों को प्राप्त हुई शिक्षण सामग्री या** गतिविधियों में **राज्यों के आधार पर महत्वपूर्ण भिन्नताएं विद्यमान हैं।**

3.5. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 (Global Education Monitoring Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनेस्को (UNESCO) ने **"समावेशन और शिक्षा: सभी का मतलब सभी"** (Inclusion and education: All means all) नामक शीर्षक से 'वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020' जारी की है।

समावेशी शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषणा-पत्र (International declarations for inclusive Education)

- **सतत विकास लक्ष्य 4 {Sustainable Development Goal (SDG) 4}:** इसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- **नि:शक्तजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2006 (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD):** इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है।

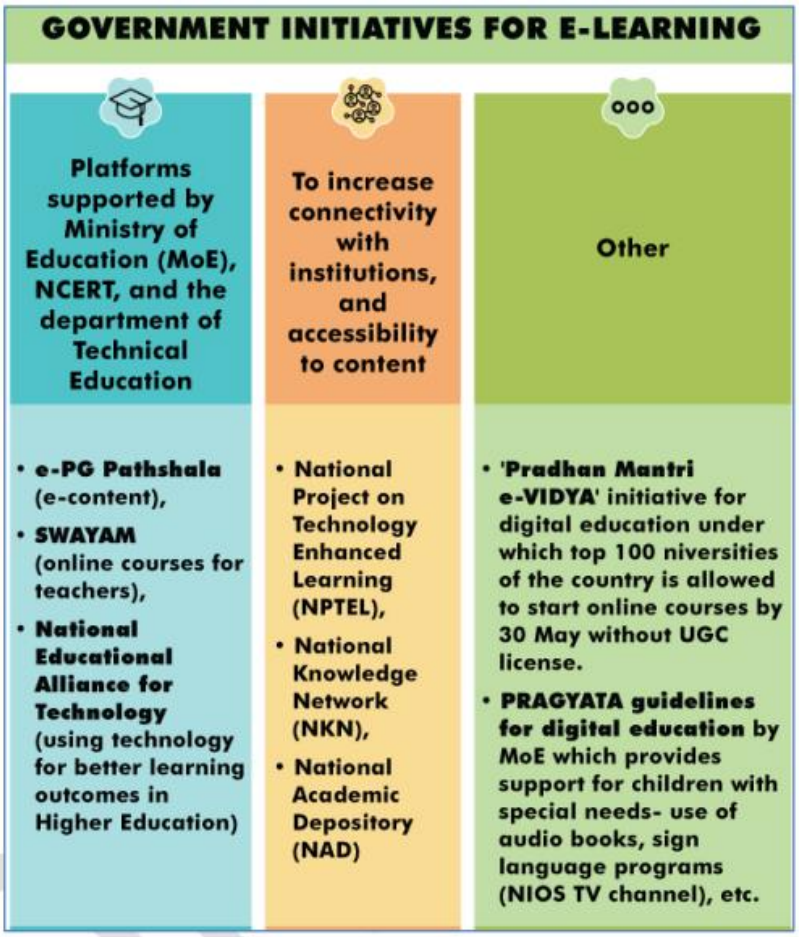

यूनेस्को {संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)} के बारे में

- यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने हेतु प्रयासरत है।
- इसका मुख्यालय **फ्रांस की राजधानी पेरिस** में स्थित है।
- इसमें **भारत** सहित 193 सदस्य और 11 एसोसिएट सदस्य हैं।

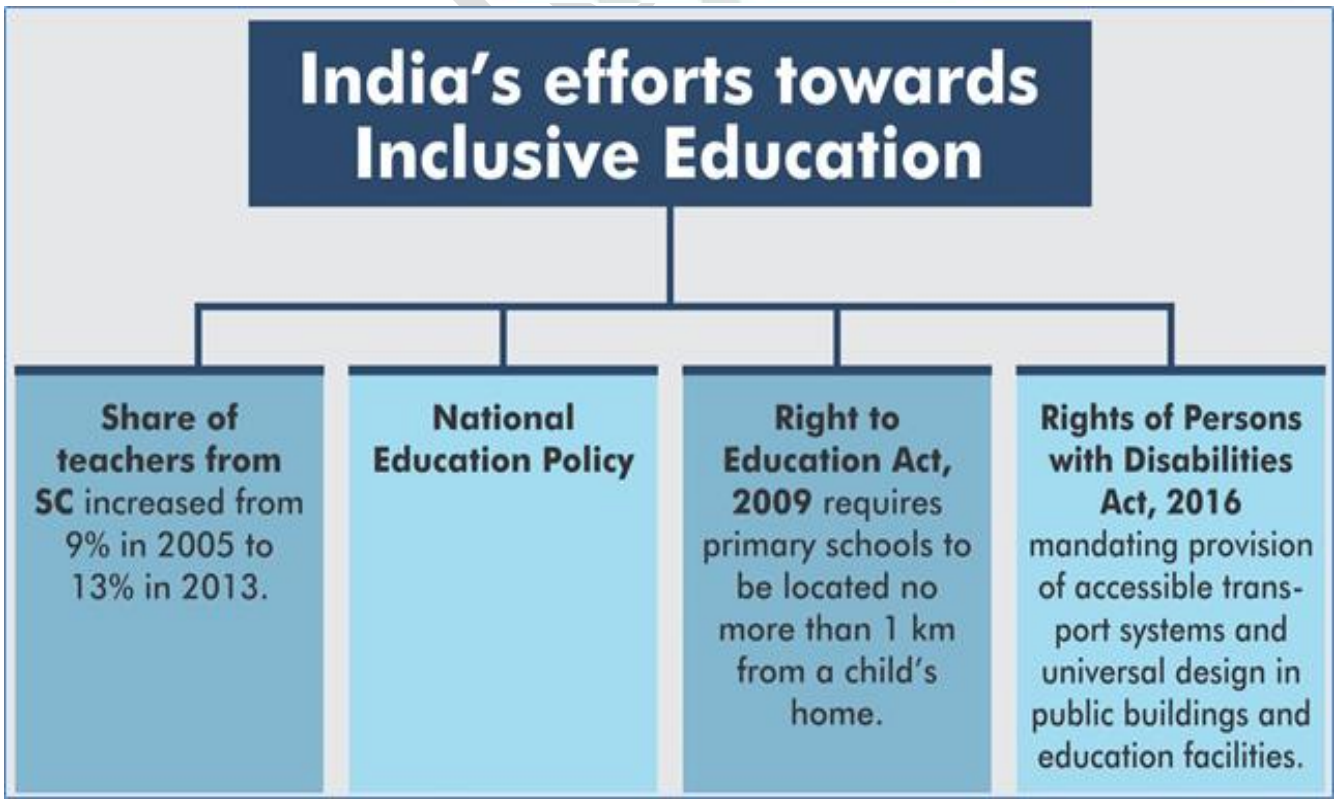

© Vision IAS

3.6. भारतीय शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2020 (State of the Education Report for India 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनेस्को द्वारा **"शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2020: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण" {State of Education Report 2020: Technical and Vocational Education and Training (TVET)}** जारी की गई है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कौशल भारत मिशन के लिए भारत सरकार को समर्थन** प्रदान करना है।
- यह प्रगतियों और उपलब्धियों को निर्दिष्ट करने, TVET प्रावधानों के तहत संचालित गहन गतिविधियों को चिन्हित करने और NEP, 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से भावी विकास की दिशा में रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित है।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) के बारे में

- यूनेस्को, TVET को "व्यावसायिक क्षेत्रों, उत्पादन, सेवाओं और आजीविका की एक विस्तृत श्रृंखला से संबद्ध **शिक्षा, प्रशिक्षण व कौशल विकास"** के रूप में परिभाषित करता है।
- शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, **तकनीकी शिक्षा सामान्यतया उच्चतर शिक्षा से संबंधित होती है,** जबकि माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का एक भाग होती है।

संबंधित तथ्य

यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा "रिमोट लर्निंग रिचाबिलिटी रिपोर्ट" (Remote Learning Reachability Report)" को जारी किया गया

- इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष
  - विश्व भर में कम से कम या 31% या 463 मिलियन स्कूली बच्चों की दूरस्थ शिक्षा (Remote Learning) कार्यक्रमों तक पहुंच नहीं है। इसका मुख्य कारण परिवारों के पास दूरस्थ शिक्षा हेतु आवश्यक साधनों का अभाव या इस संबंध में ऐसे परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली नीतियों की अनुपस्थिति है।
  - वैश्विक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के अवसरों तक पहुंच प्राप्त न कर सकने वाले 4 में से 3 छात्र ग्रामीण क्षेत्रों और/या निर्धन परिवारों के होते हैं।
- **भारत में ई-शिक्षा तक पहुंच स्थापित करने के लिए केवल 24% घरों में ही इंटरनेट कनेक्शन हैं।**

3.7. इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस {Institutions of Eminence (IoE)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा IoE के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

दिशा-निर्देश

- विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् IoEs विदेशों में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं।

- पार-देशीय परिसर के **मानदंड और मानक मुख्य परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के समान** होंगे।

- IoE को नए **ऑफ कैंपस सेंटर्स (off campus centres)** प्रारंभ करने की भी अनुमति है। इनकी अधिकतम संख्या **पांच वर्ष में तीन और किसी शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक नहीं होगी।**
- यह कदम सरकार की **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति** के अनुरूप है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

IoE योजना के बारे में

- IoE योजना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाने और उन्हें **विश्व स्तर के शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनने में** सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को लागू करने हेतु प्रारंभ की गई थी।
- **इस योजना के अंतर्गत 20 संस्थानों का चयन** किया गया था। इनमें 10 सार्वजनिक क्षेत्र से और 10 निजी क्षेत्र से थे।
- ये संस्थान **अतिरिक्त वित्त पोषण, पूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता, मूल्यांकन प्रतिरूप** आदि जैसे लाभ प्राप्त करते हैं।
- सरकार सार्वजनिक संस्थानों को वित्तीय सहायता के रूप में **प्रति संस्थान 1,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि** प्रदान करेगी, जबकि निजी संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है।

3.8. रैंकिंग (Rankings)

3.8.1. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अंतर्गत **"इंडिया रैंकिंग 2020"** जारी की गई थी।

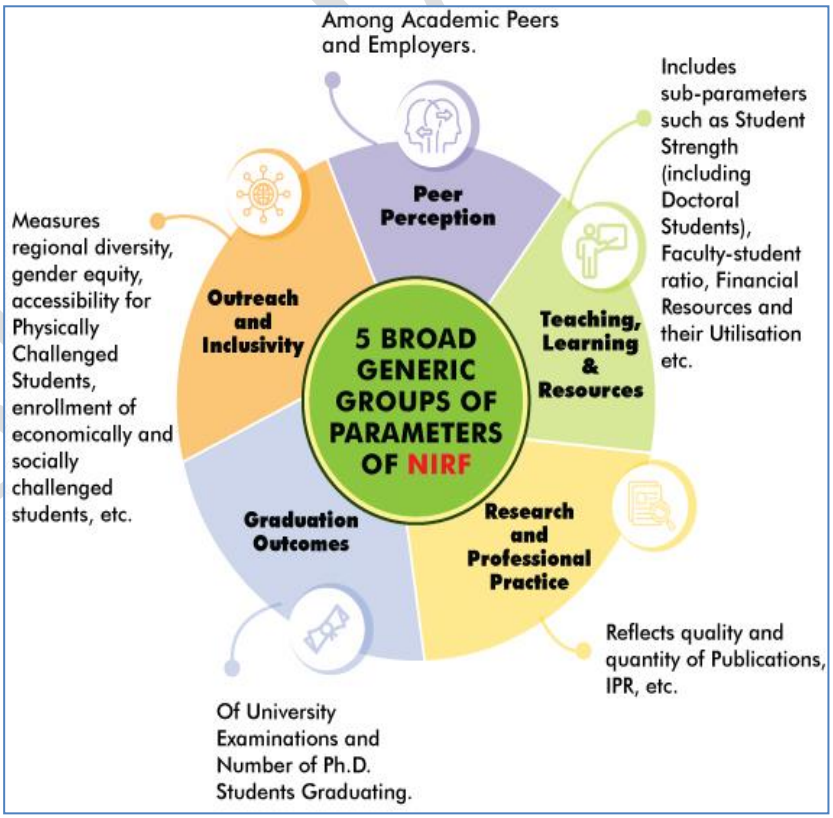

NIRF की "इंडिया रैंकिंग 2020" के बारे में

- NIRF को MHRD ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था।
- यह फ्रेमवर्क देश भर के संस्थानों को प्रत्येक वर्ष 10 पृथक श्रेणियों, यथा- **समग्र (Overall), विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कॉलेज, चिकित्सा, कानून, वास्तुकला और दंत चिकित्सा** में रैंकिंग प्रदान करने की एक पद्धति को रेखांकित करता है (दंत चिकित्सा को इस रैंकिंग में इसी वर्ष शामिल किया गया था)।
- **इस रैंकिंग का उद्देश्य:**
  - मापदंड के एक समुच्चय (set) के आधार पर विश्वविद्यालयों के चयन हेतु छात्रों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना।
  - विश्वविद्यालयों को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करना और अनुसंधान एवं सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अंतराल की पहचान करना।
  - राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करना तथा बेहतर प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च रैंक सुनिश्चित करने हेतु उनके मध्य **प्रतिस्पर्धात्मक भावना का सृजन करना।**
- NIRF **एक स्वैच्छिक कार्य है,** जिसमें केवल आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने वाले संस्थानों को ही रैंक प्रदान की जाती है।

© Vision IAS

- **IIT बॉम्बे; भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु** और IIT दिल्ली शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थान हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग)

- हाल ही में, वर्ष 2021 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई।
- **IIT बॉम्बे; भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु** और **IIT दिल्ली** शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थान हैं।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित **छह मैट्रिक्स** पर विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की जाती है:
  - शैक्षणिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation);
  - नियोक्ता की प्रतिष्ठा (Employer Reputation);
  - शिक्षक/छात्र अनुपात (Faculty/Student Ratio);
  - प्रति फैकल्टी साइटेशन (Citations per faculty);
  - अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अनुपात (International Faculty Ratio); तथा
  - अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात (International Student Ratio)।

- रैंकिंग में गिरावट के कारणों में **अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी और छात्रों का अल्प अनुपात तथा शिक्षक-छात्र अनुपात का कम होना सम्मिलित हैं।**

टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021{Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR) 2021}

- **टाइम्स हायर एजुकेशन ने** 93 देशों या क्षेत्रों से लगभग **1527 उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है।** इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण सहित कई मानकों को शामिल किया गया है।
- **भारत के 63 विश्वविद्यालय** इस रैंकिंग में **स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं** (अब तक भारत से सर्वाधिक)।
  - हालांकि, **कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 300 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है।**
  - भारतीय संस्थानों में, **भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science) को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।**
- शीर्ष 200 संस्थानों में 59 संस्थानों के साथ **संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्तर पर सर्वाधिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है।**
- **इस रैंकिंग में** ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (यूनाइटेड किंगडम) को **शीर्ष स्थान** प्राप्त हुआ है।

3.8.2. ARIIA-2020 (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग) {Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA 2020)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग** (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements -ARIIA) द्वारा अटल रैंकिंग की घोषणा की गई है।

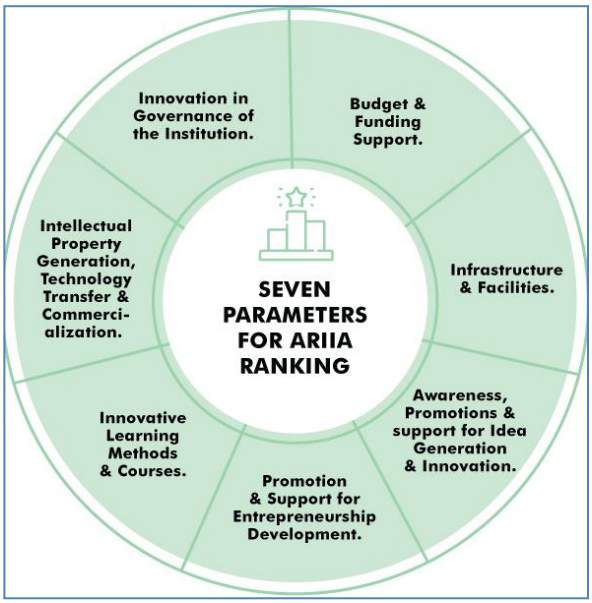

ARIIA के बारे में

- यह छात्रों और संकायों के मध्य 'नवाचार और उद्यमिता विकास' से संबंधित संकेतकों के आधार पर भारत के सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
  - यह अन्य पहलुओं के साथ-साथ **उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक संपदा सृजन,** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण के लिए **समर्थन** जैसे मानदंडों पर

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का आकलन करती है।

- केंद्र द्वारा वित्तपोषित सर्वश्रेष्ठ संस्थान' (Best Centrally Funded Institutes) की श्रेणी में **IIT मद्रास** को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् **IIT बॉम्बे** और **IIT दिल्ली** का स्थान है।
- निजी संस्थानों की श्रेणी में, **कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओडिशा** को विजेता घोषित किया गया।
- **कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र** ने राज्य-वित्तपोषित स्वायत्त संस्थानों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
- प्रथम बार, ARIIA 2020 रैंकिंग में केवल महिलाओं वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी आरंभ की गई है।

- ARIIA द्वारा **नवाचारों की गुणवत्ता** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही, इसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा उत्पन्न किए गए वास्तविक प्रभावों को मापने का प्रयास भी किया गया है।

3.9. भारत में प्रत्यायन (Accreditation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में 600 विश्वविद्यालयों और 25,000 महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त नहीं है।

भारत में प्रत्यायन के बारे में

- यह प्रत्यायन (मान्यता प्राप्त) सर्वेक्षण, **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council: NAAC)** द्वारा आयोजित किया गया था।
- **इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:**
  - संस्थानों में स्थायी संकाय की कमी और 5.5% संस्थाओं के संस्थान प्रमुख का पद रिक्त होने के कारण 26% संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं किया गया है।
  - निम्न ग्रेड के कारण 22% उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions: HEI) ने इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया।
- **NAAC मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।**
  - यह संस्थान की 'गुणवत्ता दर्जा' (Quality Status) संबंधी समझ प्राप्त करने हेतु कॉलेजों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के **मूल्यांकन एवं प्रत्यायन** का कार्य करता है।
- प्रत्यायन को **ICT सक्षम, उद्देश्यपरक, पारदर्शी, मापनीय और व्यापक** बनाने हेतु वर्ष 2017 में, **संशोधित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन ढांचा** को प्रस्तुत किया गया था।

3.10. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) **{National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement (NISHTHA)}**	• हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण **ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम** प्रारंभ किया गया था। • समग्र शिक्षा योजना के तहत प्रारंभ की गई **निष्ठा** पहल, "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" (Improving Quality of School Education through Integrated Teacher Training) हेतु एक **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** है। • इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर **स्कूल के सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की क्षमता का निर्माण करना है।** • इसका लक्ष्य **42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित** करना है।

© Vision IAS

वर्ष 2020-21 के लिए NCERT का रोडमैप (Roadmap for NCERT for the year 2020-21)	• आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत **मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन (Foundational Literacy and Numeracy Mission)** की स्थापना करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए NCERT के लिए इस रूपरेखा को तैयार किया गया है। ○ इस मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 5 और उसके पश्चात के प्रत्येक छात्र को **वर्ष 2025 तक मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त** होना चाहिए। • इसके तहत, NCERT को कक्षा 1 से 5 के छात्रों हेतु अक्टूबर 2020 तक **प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक ग्रेड हेतु प्रत्येक लर्निंग आउटकम की व्याख्या करने वाले इन्फोग्राफिक्स / पोस्टर / प्रेजेंटेशन** को विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
छात्रों में सीखने की क्षमता को बेहतर करने संबंधी दिशा-निर्देश (Students Learning Enhancement Guidelines)	• ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के **शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)** द्वारा जारी किए गए हैं। • राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training: NCERT) ने लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत **छात्रों के मध्य अधिगम (सीखना) अंतराल और/या क्षति से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए** इन दिशा-निर्देशों को तैयार किया है। • इसके अतिरिक्त, इन दिशा-निर्देशों द्वारा उन बच्चों को भी सहायता मिलेगी, जिनके पास शिक्षकों या स्वयंसेवकों के माध्यम से घर पर सीखने का अवसर प्राप्त करने के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। • **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्थान है। NCERT का गठन स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता एवं सलाह देने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), शिक्षा मंत्रालय** के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन है।** यह विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
युक्ति (यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) 2.0 वेब पोर्टल {YUKTI (Young India Combating Covid With Knowledge, Technology and Innovation) 2.0 Web Portal}	• इसे **शिक्षा मंत्री** द्वारा लॉन्च किया गया है। • **यह हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेट किए गए स्टार्ट-अप्स से संबंधित** व्यावसायिक क्षमता और सूचना से युक्त प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित तरीके से सम्मिलित करने में सहायता प्रदान करेगा।
(उद्यम संसाधन योजना) समर्थ {Enterprises Resource Planning (ERP), SAMARTH}	• उद्यम संसाधन योजना (ERP), समर्थ एक ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म है। इसे **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र** में संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। • यह **विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए एक खुला मानक खुली स्रोत संरचना, सुरक्षित, मापनीय और विकासपरक प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन** है। • यह विश्वविद्यालय/HEIs में अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सूचनाओं की निर्बाध उपलब्धता और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग द्वारा बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से संस्थानों की उत्पादकता में वृद्धि करेगा। • इसे **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन** (National Mission of Education in Information and Communication Technology Scheme) के तहत **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा विकसित किया गया है।

'नवाचार संस्थान परिषद 3.0 {Institution Innovation Council (IIC 3.0)}	• IIC की स्थापना वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। • **IIC की प्रमुख वरीयताओं** में जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तथा HEIs में स्टार्ट-अप सहायक व्यवस्था का निर्माण करना, अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements: ARIIA) के लिए संस्थान को तैयार करना आदि शामिल हैं। • अब तक, **लगभग 1,700 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में IICs की स्थापना की जा चुकी है।** IIC 3.0 के तहत 5,000 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में IICs स्थापित किए जाएंगे।

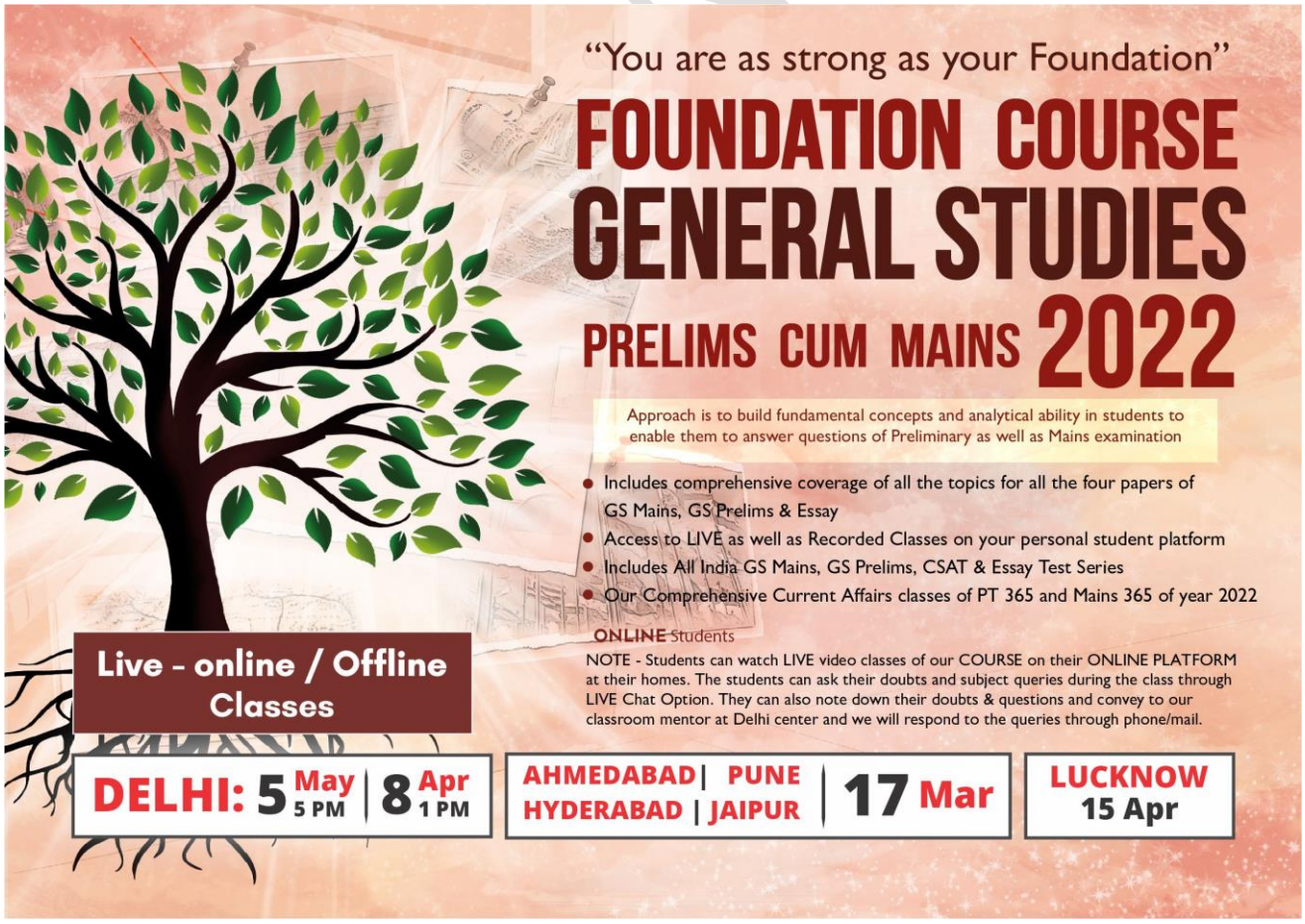

© Vision IAS

4. स्वास्थ्य (Health)

4.1. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन {National Digital Health Mission (NDHM)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare: MoHFW) द्वारा छह संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission- NDHM)** का शुभारंभ किया गया था।

पृष्ठभूमि

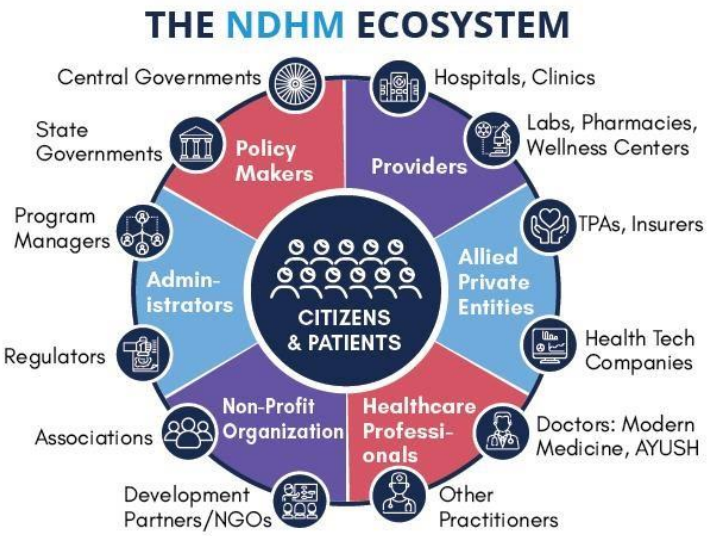

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP)**, 2017 भारत में नई डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना के सृजन का आधार रही है। इसमें एक नए **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण** की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है साथ ही इसमें एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से **डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पारितंत्र** के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा NHP, 2017 पर आधारित एक दूरदर्शी डिजिटल रूपरेखा- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्ट्री (NHS)** के सृजन का प्रस्ताव किया गया था।
- जुलाई, 2019 में MoHFW के एक पैनल द्वारा **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य के प्रारूप (NDHB)** को तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य NHS की रूपरेखा का सृजन करना था।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission: NDHM) के बारे में

- NDHM एक **स्वैच्छिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम** है, जो डॉक्टरों, अस्पतालों, नागरिकों आदि जैसे हितधारकों को एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना से जोड़कर उनके मध्य विद्यमान अंतरालों को कम करेगा।
- NDHM का **विज़न** एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र का निर्माण करना है जो कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता हो।
- यह योजना आरंभ में छह संघ राज्यक्षेत्रों में यथा चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में कार्यान्वित की जाएगी।
- **NDHM की विशेषताएँ:**
  - **मूलभूत अंग (Building blocks) या डिजिटल प्रणाली:**
    - **स्वस्थ पहचान पत्र (HealthID)**- यह किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों जैसे चिकित्सा परीक्षण, पूर्ववर्ती चिकित्सीय निर्देश, निदान, उपचार आदि का संग्रह है। इसे प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा **स्वेच्छा** से निर्मित किया जा सकता है।
    - **डिजीडॉक्टर (DigiDoctor)**- यह राष्ट्र में नामांकित सभी डॉक्टरों के नाम, योग्यता, विशेषज्ञता, पंजीकरण संख्या, अनुभव के वर्ष आदि जैसे प्रासंगिक विवरणों वाला एकल व अद्यतित संग्रह है।
    - **स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण (Health Facility Registry: HFR)** - यह देश में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) का एकल संग्रह होगा।
    - **व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (Personal Health Records: PHR)** - यह किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित, साझा और नियंत्रित करते हुए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।

- **इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सीय रिकॉर्ड (Electronic Medical Records: EMR)**- यह रोगी से संबंधित चिकित्सीय सूचना का डिजिटल संस्करण है, जिसमें एकल स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से रोगी की चिकित्सा व उपचार की विगत संपूर्ण जानकारी सम्मिलित होंगी।
- **सहमति प्रबंधक और गेटवे**- सहमति प्रबंधक और गेटवे द्वारा स्वास्थ्य सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य रिकॉर्ड को केवल रोगी की सहमति से जारी/अवलोकन किया जा सकता है।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family-MoHFW) के संलग्न कार्यालय **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority)** द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) की **अभिकल्पना, निर्माण, रोल-आउट तथा कार्यान्वयन** किया जाएगा।
- **संघीय संरचना:** भारत सरकार द्वारा NDHM के मूलभूत अंगों (Building blocks) जैसे स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजी-डॉक्टर और HFR का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन किया जाएगा।
  - अन्य सभी मूलभूत अंगों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा की वें संघीय मॉडल के तहत संचालित हो सके। इसके तहत **क्षेत्रीय, राज्य-स्तरीय और संस्थान-स्तरीय प्लेटफ़ॉर्म एवं प्रणाली** स्वतंत्र रूप से तथा अंतःप्रचालनीय विधि से कार्य करेंगे।
  - **व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकार्ड (personal health records-PHR) और इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सीय रिकॉर्ड (Electronic Medical Records-EMR)** समाधान जैसे घटक सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप निजी अभिकर्ताओं द्वारा विकसित किए जा सकते हैं।
- **इसके तहत NDHM सैंडबॉक्स** स्थापित किए गए हैं ताकि किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजिटल मूलभूत अंगों के साथ एकीकृत करने तथा दिशा-निर्देशों और डिजिटल स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन के परीक्षण हेतु सक्षम किया जा सके।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) को **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) द्वारा अधिसूचित **इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क (IndEA)** के अंगीकरण के साथ विकसित किया जाएगा।
  - IndEA, उद्यम संरचना (Enterprise Architecture) को डिजाइन करने के लिए नागरिक-केंद्रित, दक्षता-केंद्रित और घटना-चालित संरचना पैटर्न, संदर्भ मॉडलों और मानकों का एक समुच्चय है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family-MoHFW) की डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित पहलें

- **ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म:** यह दो प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं यथा; डॉक्टर-से-डॉक्टर (ई-संजीवनी) और रोगी-से-डॉक्टर (ई-संजीवनी OPD) टेली-परामर्श को सक्षम बनाता है।
  - अब तक 1,50,000 से अधिक टेली-परामर्श पूरे हो चुके हैं, यह रोगी को अपने घर से ही डॉक्टर से परामर्श करने में सक्षम बनाता है।
- **ई-अस्पताल:** यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology: ICT) आधारित अस्पताल प्रबंधन प्रणाली है और यह विशेष रूप से सरकारी क्षेत्रक के अस्पतालों के लिए उपलब्ध है।
- **मेरा अस्पातल:** यह अस्पताल द्वारा प्राप्त सेवाओं पर रोगी की प्रतिपुष्टि प्रणाली है।
- **ई-सुश्रुत:** यह C-DAC द्वारा विकसित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN):** यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी प्रणाली है। यह टीकों के भंडार (Stocks) का डिजिटलीकरण करने के साथ-साथ स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से टीकों की शीत भंडारण श्रृंखला के तापमान की भी निगरानी करती है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल (NHP):** इसका उद्देश्य नागरिकों, छात्रों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए प्रमाणीकृत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से संबद्ध विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का प्रारूप {Draft Health Data Management Policy of the National Digital Health Mission (NDHM)}:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने हाल ही में इस नीति के प्रारूप को जारी किया है। यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र (NDHE) हेतु एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह प्रासंगिक, प्रयोज्य कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डेटा की गोपनीयता संबंधी संरक्षण (Data Privacy Protection) के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है जिसका पालन बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

© Vision IAS

4.2. कोविड-19 एवं मानसिक स्वास्थ्य (COVID-19 and Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 से प्रभावित विभिन्न देशों में व्यापक मनोवैज्ञानिक संकट से संबद्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जिसने लोगों के संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

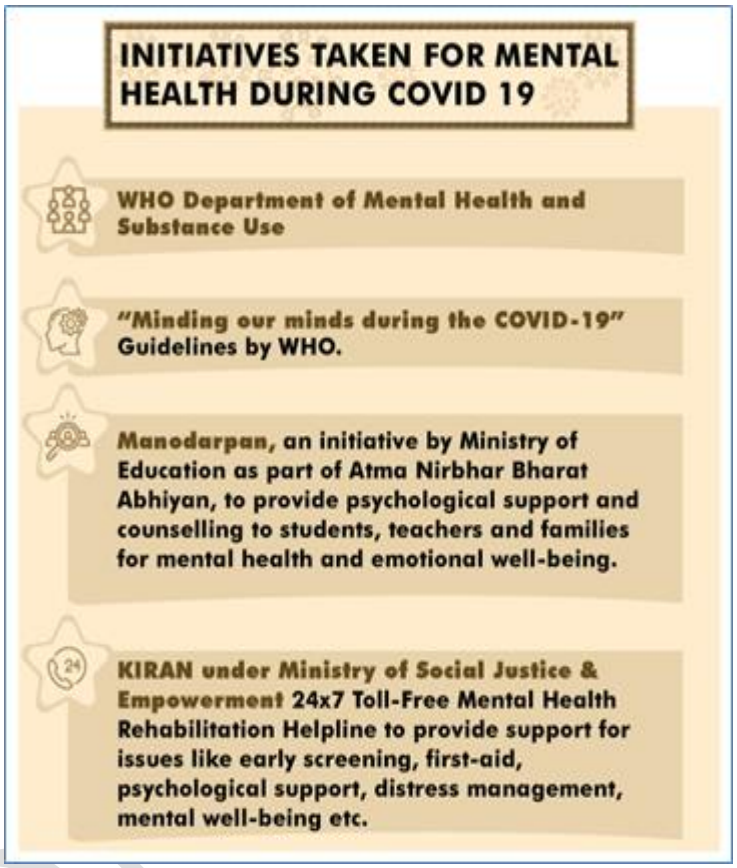

मानसिक स्वास्थ्य

- WHO के एक अनुमान के अनुसार, **मानसिक रोग विश्व भर में कुल रोगों का लगभग 15% है।**
- **भारत में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017,** मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (देखभाल) और सेवाओं के परिदान के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और उनको पूरा करने का प्रावधान करता है।
- **अधिनियम के प्रावधानों में शामिल हैं:**
  - **मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के अधिकार:** प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक वहनीय मूल्य पर (बेघर और BPL के लिए निशुल्क) पहुंच का अधिकार होगा।
  - **अग्रिम निदेश:** रोगी के इलाज के संबंध में मानसिक रूप से बीमार (मानसिक रुग्णता से ग्रस्त) व्यक्ति द्वारा अपना नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि घोषित किया जाएगा।
  - **केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण:** इन निकायों को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, पेशेवरों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य मुद्दों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को विनियमित करना अनिवार्य है।
  - **आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना:** आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा और IPC की धारा 309 के तहत आत्महत्या को आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा।
  - **मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन आयोग:** यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय होगा जो समय-समय पर अग्रिम निदेशों को बनाने की प्रक्रिया और उसके उपयोग का पुनर्विलोकन करेगा एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण पर सरकार को सलाह प्रदान करेगा।
  - **मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड,** मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और अग्रिम निदेशों का प्रबंधन करेगा।
  - मांसपेशियों को शिथिल किए बिना और बेहोशी का उपयोग किए बिना किसी मानसिक रूप से बीमारी वाले व्यक्ति की वैद्युत संक्षोभजनक चिकित्सा (electro-convulsive therapy) नहीं किया जाएगा।

अन्य पहल

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):** इसे वर्ष 1982 में कार्यान्वित किया गया था। मानसिक विकारों/बीमारी का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार के लिए सरकार देश के 517 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान कर रही है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014**
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना,

- लक्ष्य- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में नेतृत्व को सुदृढ़ करना,
- साथ ही यह इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा निभाई जाने वाली अपेक्षित भूमिका का भी उल्लेख करती है।

- **RAAH (रैपिड एक्शन एडोलसेंट हेल्थ) ऐप:** इस एप्लीकेशन का निर्माण **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences-NIMHANS)** द्वारा किया गया है। यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो लोगों को मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता आदि जैसे पेशेवरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है।
  - NIMHANS मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में रोगी देखभाल और शैक्षणिक खोज के लिए एक बहु-विषयक संस्थान है। वर्ष 2012 में, NIMHANS को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया था।
  - यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त रूप से संचालित होता है।

4.3. भारत में मादक पदार्थों का दुरुपयोग (Drug Abuse In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (The United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) द्वारा **"द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020"** जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति व उपभोग पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के संभावित परिणामों को रेखांकित किया गया है।

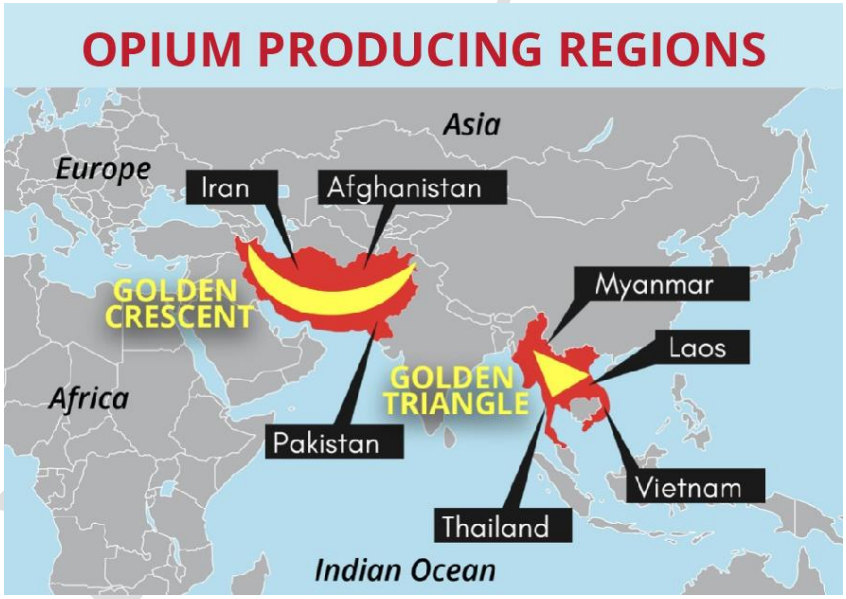

- भारत में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा **"अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस" (26 जून)** के अवसर पर सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों के लिए **"नशा मुक्त भारत: वार्षिक कार्य योजना (2020-21)"** को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरंभ किया गया है।

भारत में मादक पदार्थों का दुरुपयोग

- सेवन किए जाने वाले मादक पदार्थों में सम्मिलित हैं- अल्कोहल, उपशामक (opiates) (अफीम से संबंधित या व्युत्पन्न ड्रग), कोकीन, एम्फेटेमिन, हैलुसिनोजेन (भ्रम उत्पन्न करने वाला ड्रग), ओवर-द-काउंटर मादक द्रव्य सेवन (गैर-निर्धारित अर्थात् बिना किसी चिकित्सक के परामर्श से ली गई औषधि) आदि।
- UNODC की द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2020 के अनुसार वर्ष 2010 से वर्ष 2017 के मध्य **कैनबिस (इसे मारिजुआना या भांग या गांजा के नाम से भी जाना जाता है) की सर्वाधिक अवैध कृषि तथा उत्पादन करने वाले देशों में भारत भी सम्मिलित है।** वर्ष 2018 में दक्षिण-एशिया में कैनबिस को जब्त (266.5 टन) करने के मामले में भारत शीर्ष पर था।
- **वर्ष 2019 में एम्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार-**
  - **अल्कोहल,** भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला **सबसे बड़ा मन:प्रभावी (psychoactive) पदार्थ है। इसके पश्चात् कैनबिस तथा ओपिऑइड्स (शक्तिशाली दर्द-निवारक औषधियां) का स्थान आता है।**
- भारत में, **सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत (विशेष रूप से मणिपुर) तथा उत्तर-पश्चिम भारत (विशेष रूप से पंजाब)** हैं। इसके पश्चात् मुंबई, दिल्ली और हरियाणा का स्थान आता है।

- भारत, विश्व के दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों नामत: **"गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle)" तथा "गोल्डन क्रेसेंट (Golden Crescent)"** के मध्य अवस्थित है।
  - **गोल्डन क्रेसेंट-** ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान; तथा
  - **गोल्डन ट्रायंगल-** म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड।

नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना (2020-21)

- भारत में मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल संस्था है।
- **वार्षिक कार्य योजना:**
  - इसके तहत भारत के 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **इस कार्य योजना के तहत नशा मुक्ति हेतु त्रिआयामी संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।** इनमें नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के प्रयास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जागरूकता/आवश्यक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रयास और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार संबंधी प्रयास शामिल किए जाएंगे।
  - **इस कार्य योजना के घटकों में शामिल हैं:**
    - जागरूकता का सृजन करना;
    - उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना;
    - संबंधित समुदाय को आवश्यक सहायता प्रदान करना और आश्रित आबादी की पहचान करना;
    - अस्पताल में उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना;
    - सेवा प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण करना।

मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए विधिक ढांचे तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **संविधान के अनुच्छेद 47** में प्रावधान किया गया है कि 'राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
- मादक द्रव्यों तथा मन:प्रभावी (psychotropic) पदार्थों से संबंधित परिचालन के नियंत्रण एवं विनियमन हेतु **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम को वर्ष 1985** में अधिनियमित किया गया था।
  - इसके तहत **स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau: NCB)** को मादक द्रव्यों की तस्करी तथा अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने हेतु भारत की एक नोडल मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन एवं आसूचना एजेंसी (intelligence agency) के रूप में गठित किया गया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने **वर्ष 2018-2025 के लिए मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Drug Demand Reduction: NAPDDR)** तैयार की है।
  - इस योजना का उद्देश्य बहुस्तरीय रणनीति के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को कम करना है, जिसमें शिक्षण, नशा-मुक्ति व प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का पुनर्वास सम्मिलित है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - **भारत तीन संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है।** ये हैं- स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961); मन:प्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971; तथा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी के रोकथाम हेतु अभिसमय, 1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)।
  - **भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने हेतु बिम्सटेक कांफ्रेंस (BIMSTEC Conference on Combating Drug Trafficking) का शुभारंभ किया है।** यह क्षेत्र में व्याप्त मादक पदार्थों के खतरों से निपटने हेतु विचारों को साझा करने तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान करने हेतु सदस्य राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

4.4. महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 {Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "महामारी अधिनियम, 1897" (Epidemic Diseases Act, 1897) में संशोधन करने हेतु 'महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020' को संसद द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने से **महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश** {Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance} का प्रभाव अब समाप्त हो गया है, जिसे अप्रैल 2020 में प्रख्यापित किया गया था।

महामारी अधिनियम, 1897

- **यह अधिनियम** 1890 के दशक में **बॉम्बे में आए बुबोनिक प्लेग के प्रकोप के दौरान प्रभावी हुआ था।**
- यह भारत का एकमात्र कानून है जिसका ऐतिहासिक रूप से उपयोग हैजा तथा मलेरिया सहित **विभिन्न रोगों के प्रसार को रोकने की रूपरेखा के रूप में किया गया है।**
- यह अधिनियम **केंद्र तथा राज्य सरकारों** को ऐसे "असाधारण उपायों तथा विनियमों को निर्धारित करने" की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें रोग के प्रसार को रोकने लिए आवश्यक समझा जाता है तथा नागरिकों के लिए इनका अनुपालन करना अनिवार्य होता है।
    - इस अधिनियम की धारा 2 यह निर्दिष्ट करती है कि यात्रा कर रहे व्यक्तियों की निगरानी के लिए **राज्य सरकारें विभिन्न उपायों तथा नियमों को निर्धारित कर सकती हैं।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या आदेशों के **उल्लंघन** पर **दंड** की व्यवस्था की गई है।
- हालांकि, यह "खतरनाक", "संक्रामक" या "संचारी रोगों", या किसी "महामारी" की **व्याख्या नहीं करता है।**
- राज्यों द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान **लॉकडाउन लगाने के लिए** इस अधिनियम का उपयोग **किया गया** था।

इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

- इस विधेयक (अब अधिनियम) के माध्यम से **स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों** को संरक्षण प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि उन्हें महामारी से संबंधित अपने कर्त्तव्यों के पालन के दौरान महामारी रोग के संपर्क में आने का जोखिम बना रहता है।
    - इनमें चिकित्सक, नर्स, तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति सम्मिलित हैं तथा ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें रोग नियंत्रण संबंधी उपाय के अनुपालन हेतु अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई हो।
- यह किसी **स्वास्थ्य देखभाल कर्मी के विरुद्ध किए जाने वाले "हिंसक कृत्य" (act of violence) को परिभाषित करता है,** जिसमें उत्पीड़न, क्षति, चोट, पीड़ा या जीवन को खतरा, कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, **संपत्ति या दस्तावेज को नुकसान** पहुँचाना आदि सम्मिलित हैं।
- हिंसक कृत्य या संपत्ति को नुकसान/क्षति पहुँचाने वाले कृत्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है तथा इसके लिए तीन माह से लेकर पांच माह की सजा और 50,000 रुपये से लेकर दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि हिंसक कृत्यों से गंभीर क्षति पहुँचती है, तो इसके लिए **छह महीने से लेकर सात वर्ष तक की सजा** तथा एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
    - **ऐसे अपराधों को संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) माना गया है।**
- अपराधों के दोषी व्यक्तियों को उस स्वास्थ्य देखभाल कर्मी को **मुआवजा देना होगा,** जिसे उन्होंने नुकसान पहुंचाया है।
- **यह निरीक्षण और विनियमन के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार** किसी भी लैंड पोर्ट (भू-बंदरगाह), पत्तन या हवाई अड्डे से प्रस्थान या आगमन करने वाले किसी भी मालवाहक पोत, बस, ट्रेन, पोत या विमान तक करता है। इससे पहले, यह केवल किसी पत्तन से प्रस्थान या आगमन करने वाले पोत के निरीक्षण पर ही लागू था।

4.5. महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports)

भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट (Health in India Report)	• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा "भारत में स्वास्थ्य (Health in India)" रिपोर्ट जारी की गई है। • यह रिपोर्ट राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 75वें दौर के एक भाग के रूप में **जुलाई 2017 से जून 2018 तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।** ○ वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का

	1.29% था। **कुल लोक व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी 25%** थी। केंद्र द्वारा **लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कम** व्यय किया जाता है क्योंकि ये **राज्य-सूची के विषय हैं।**
5वाँ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण {National Family Health Survey (NFHS-5)}	• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वें NFHS के आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 17 राज्यों और 5 संघ राज्यक्षेत्रों के **जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल हैं।** • **NFHS संपूर्ण भारत के परिवारों के प्रतिनिधि नमूने पर** व्यापक पैमाने पर किया जाने वाला बहु-चक्रीय सर्वेक्षण है। ○ यह **अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई, भारत;** ICF, कैल्वर्टन, मैरीलैंड, USA और ईस्ट-वेस्ट सेंटर, होनोलूलू, हवाई, USA **की एक सहयोगात्मक परियोजना है।** ○ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने IIPS** को इस हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह NFHS को समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ○ NFHS को **यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा UNICEF के अतिरिक्त समर्थन के साथ** वित्त पोषित किया गया था। • **इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष (वर्ष 2015-16 के NFHS-4 की तुलना में):** ○ **मातृ और बाल स्वास्थ्य संकेतकों में** संधारणीय सुधार हुआ है। ▪ **18 राज्यों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर** (जन्म से लेकर पांच वर्ष की आयु के मध्य प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संभावना) में गिरावट दर्ज की गई है। ▪ 15 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में **नवजात शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर) में भी गिरावट आई है। ○ **कुपोषण संकेतकों के संदर्भ में यह स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।** ▪ 13 राज्यों में **ठिगनेपन** (आयु की तुलना में कम लंबाई) **से पीड़ित** बच्चों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 12 राज्यों में **लंबाई की तुलना में कम वजन (दुबलापन)** वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। ▪ 16 और 20 राज्यों में क्रमशः अल्प वजन और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में भी में वृद्धि हुई है। ○ इसके अतिरिक्त 17 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में **कुल जनसंख्या (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) के लिंग अनुपात** में भी वृद्धि हुई है। ○ अधिकांश प्रथम चरण वाले राज्यों में **प्रजनन दर में व्यापक गिरावट आई है** और गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है। ○ सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में **12-23 माह के बच्चों के मध्य टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।**
विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी (India's Vision 2035 for PHS)	• **हाल ही में नीति आयोग ने 'विजन 2035: भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी' (Public Health Surveillance: PHS) नामक श्वेत-पत्र जारी किया है** ○ यह **श्वेत पत्र त्रिस्तरीय जन स्वास्थ्य व्यवस्था को आयुष्मान भारत की परिकल्पना में शामिल करते हुए जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत के विजन 2035 को प्रस्तुत करता है।** ○ यह **संचारी और गैर-संचारी रोगों** दोनों की एकीकृत निगरानी का आधार तैयार करता है। • **विजन 2035: भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी** ○ यह भारत की **जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर** प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ावा देगा। ○ यह **नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली** ग्राहक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा। ○ **केंद्र और राज्यों के मध्य रोग की पहचान, बचाव एवं नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए** एक बेहतर डेटा-साझाकरण तंत्र का गठन करेगा।

	○ **यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता उत्पन्न** करने में सक्षम जन स्वास्थ्य आपदा **के प्रबंधन के लिए** क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेगा।

4.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

WHO ने वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं देखभाल कर्मियों के वर्ष के रूप में नामित किया है (WHO designates 2021 as the International Year of Health and Care Workers)	• इसे कोविड-19 वैश्विक महामारी का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के लाखों **स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों के समर्पण एवं बलिदान को मान्यता प्रदान करते हुए** 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) द्वारा नामित किया गया था। • विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का **निर्णयकर्ता निकाय है**। इसके मुख्य कार्य **संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना** है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन हेतु वैश्विक रणनीति का आरंभ किया गया (WHO launched Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical Cancer)	• WHO का लक्ष्य टीकाकरण, स्क्रीनिंग और उपचार के संयोजन के माध्यम से **वर्ष 2050 तक 40 प्रतिशत से अधिक नए मामलों** और **5 मिलियन मृत्यु को कम करना** है। • जेनेवा में आयोजित **विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 के दौरान एक संकल्प को अपनाने** के उपरांत, पहली बार भारत सहित 194 देशों ने **कैंसर का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त** की है। • सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक कारण **ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV)** है और महिलाओं को HPV संक्रमण से बचाने के लिए **HPV टीका** एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है।
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग {Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H)}	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **आयुष मंत्रालय** के अंतर्गत **अधीनस्थ कार्यालय के रूप में** PCIM&H की पुर्नस्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसमें दो केन्द्रीय प्रयोगशालाओं, यथा- **भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (PLIM)** और **होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला (HPL)** का विलय कर दिया गया है। ○ वर्ष 2010 में स्थापित PCIM&H, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। • इस विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की **अवसंरचनात्मक सुविधाओं, तकनीकी श्रम बल और वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना** है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के परिणामों के मानकीकरण में वृद्धि की जा सके जिससे प्रभावी विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।
आरोग्यपथ (AarogyaPath)	• यह वास्तविक समय में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेब आधारित **राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल (National Healthcare Supply Chain Portal)** है। • यह **विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों** को सेवा प्रदान करेगा।
जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप (Janaushadhi Sugam Mobile App)	• इसे वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था ताकि **यह लोगों को नजदीकी प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMJAK) का पता लगाने में सहायता प्रदान कर सके।** साथ ही यह जन औषधि जेनेरिक औषधियों की खोज करने, जेनेरिक और ब्रांडेड औषधि के उत्पाद की तुलना का विश्लेषण करने आदि में भी सहायता प्रदान करता है। • इसे औषध विभाग के तहत **ब्यूरो ऑफ फार्मा पी.एस.यू. ऑफ इंडिया** (BPPI)

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

	द्वारा विकसित किया गया है। • सभी के लिए किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए **प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना** के तहत PMJAK की स्थापना की गई है। • जन औषधि केंद्रों से वंचित महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन न्यूनतम एक रुपये में वितरित किया जाता है।
प्रोजेक्ट अहाना (Project Ahana)	• यह एड्स मुक्त पीढ़ी की दिशा में कार्यरत भारत के एक NGO, **प्लान इंडिया** का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। • **भागीदार:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन; एड्स, क्षय रोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria-GFATM)। • यह सर्वाधिक सुभेद्य और हाशिये पर स्थित समुदायों में माताओं से बच्चे में HIV संचरण की रोकथाम पर केंद्रित है।

5. पोषण एवं स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

5.1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 (Global Hunger Index 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index: GHI) के बारे में

- GHI वस्तुतः वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर **भुखमरी के व्यापक मापन और निगरानी** का एक साधन है। इसके तहत स्कोर (अंकों) के निर्धारण हेतु चार मापदंडों का उपयोग किया जाता है।
- GHI को **कंसर्न वर्ल्डवाइड (एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन)** और **वेल्ट हंगर हिल्फे (जर्मनी का एक निजी सहायता संगठन)** द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
- यह जागरूकता सृजित करने और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष को समझने के लिए तैयार किया जाता है।
- **GHI स्कोर निम्नलिखित 4 घटकों या संकेतकों के मूल्यों पर आधारित होता है:**
  - **अल्पपोषण (Undernourishment):** अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण करने वाली जनसंख्या का हिस्सा।
  - **बाल दुबलापन (Child wasting):** 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम है।
  - **बाल ठिगनापन (Child stunting):** 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का हिस्सा जिनकी लंबाई उनकी आयु की तुलना में कम है।
  - **शिशु मृत्यु दर (Child mortality):** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर।
- GHI स्कोर 0 से 100 बिंदुओं के पैमाने पर निर्धारित होता है। इसमें **0 सबसे अच्छा स्कोर** (कोई भुखमरी नहीं) और **100 सबसे खराब स्कोर** का सूचक है। प्रत्येक देश के स्कोर का वर्गीकरण **निम्न से लेकर चरम स्थिति (अत्यधिक चिंताजनक) तक** की गंभीरता के स्तर के आधार पर किया जाता है।

भारत में भुखमरी की स्थिति

- GHI ने 100 बिंदु पैमाने (पॉइंट स्केल) पर भारत को 27.2 अंक प्रदान किए हैं, जो भारत

इस रिपोर्ट के वैश्विक निष्कर्ष

- विश्व में लगभग **690 मिलियन लोग अल्पपोषित** हैं तथा इसमें से-
  - **144 मिलियन बच्चे ठिगनेपन** (stunting) से ग्रसित हैं, और
  - **47 मिलियन बच्चे दुबलेपन** (wasting) से पीड़ित हैं।
  - इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में 5.3 मिलियन बच्चों की मृत्यु पाँच वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही अल्पपोषण के कारण हो गई थी।
- **विश्व भर में भुखमरी मध्यम स्तर पर है** तथा इसका स्कोर 100 में 10-19.9 अंकों के बीच है।
- विश्व में **दक्षिण सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भुखमरी तथा अल्पपोषण का स्तर सर्वाधिक है।** वर्ष 2020 के GHI में इनका स्कोर क्रमशः 27.8 तथा 26.0 हैं (दोनों को गंभीर माना गया है)।
- विश्व **वर्ष 2030 तक दूसरे संधारणीय विकास लक्ष्य (शून्य भुखमरी) को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है।** वर्तमान गति के आधार पर लगभग 37 देश वर्ष 2030 तक भुखमरी को कम करने के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

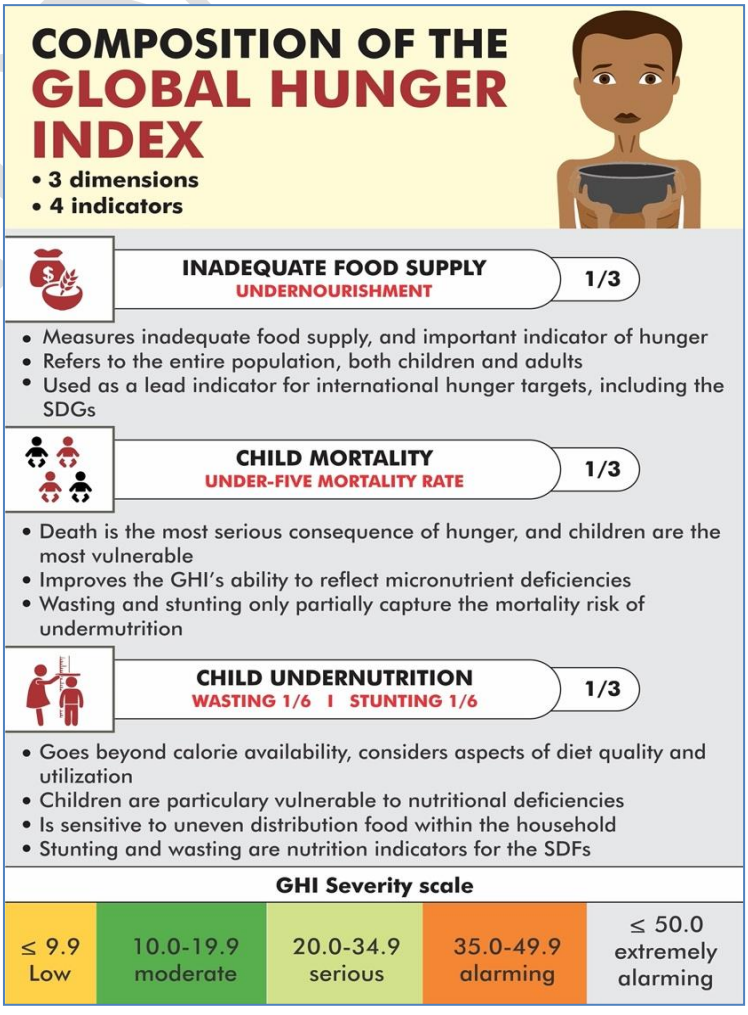

© Vision IAS

को भुखमरी की "गंभीर" श्रेणी में रखता है।

- 107 देशों में केवल **13 देशों** (जैसे- रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि) **की स्थिति ही भारत से खराब है**। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया की स्थिति भारत से बेहतर है।
- संपूर्ण अल्पपोषण के संदर्भ में, **भारत की 14% जनसंख्या को पर्याप्त कैलोरी प्राप्त नहीं होती है।**
  - भारत में **35% बच्चे ठिगनेपन** से ग्रसित हैं।
  - पांच वर्ष से कम आयु के **17.3% प्रतिशत बच्चे दुबलेपन** से ग्रसित हैं।
  - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में **मृत्युदर 3.7%** है।
- **खाद्य असुरक्षा, निम्नस्तरीय स्वच्छता, अनुपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच** के परिणामस्वरूप मातृत्व संकट उत्पन्न होता है, जिससे भारतीय बच्चों में एक प्रकार का मंद व **चिरकालिक दुबलापन** परिलक्षित होता है।

संबंधित अवधारणा

- **भुखमरी (Hunger):** खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO) भोजन से वंचन या अल्पपोषण को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ व्यक्ति एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने तथा शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत कम कैलोरी ग्रहण करता है।
  - **भुखमरी का संबंध सामान्यतः** पर्याप्त कैलोरी के अभाव वाले संकट से है।
- **अल्पपोषण:** यह या तो मात्रा या गुणवत्ता के मामले में **भोजन के अपर्याप्त सेवन अथवा संक्रमण या अन्य रोगों के कारण** पोषक तत्वों के अकुशल उपयोग या इन कारकों के संयोजन का परिणाम होता है।
- **कुपोषण:** यह अधिक व्यापक रूप से **अल्पपोषण** (आहार के अभाव के कारण उत्पन्न होनी वाली समस्याएं) और **अतिपोषण** (असंतुलित आहार से उत्पन्न होने वाली समस्याएं) दोनों से संबंधित है।

5.2. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 {Global Nutrition Report (GNR) 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक पोषण रिपोर्ट- 2020 के अनुसार, भारत उन 88 देशों में शामिल है जो वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट- 2020 के बारे में

- यह एक बहु-हितधारक पहल है। यह **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA)** द्वारा निर्धारित वर्ष 2025 तक के वैश्विक पोषण लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में देशों की प्रगति का आकलन करती है।
- यह हितधारकों द्वारा कुपोषण के उन्मूलन के लिए की गई प्रतिबद्धताओं पर विचार करने हेतु उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करती है।

वैश्विक पोषण लक्ष्य

- वर्ष 2012 में, विश्व स्वास्थ्य सभा प्रस्ताव द्वारा मातृ, नवजात और बाल पोषण पर एक व्यापक कार्यान्वयन योजना अपनाने का समर्थन किया गया था।

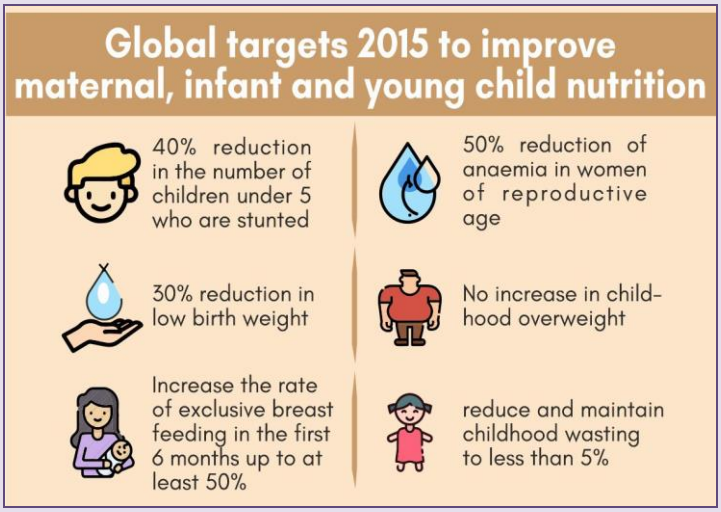

भारत के संदर्भ में विशिष्ट निष्कर्ष

- **वैश्विक पोषण लक्ष्य:** भारत सभी चार पोषण संकेतकों यथा **ठिगनापन, रक्ताल्पता, अतिवजन और अनन्य स्तनपान लक्ष्यों** को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा।
- **ठिगनापन और दुबलापन (Stunted and wasted):** भारत में **5 वर्ष से कम आयु के 37.9% बच्चे ठिगनेपन और 20.8% दुबलेपन से ग्रसित हैं,** जबकि इस संदर्भ में एशिया का औसत क्रमशः 22.7% और 9.4% है।

- ठिगनेपन से संबंधित असमानताएँ सुस्पष्ट हैं, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ठिगनेपन का प्रभाव 10.1% अधिक है।

- **अल्प वजन (Underweight):** वर्ष 2000 और 2016 के मध्य, अल्प वजन (आयु की तुलना में कम वजन) की दर लड़कों के संदर्भ में 66.0% से घटकर 58.1% और लड़कियों के संदर्भ में 54.2% से कम हो कर 50.1% तक हो गई है।
  - हालांकि, यह अभी भी एशियाई औसत की तुलना में उच्च है (जहां एशिया में लड़कों के संदर्भ में यह 35.6% और लड़कियों के संदर्भ में 31.8% है)।

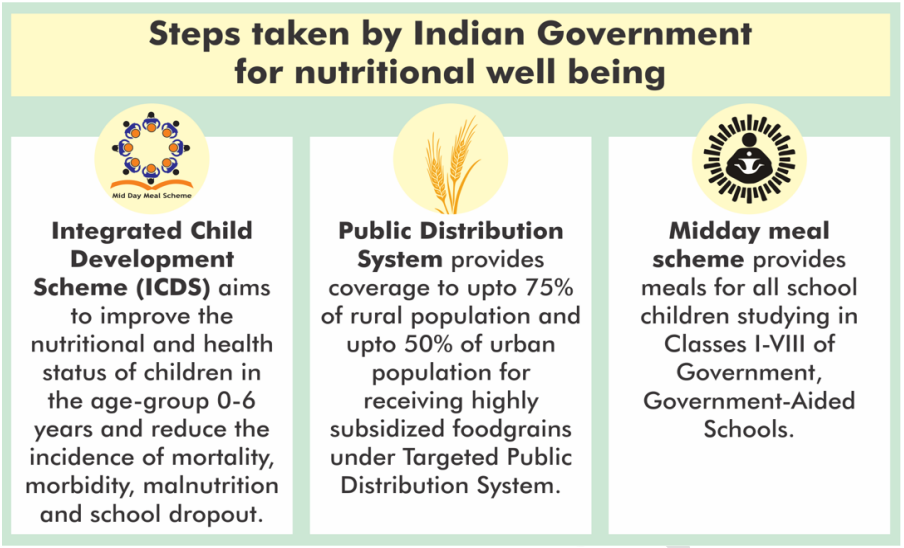

- **अतिवजन (Overweight):** वर्ष 2015 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन के राष्ट्रीय प्रसार का स्तर 2.4% रहा है। यह वर्ष 2006 में 1.9% था।
- **वयस्क पोषण:** भारत की वयस्क आबादी भी कुपोषण के बोझ से ग्रसित है।
  - जनन क्षमता युक्त आयु की 51.4% महिलाएं रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रसित हैं।
  - 9.1% वयस्क पुरुष तथा 8.3% महिलाएं मधुमेह से ग्रसित हैं।
  - 5.1% महिलाएं और 2.7% पुरुष मोटापे से ग्रसित हैं।

5.3. महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports)

वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2020 {Global Report on Food Crises (GRFC) 2020}	• इस रिपोर्ट का प्रकाशन **खाद्य संकटों के विरुद्ध वैश्विक नेटवर्क (Global Network against Food Crises)** द्वारा किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जो चरम भुखमरी के मूल कारणों का समाधान करने के लिए कार्य कर रहा है। • इसे वर्ष 2016 के विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन (World Humanitarian Summit) के दौरान **यूरोपीय संघ, FAO और WFP** द्वारा आरंभ किया गया था। • **एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (Integrated Food Security Phase Classification: IPC)** खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की गंभीरता और परिमाण को वर्गीकृत करने के लिए, पांच-चरण में मापने वाला, एक सामान्य वैश्विक पैमाना है।
विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट (State of Food Security and Nutrition in the World 2020)	• यह रिपोर्ट सयुंक्त रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development: IFAD), यूनिसेफ़ (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा **प्रतिवर्ष जारी** की जाती है।
खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 2020 (State of Food and Agriculture 2020)	• यह **FAO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट** है। यह कृषि में जल की कमी की व्यापकता और प्रभावित लोगों की संख्या पर नवीन अनुमान प्रस्तुत करती है।
अनुशंसित आहार-संबंधी भत्ता और पोषक तत्व संबंधी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट (Recommended Dietary Allowances	• यह रिपोर्ट **ICMR-राष्ट्रीय पोषण संस्थान** द्वारा तैयार की जाती है। • यह रिपोर्ट भारतीय वयस्क पुरुष और महिला के लिए 20-39 वर्ष आयु वर्ग के बजाय 19-39 वर्ष संदर्भित करती है।

© Vision IAS

and Nutrient Requirements report)	• इसमें शरीर का वजन पुरुषों के लिए 65 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 55 किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जबकि पहले यह क्रमशः 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम था। • इसके तहत अनुशंसित आहार भत्ते में अनाज-फलियां-दूध संघटन को 3:1:2.5 से 11:1:3 में संशोधित किया गया है। • यह पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 400 ग्राम प्रतिदिन फल और सब्जियों को आहार के रूप में ग्रहण करने सिफारिश करता है।

5.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज बर्डन इनिशिएटिव' {India State-Level Disease Burden Initiative (ISDBI)}	• यह (ISDBI) **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME)** और भारत भर के लगभग 100 संस्थानों के विशेषज्ञों और हितधारकों के मध्य सहयोग आधारित एक पहल है।
खाद्य गठबंधन (Food Coalition)	• **संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 जनित खाद्य संकट के निवारणार्थ खाद्य गठबंधन (Food Coalition) की शुरुआत की गई है** • यह **खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO) द्वारा संचालित** एक बहु-हितधारक व बहु-क्षेत्रीय गठबंधन है। ज्ञातव्य है कि FAO संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो भुखमरी के उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रसार को बढ़ावा देती है। • यह गठबंधन वस्तुतः **वैश्विक खाद्य पहुंच को सुनिश्चित करने तथा अधिक संधारणीय रीति के माध्यम से कृषि-खाद्य प्रणालियों की सुनम्यता और परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देने हेतु** कोविड-19 से निपटने के लिए आरंभ की गई अभिनव पहलों को समर्थन प्रदान करेगा।

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2020 (Human Development Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट **"द नेक्स्ट फ्रंटियर: ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसिन (The next frontier: Human Development and the Anthropocene)"** नामक शीर्षक से जारी की गई है।

मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report: HDR) के बारे में

- HDR को **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा जारी किया जाता है। इसे प्रथम बार वर्ष 1990 में जारी किया गया था।
- **HDR कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष पांच संयुक्त सूचकांक जारी किए जाते हैं, यथा-**
  - **मानव विकास सूचकांक (Human Development Index: HDI),**
  - **असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality-Adjusted Human Development Index: IHDI),**
  - **लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index: GDI),**
  - **लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index: GII), तथा**
  - **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)।**
- मानव विकास सूचकांक (HDI) को भी HDR के भाग के रूप में ही जारी किया जाता है। यह देशों के मध्य मानव विकास के आधारभूत आयामों के आधार पर उपलब्धि का मापन करता है। **HDI वस्तुतः निम्नलिखित तीन मापदंडों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है:**
  - जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy),
  - शिक्षा (Education), तथा
  - प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income: GNI)
- **HDI के विकास में निहित उद्देश्य यह दर्शाते हैं कि किसी देश के विकास का आकलन वहां निवासित लोगों और उनकी क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए,** न कि केवल आर्थिक संवृद्धि के आधार पर।
  - **HDI का उपयोग राष्ट्रीय नीति संबंधी विकल्पों को प्रश्नगत करने हेतु** भी किया जा सकता है, कि किस प्रकार **प्रति व्यक्ति GNI के समान स्तर वाले दो देश भिन्न-भिन्न मानव विकास परिणामों** पर पहुँच सकते हैं?

एंथ्रोपोसिन के बारे में

- **एंथ्रोपोसिन को एक नए भूगर्भिक युग के रूप में अभी तक औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।** हालांकि, कई भू-वैज्ञानिकों और पृथ्वी के तंत्र पर कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा **20वीं सदी** के मध्य में इसके आरंभ होने का मत व्यक्त किया गया है।
- **मनुष्य 12,000 वर्ष प्राचीन होलोसीन युग से निकलकर** एक नए युग (जिसका नामकरण "एंथ्रोपोसिन" के रूप में किया गया है) में प्रवेश करने वाला है।
  - **होलोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं।** इनमें मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और आधुनिक सभ्यता का विकास सम्मिलित हैं।

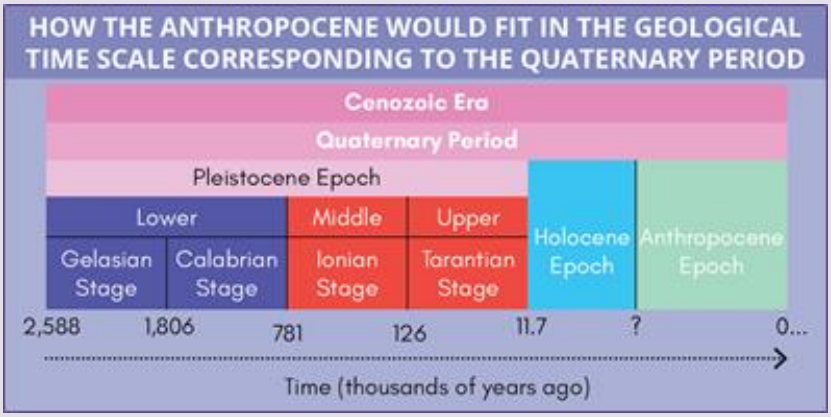

एंथ्रोपॉज़ (Anthropause)

- यह **कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने हेतु किए गए लॉकडाउन की अवधि और अन्य प्रजातियों पर इसके प्रभावों** का उल्लेख करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं द्वारा प्रतिपादित एक शब्द है।

© Vision IAS

भारत के संबंध में HDR 2020 के निष्कर्ष

- वर्ष 2020 में भारत ने **189 देशों में 131वां स्थान** प्राप्त किया है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष (2019) यह 129वें स्थान पर था। इस सूचकांक में शीर्ष पर **नॉर्वे** है, जिसके पश्चात **आयरलैंड** का स्थान है।
- **क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity: PPP)** के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2018 के 6,829 डॉलर से गिरकर वर्ष 2019 में 6,681 डॉलर हो गई थी।
- वर्ष 2019 में जन्म के समय **जीवन प्रत्याशा 69.7** वर्ष रही है।
- **बच्चों में ठिगनापन (stunting) (आयु के अनुपात में कम लम्बाई)** और **दुबलापन (wasting) (लंबाई के अनुपात में अल्प वजन)** जैसे कुपोषण से संबद्ध मुद्दे कंबोडिया, **भारत** तथा थाईलैंड में अधिक दृष्टिगोचर हुए हैं।

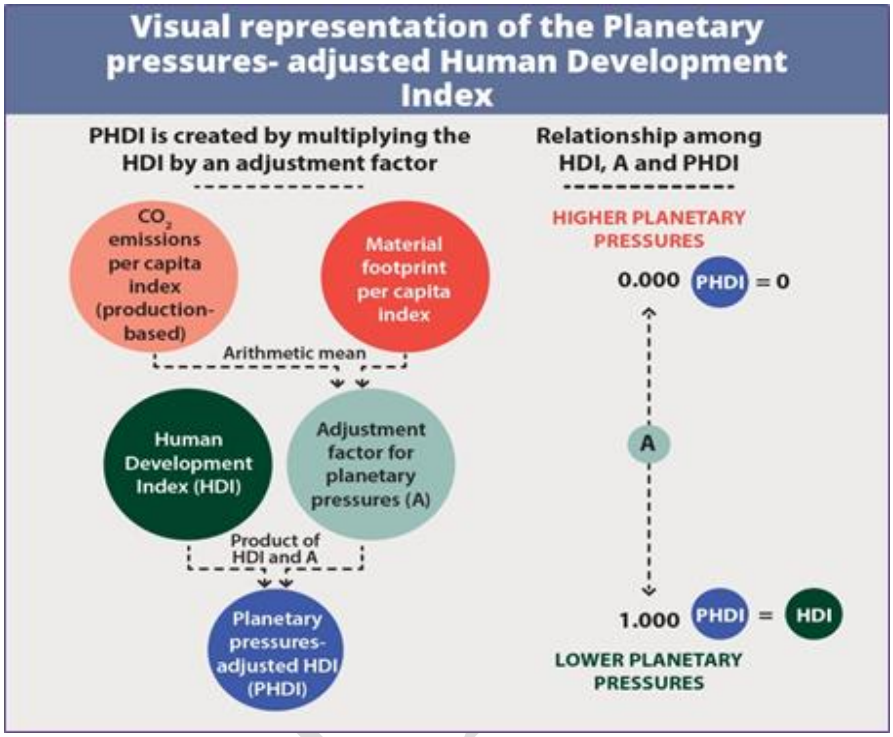

- वर्ष 2019 में **संस्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत पांचवें स्थान पर रहा है।**
- कोलंबिया से लेकर भारत तक उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि **महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और भूमि का स्वामित्वाधिकार प्रदान किए जाने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती** है साथ ही इससे लैंगिक हिंसा संबंधी जोखिमों को कम करने में भी सहायता प्राप्त होती है। साथ ही, भूमि स्वामित्व महिलाओं को सशक्त बना सकता है।
- हालांकि, यदि प्रत्येक राष्ट्र के विकास के कारण उत्पन्न होने वाले **"ग्रहीय दबाव" (planetary pressures) के आकलन हेतु सूचकांक को समायोजित किया जाए, तो भारत की रैंकिंग में आठ स्थानों का सुधार होगा।**
- HDR 2020 **"ग्रहीय दबाव" के लिए इंडेक्स के समायोजन को प्रस्तुत करता है। इसे ग्रहीय दबाव समायोजित HDI (Planetary-Pressures Adjusted HDI) कहा जाता है।**
  - PHDI किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और पदार्थ पदचिह्न (Material Footprint) स्तर प्रत्येक को प्रति व्यक्ति के आधार पर मानक HDI को समायोजित करता है।

6.2. मानव पूंजी सूचकांक 2020 (The Human Capital Index 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **'द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट: ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19' (मानव पूंजी सूचकांक 2020 अद्यतन: कोविड-19 के समय में मानव पूंजी)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

मानव पूंजी क्या है?

- मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, जो लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में अपनी क्षमता के उपयोग में सक्षम बनाते हैं।
- मानव पूंजी **अमूर्त** होती है तथा यह व्यक्ति में आंतरिक रूप से विकसित शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को संदर्भित करती है।
- **मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों में सम्मिलित हैं:** शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय, रोजगार के दौरान प्रशिक्षण, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम, बेहतर वेतन वाली नौकरियों की खोज में प्रवासन, श्रम बाजार और अन्य बाजारों से संबंधित सूचनाओं पर व्यय इत्यादि।

इस रिपोर्ट के बारे में

- ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट के तहत **174 देशों** (वर्ष 2018 के संस्करण की अपेक्षा 17 अतिरिक्त देश) के मार्च 2020 तक के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आकड़ों को सम्मिलित किया गया है। 174 देशों को शामिल करने का एक अर्थ यह भी है कि यह सूचकांक 98 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या को समाहित करता है।
- चूँकि, मार्च 2020 को वर्ष 2020 अपडेट की निर्दिष्ट तिथि के रूप निर्धारित किया गया है (जिसे कोविड-19 द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों के पहले निर्धारित किया गया था), इसलिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (HCI) 2020 **मानव पूंजी पर कोविड-19 के कुछ प्रभावों** को ट्रैक करने के लिए एक आधार रेखा के रूप में कार्य कर सकता है।

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (HCI) के बारे में

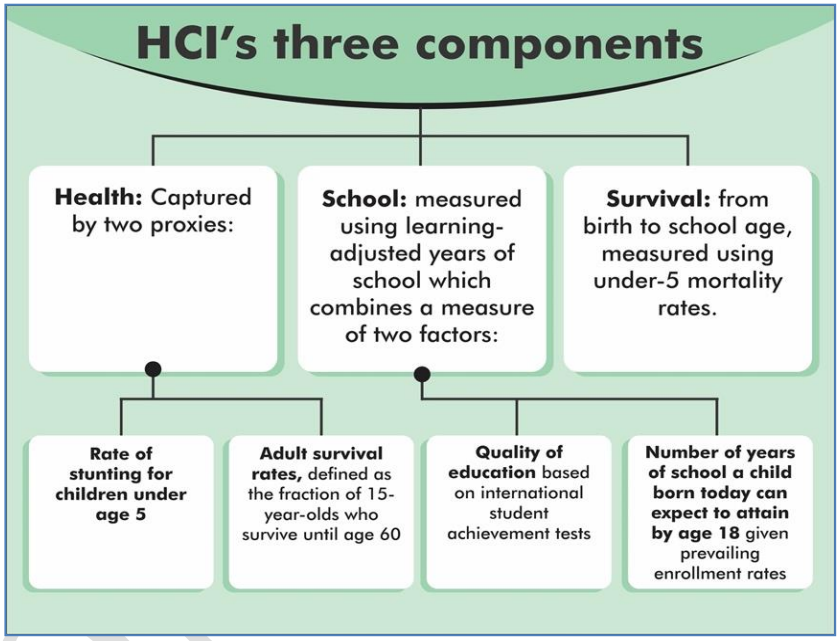

- HCI एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, जो देशों के मध्य मानव पूंजी के मुख्य घटकों का मापन करता है।
- इसे **वर्ष 2018 में विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी परियोजना (Human Capital Project: HCP)** के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था।
- यह सूचकांक **मानव पूंजी की उस मात्रा का एक माप** प्रदान करता है, जिसके तहत **वर्तमान में जन्म लेने वाले एक बालक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मानव संसाधन में रूपांतरित** होने की अपेक्षा की जाती है। यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम आगामी पीढ़ी के कामगारों की उत्पादकता को कैसे आकार प्रदान करेंगे।
- HCI का मान **शून्य से एक** के मध्य निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि HCI मूल्य 0.5 है, तो इसका अर्थ है कि वर्तमान में जन्म लेने वाला कोई बच्चा भविष्य में जितना उत्पादक हो सकता है, उसका केवल 50% ही उत्पादक होगा और वह भी तब, जब उसे पूर्ण स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक लाभ प्राप्त हो।

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक HCI:** वैश्विक स्तर पर, किसी बच्चे द्वारा भावी कामगार के रूप में अपनी संभावित उत्पादकता का औसतन **56 प्रतिशत** ही उपयोग कर पाने की संभावना रहती है।
- **क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय भिन्नता:** उदाहरणस्वरूप, निम्न-आय वाले देश में जन्मे बच्चों की 0.37 की HCI की तुलना में उच्च-आय वाले देश के बच्चों की HCI 0.7 रही है।
- **अधिगम निर्धनता (Learning Poverty) का मापन:** यह 10 वर्ष के बच्चों के उस अंश या भाग को प्रदर्शित करता है, जो एक सरल कहानी को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लगभग 53 प्रतिशत बच्चे लर्निंग निर्धनता से प्रभावित हैं।
- **लिंग के आधार पर HCI असमानता (Disaggregation of the HCI by gender):** अधिकांश देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में मानव पूंजी कुछ अधिक है।
- **महिलाओं की मानव पूंजी का अल्प-उपयोग:** विश्व-स्तर पर रोजगार दरों (उपयोग का आधारभूत मापक) में लिंग-अंतराल औसत रूप से 20 प्रतिशत बिंदु तक परिलक्षित हुआ है, परन्तु दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में यह 40 प्रतिशत बिंदु से भी अधिक रहा है।
- **विगत दशक में मानव पूंजी में हुई वृद्धि:** वर्ष 2010 और 2020 के मध्य HCI में औसत रूप से 2.6 बिंदुओं की वृद्धि हुई है।
- **भारत के लिए विशिष्ट निष्कर्ष:**
  - **174 देशों के मध्य** भारत का स्थान **116वां** रहा है, जबकि वर्ष 2018 में 157 देशों में 115वां स्थान रहा था।

© Vision IAS

- भारत का HCI स्कोर **वर्ष 2018 में 0.44 से बढ़कर वर्ष 2020 में 0.49** हो गया है।
- टोंगा के उपरांत भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां **बाल उत्तरजीविता दर (child survival rates) लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक** है।
- भारत में **5 वर्ष से कम आयु के ठिगनेपन (stunting) से ग्रस्त बच्चों में 13 प्रतिशत बिंदु की गिरावट** दर्ज की गई है, जो वर्ष 2010 के 48 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020 में 35 प्रतिशत पर आ गई है।

6.3. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक {Global Multidimensional Poverty Index (MPI)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग को एक नोडल एजेंसी के रूप में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) के निगरानी तंत्र का लाभ लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि सुधारों का संचालन किया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

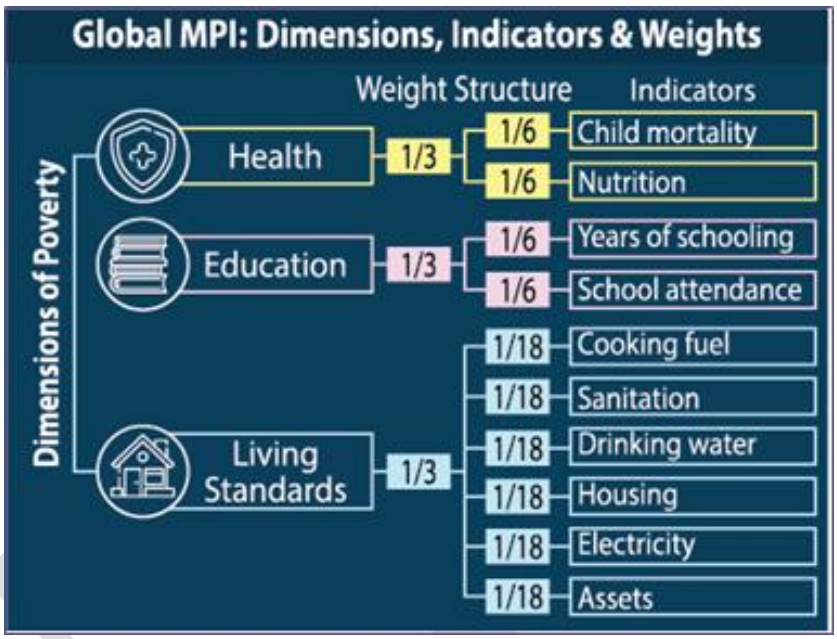

- सरकार ने **"सुधार और विकास के संचालन हेतु वैश्विक सूचकांकों (Global Indices to Drive Reforms and Growth: GIRG)"** पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से **29 चयनित वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी करने का** निर्णय लिया है।
  - वैश्विक MPI इसका एक भाग है। नीति आयोग को MPI की एक नोडल एजेंसी के रूप में वैश्विक MPI के निगरानी तंत्र का लाभ प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ताकि सुधारों का संचालन किया जा सके।
  - नीति आयोग ने इस संबंध में एक **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक समन्वय समिति (MPI Coordination Committee: MPICC)** का गठन भी किया है।
- **GIRG प्रक्रिया का उद्देश्य है**
  - **विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर** भारत के प्रदर्शन का मापन एवं निगरानी करने की आवश्यकता को पूर्ण करना।
  - आत्म-सुधार के उपकरणों के तौर पर इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम बनाना और **सरकारी योजनाओं के अंतिम-लक्ष्य तक कार्यान्वयन में सुधार करते हुए नीतियों में संशोधन करना आदि।**
- **वैश्विक MPI के बारे में**
  - यह 107 विकासशील देशों को शामिल करने वाला बहुआयामी निर्धनता का एक अंतर्राष्ट्रीय मापन है। यह **कौन निर्धन है** और **वह क्यों निर्धन हैं**, दोनों की पहचान करता है।
  - इसकी गणना, इसके अंतर्गत तीन समान रूप से भारित आयामों में **प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार को 10 मानकों पर आधारित** अंक प्रदान करके की जाती है। ये तीन आयाम हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (इंफ़ोग्राफ़िक देखें)।
    - यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey: NFHS) का उपयोग करता है।
  - वर्ष 2020 के वैश्विक MPI के अनुसार, **भारत 62वें स्थान पर है और वर्ष 2005/2006 से वर्ष 2015/ 2016 के मध्य इसकी बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है।**

6.4. भारत हेतु एस.डी.जी. इन्वेस्टर मैप (SDG Investor Map for India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **इन्वेस्ट इंडिया** के साथ मिलकर भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) इन्वेस्टर मैप तैयार किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मैप में निवेश के अवसर वाले क्षेत्रों (Investment Opportunity Areas: IOAs) एवं संभावना वाले क्षेत्रों (White Spaces: WAs) की पहचान की गई है। इसका **लक्ष्य SDG को प्राप्त करने में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता करना है।**
- **निम्नलिखित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में 18 IOAs एवं 8 WAs की पहचान की गई है (इन्फोग्रफिक्स देखें)।**
- इन क्षेत्रकों की पहचान **उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी का अंगीकरण एवं समावेश में वृद्धि** के आधार पर की गई है।
- **8 WAs के प्रति निवेशकों ने रुचि प्रदर्शित की है।** साथ ही, नीतिगत सहायता तथा निजी क्षेत्रक की भागीदारी से इनके 5 से 6 वर्षों में IOAs के रूप में **विकसित होने की संभावना है।**
- यह मैप, **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के हितधारकों को इन IOAs एवं WAs में प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निवेश करने में सहायता करेगा।** इससे भारत द्वारा निर्धारित सतत विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में योगदान प्राप्त होगा।
- **इस मैप में SDG वित्तपोषण में कमी को भी प्रकट किया गया है।** कोविड-19 वैश्विक महामारी के उद्भव के उपरांत, विकासशील देशों में SDG वित्तपोषण में अनुमानित 400 अरब डॉलर की कमी हुई है। इससे कोविड-पूर्व हो रही वार्षिक 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी में और बढ़ोत्तरी हुई है।
  - **भारत में भी SDGs के लिए वित्तपोषण की कमी में और वृद्धि हुई है तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennial Development Goals) के अंतर्गत हुई** विकास संबंधित प्रगति भी पिछड़ने के कगार पर है।

इन्वेस्ट इंडिया

- यह **भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी** है। यह भारत में निवेशकों के लिए प्रथम संपर्क केंद्र के तौर पर कार्य करती है।
- इसका गठन **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अधीन एक गैर-लाभकारी उपक्रम के** रूप में किया गया था।
- यह **कई प्रकार की सहायता जैसे बाजार में प्रवेश करने संबंधी रणनीति, उद्योग का गहन विश्लेषण** आदि प्रदान करती है।
- यह एक **संयुक्त उपक्रम** कंपनी है। इसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की 35% अंशधारिता, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की/FICCI) की 51% अंशधारिता और प्रत्येक राज्य सरकार की 0.5% अंशधारिता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

- यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह **देशों को निर्धरता उन्मूलन में** एवं असमानता तथा अपवर्जन को कम करने में **सहायता प्रदान करता है।**
- UNDP, **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (UNSDG) का एक प्रमुख भाग है।** UNSDG एक ऐसा नेटवर्क है, जो संयुक्त राष्ट्र की 40 निधियों, कार्यक्रमों, विशेषीकृत एजेंसियों एवं सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडे की प्रगति पर कार्य करने वाली अन्य एजेंसियों को एकजुट करता है।

© Vision IAS

- इस स्थिति में 'महामारी उपरांत परिस्थितियों को सुधारने' एवं अर्थव्यवस्था तथा समाज को अधिक **प्रत्यास्थी (resilient) एवं संधारणीय** बनाने के लिए SDGs में निवेश करना अत्यावश्यक है।

SDG वित्तपोषण के संबंध में

- SDG वित्तपोषण का अर्थ, **वैश्विक वित्तीय प्रवाह को एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत संधारणीय विकास** आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करना है।
- **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015** में सतत विकास के वित्तपोषण के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान की गई है। इस रूपरेखा में सभी वित्तीय प्रवाहों एवं नीतियों को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप रखा गया है।
- **SDGs को वैश्विक रूप से सफल बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है** एवं इसे SDGs को प्राप्त करने के लिए 2.64 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है।
  - भारत को वर्ष 2030 तक **SDG पर किए जा रहे व्यय को GDP के 6.2% तक अतिरिक्त बढ़ाने की आवश्यकता है।** इसलिए, यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है कि बजट आवंटन SDG प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
- **SDG के लिए वित्तपोषण की पहल:**
  - **SDG वित्तपोषण लैब:** यह आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) के नेतृत्व में एक पहल है। इसका उद्देश्य निर्णय-निर्माताओं एवं नीति-निर्माताओं को सूचित करना है कि एजेंडा 2030 प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंध कैसे करना है।
  - **SDG निधि,** एक बहुदानकर्ता (multi-donor) एवं बहुअभिकरण (multi-agency) विकास व्यवस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकीकृत एवं बहुआयामी संयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से संधारणीय विकास गतिविधियों में सहायता करने के लिए की गई थी।

SDGs एवं भारत की प्रतिबद्धता

- **भारत का SDG सूचकांक:** नीति आयोग ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित SDGs के संदर्भ में भारत एवं इसके राज्यों की प्रगति को मापने हेतु व्यापक प्रयास किया। यह प्रयास प्रथम **SDG भारत सूचकांक-बेसलाइन रिपोर्ट 2018** तैयार करने के रूप में परिणत हुआ है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** को अकुशल श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। (SDG 1 व SDG 8)
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** को सब्सिडीकृत खाद्यान्न प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है। (SDG 2)

6.5. भारत की दूसरी 'स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा' {India's Second Voluntary National Review (VNR)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (High-Level Political Forum: HLPF) पर भारत की दूसरी 'स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा' (Voluntary National Review: VNR) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- वर्ष 2020 की इंडिया VNR रिपोर्ट **'कार्रवाई का एक दशक: SDGs को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना (Decade of Action: Taking SDGs from Global to Local)'** नामक शीर्षक से जारी की गयी।
  - **VNR** के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा, **SDGs के स्थानीयकरण** हेतु भारत के दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत की जाती है।
  - **HLPF** संयुक्त राष्ट्र का एक मंच है तथा यह 17 SDGs की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करता है।
  - **नीति आयोग** को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर SDGs के अंगीकरण तथा प्रगति की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

SDG 1 (गरीबी उन्मूलन):	वर्ष 2005-06 और वर्ष 2015-16 के मध्य बहुआयामी निर्धनता लगभग आधा कम होकर 27.5% रह गई है।
SDG 3 (उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण) (Good Health and Well-being):	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय, वर्ष 2013-14 के 64.2% से कम होकर वर्ष 2016-17 में 58.7% हो गया।
SDG 4 (गुणवत्तायुक्त शिक्षा):	वर्ष 2018-19 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) क्रमशः 91.64% तथा 79.6% था।
SDG 5 (लैंगिक समानता):	वर्ष 2017 में, 77% महिलाओं की बैंक खातों तक पहुंच थी तथा लोक सभा में 14.4% सांसद महिलाएं हैं।
SDG 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना):	वर्ष 2019 में भारत अपने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में सुधार करते हुए 63वें स्थान पर पहुँच गया।
कार्यवाही के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान	सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करना; स्थानीय स्तर पर निगरानी को बढ़ावा देना; सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण करना और SDGs की प्राप्ति के लिए वित्त-पोषण पर बल देना।

6.6. महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Important Reports)

निर्धनता और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2020 (Poverty and shared prosperity 2020 Report)	• यह **विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली एक द्विवार्षिक रिपोर्ट** है। • **इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष हैं:** ○ कोविड-19 के कारण **20 वर्षों में पहली बार वैश्विक चरम निर्धनता (Global extreme poverty) के बढ़ने की संभावना है।** ○ यदि महामारी नहीं आई होती, तो वर्ष 2020 में निर्धनता दर में 7.9% की गिरावट हो गई होती। अब वर्ष 2020 में वैश्विक निर्धनता दर बढ़कर 9.2% होने का अनुमान है। ○ भारत के संबंध में, रिपोर्ट में अनुमान के लिए पर्याप्त डेटा के अभाव का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह भी वर्णित किया गया है कि **अत्यधिक निर्धनों की सर्वाधिक आबादी भारत में निवास करती है।**
सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट के वर्ष 2020 का संस्करण जारी (Sustainable Development Solutions Network released 2020 edition of Sustainable Development Report)	• यह वार्षिक रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) पर किए गए प्रदर्शन का अवलोकन** करती है तथा साथ ही **प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शेष रहे अंतराल** का भी मापन करती है। ○ वर्ष 2020 की रिपोर्ट **SDG और कोविड-19 पर केंद्रित** है तथा इसमें **SDG सूचकांक** भी शामिल है, जो वर्ष 2015 से प्रत्येक SDG की दिशा में हुई प्रगति को प्रस्तुत करता है। • **प्रमुख निष्कर्ष:** ○ **वैश्विक स्तर पर तीव्र प्रगति वाले SDGs:** SDG 1 (निर्धनता उन्मूलन), SDG 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) और SDG 11 (सतत शहर एवं समुदाय)। ○ **कोविड-19 द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित सतत विकास लक्ष्य:** SDG 1, SDG 2 (ज़ीरो हंगर), SDG 3 (उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण), SDG 8 (शिष्ट कार्य एवं आर्थिक संवृद्धि), तथा SDG 10 (असामनता न्यूनीकरण)।

© Vision IAS

	○ **कोविड-19 के कारण कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति:** SDG 12 (उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन), SDG 13 (जलवायु संबंधी कार्यवाही), SDG 14 (जलीय जीवन), तथा SDG 15 (भूमि पर जीवन)। ▪ हालांकि, ये लाभ **अल्पकालिक होंगे।** ○ **SDG सूचकांक:** ▪ भारत को पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से भी नीचे **117वां (166 देशों में से)** स्थान प्राप्त हुआ है। **स्वीडन** को इस रैंकिंग में **सर्वोच्च स्थान** प्राप्त हुआ है। ▪ भारत 17 SDGs में से 10 में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें शामिल हैं- SDG 2, SDG 3, SDG 5 (लिंग असमानता) आदि।
विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: प्रवृत्ति रिपोर्ट 2020 {World Employment and Social Outlook: Trends 2020 (WESO) report}	• हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** द्वारा WESO रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया। • यह रिपोर्ट रोजगार, बेरोजगारी, श्रम बल की भागीदारी और उत्पादकता के संदर्भ में वैश्विक और क्षेत्रीय प्रवृत्तियों का अवलोकन प्रदान करती है। साथ ही यह रोजगार की स्थिति, अनौपचारिक रोजगार और कार्यशील निर्धनता जैसी रोजगार की गुणवत्ता के आयामों पर भी अवलोकन प्रदान करती है। • यह **आय और सामाजिक विकास का परीक्षण करती है।** साथ ही, यह रिपोर्ट सामाजिक अशांति का एक संकेतक भी प्रदान करती है। • इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे बिलियन लोग अपनी अपेक्षा की तुलना में, भुगतान युक्त निम्नतर अवधि (घंटों) के लिए काम कर रहे हैं जो उनकी भुगतान युक्त काम तक पर्याप्त पहुंच के अभाव को दर्शाता है। • **ILO के अन्य प्रमुख प्रकाशन हैं:** ○ **वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (Global Wage Report):** यह नवीनतम वेतन या मजदूरी संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करती है और वेतन संबंधी नीतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ○ **विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट (World Social Protection Report):** यह इस बात पर व्यापक नज़र रखती है कि देश सामाजिक सुरक्षा में कैसे निवेश कर रहे हैं, वे इसे कैसे वित्तपोषित कर रहे हैं, और इसके प्रति उनके दृष्टिकोण कितने प्रभावी हैं।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) की वैश्विक प्रवृत्ति रिपोर्ट {United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Global Trends report}	• UNHCR शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों के **अधिकारों तथा सुरक्षित भविष्य** के लिए कार्य करता है। ○ इसे **द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था,** ताकि उन लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घरों को खो दिया था या जो अपने मूल स्थान को छोड़कर चले गए थे। • **इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:** ○ विगत एक दशक में कम से कम **100 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए।** ▪ इन विस्थापितों में **40% बच्चे** शामिल हैं। ○ वर्ष 2010 की तुलना में **जबरन विस्थापन (forced displacement) लगभग दोगुना हो गया है** (वर्ष 2010 के 41 मिलियन की तुलना में वर्ष 2019 में 79.5 मिलियन)। ○ **विश्व के 80% विस्थापित लोग** जल की अत्यधिक कमी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से प्रभावित देशों या क्षेत्रों से संबंधित हैं। ○ **निम्नलिखित पांच देश दो-तिहाई लोगों के सीमा पार विस्थापन के लिए उत्तरदायी**

	हैं: सीरिया, वेनेजुएला, अफ़ग़ानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार। ○ लगभग 85% शरणार्थी विकासशील देशों (सामान्यत: शरणार्थियों के मूल देश के पड़ोसी राष्ट्र) में रह रहे हैं। ○ **वर्ष 2019 के अंत तक भारत में 1,95,105 शरणार्थी अधिवासित थे।**
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आत्महत्या और दुर्घटनावश हुई मौतों पर वार्षिक रिपोर्ट (NCRB annual report on suicides and accidental deaths)	**प्रमुख निष्कर्ष:** • **आत्महत्या और दुर्घटनावश हुई मौतों** के मामलों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में **वृद्धि दर्ज** की गई है। • **शहरों में आत्महत्या की दर (13.9%)** अखिल भारतीय औसत (10.4%) की तुलना में अधिक है। ○ **आत्महत्या के प्रमुख कारण** पारिवारिक समस्याएँ, विवाह संबंधी समस्याएँ और चिरकालिक रोग हैं। • **कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की दर** कुल आत्महत्याओं का 7.4% है। दैनिक वेतनभोगियों के मध्य आत्महत्या की घटनाएं सर्वाधिक रही हैं। • दुर्घटना में मृत्यु के **प्रमुख कारण** यातायात दुर्घटनाएँ (43.9%), आकस्मिक मृत्यु (11.5%) और नदी, ताल आदि में डूबना (7.9%) रहे हैं।
विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2020 (State of World Population Report 2020)	• संयुक्त राष्ट्र की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी **यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (UNFPA)** द्वारा **विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2020 (STATE OF WORLD POPULATION REPORT 2020)** नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- "मेरी इच्छा के विरुद्ध: महिलाओं और लड़कियों की समानता को कम करने वाली और क्षति पहुंचाने वाली प्रथाओं को चुनौती देना" (Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality)। • यह रिपोर्ट **लैंगिक पूर्वाग्रह और बालिकाओं एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा** पर केंद्रित है। • **प्रमुख निष्कर्ष:** ○ पुत्र को प्राथमिकता देने एवं **जेंडर आधारित लिंग चयन** के कारण विश्व स्तर पर 142 मिलियन से अधिक बालिकाओं का जन्म ही नहीं हो पाया। ○ **भारत में,** वर्ष 2013 से 2017 के मध्य 46 मिलियन बालिकाएं जन्म ही नहीं ले पाईं। **इससे यह प्रतीत होता है कि लिंग चयन पूर्वाग्रह आदि के कारण वे जन्म लेने से ही वंचित हो गईं।** ○ **मिसिंग फीमेल (Missing female):** यह पूर्व में किए गए प्रसवोत्तर और प्रसव पूर्व लिंग चयन के संचयी प्रभाव के कारण किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान जनसंख्या में अनुपलब्ध (missing) महिलाओं को संदर्भित करता है।
वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 (World Migration Report 2020)	• यह रिपोर्ट हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organisation for Migration: IOM)** द्वारा प्रकाशित की गई थी। • IOM का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन है। **इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:** • इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की कुल आबादी का लगभग 3.5 प्रतिशत भाग प्रवासित हो चुका है। इसमें वर्ष 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। • वर्ष 2019 में प्रवासियों की कुल अनुमानित संख्या 270 मिलियन थी। • अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से 52% पुरुष थे और 48 प्रतिशत महिलाएं थीं।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

	• कुल अनुमानित 270 मिलियन प्रवासियों में से 51 मिलियन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। • दो-तिहाई (लगभग 164 मिलियन लोग) प्रवासियों ने रोजगार की तलाश में प्रवास किया। • लगभग आधे (141 मिलियन) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रह रहे हैं। • विश्व भर में 17.5 मिलियन प्रवासी भारतीय मूल के हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उद्गम के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद मैक्सिको (11.8 मिलियन) और चीन (10.7 मिलियन) का स्थान आता है।

6.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty)	• हाल ही में, विश्व बैंक ने **"रियलाइजिंग द फ़्यूचर ऑफ़ लर्निंग: फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरीवन, एवरी व्हेयर"** (Realizing the Future of Learning: From learning poverty to learning for everyone, everywhere) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। • लर्निंग पॉवर्टी या अधिगम निर्धनता को **10 वर्ष के ऐसे बच्चों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक साधारण कहानी को न तो पढ़ सकते हैं और न ही समझ सकते हैं।** • विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **10 वर्षीय बच्चों के आधे से अधिक (53%)** या तो **पढ़कर समझने में असमर्थ** हैं या **पूर्णतया स्कूली शिक्षण से बाहर** हैं। ○ विश्व बैंक ने बुनियादी शिक्षा में सुधार संबंधी प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके तहत **वर्ष 2030 तक लर्निंग पॉवर्टी की दर को कम से कम आधा करना है।**
नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (National Initiative For Developing And Harnessing Innovations: NIDHI)	• **NIDHI सफल स्टार्ट-अप्स में विचारों और नवाचारों (ज्ञान-आधारित तथा प्रौद्योगिकी संचालित) के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है।** • NIDHI के तहत विभिन्न घटक शामिल हैं जो स्टार्ट-अप के निर्माण करने के दौरान विचार से लेकर बाजार तक प्रत्येक चरण का समर्थन करते हैं। • इसके उद्देश्यों में शामिल हैं: ○ छात्रों के नवाचारों का व्यवसायीकरण के चरण तक पहुंचने के लिए नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र (IEDC) / न्यू-जेन IEDC कार्यक्रम के तहत बढ़ावा देना। ○ **छात्र स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।**
राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme: NSS)	• NSS **केन्द्रीय क्षेत्रक की एक योजना (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत) है**, जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से **युवा छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था।** • **NSS के स्वयंसेवक सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर कार्य करते हैं,** जो नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होते रहते हैं।
कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम (Kumbhar	• कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम वस्तुतः देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कुम्हार समुदाय को सशक्त

Sashaktikaran Program)	बनाने के लिए **KVIC की एक पहल** है। • यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार के कुम्हारों को शामिल करता है। • **यह योजना कुम्हार समुदाय को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है:** ○ मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन या उत्पादों के लिए प्रशिक्षण। ○ मृद्भांड अर्थात् बर्तन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवीनतम उपकरणों की उपलब्धता। ○ कुम्हार समुदाय के उत्पादों को KVIC की प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार से जोड़ना।
वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index)	• हाल ही में, नए सामाजिक गतिशीलता सूचकांक **(Global Social Mobility Index)** के तहत 82 देशों में से भारत को अत्यधिक नीचे अर्थात् 76वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। • यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा संकलित किया गया है। • यह 82 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है। यह नीति-निर्माताओं को सामाजिक गतिशीलता में सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही इसे अर्थव्यवस्था में समान रूप से साझा अवसरों (संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास के निरपेक्ष) को बढ़ावा देने के लिए भी डिजाइन किया गया है। • सामाजिक गतिशीलता को अपने माता-पिता के संबंध में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों में "ऊर्ध्वमुखी" या "अधोमुखी" गतिशीलता के रूप में समझा जा सकता है। निरपेक्ष रूप से कहें तो यह बच्चे की अपने माता-पिता की तुलना में बेहतर जीवन का अनुभव करने की क्षमता है।
शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (Academic Freedom Index)	• यह सूचकांक विश्वविद्यालयों के विद्वानों (स्कॉलर्स) को प्राप्त स्वतंत्रता की मात्रा का आंकलन करता है। इसमें स्कॉलर्स की सुरक्षा या अध्ययन के प्रभावित होने के भय से रहित और संस्थानों के मामलों पर किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना, तथ्यात्मक डेटा को जुटाते हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर बहस करने की स्वतंत्रता का आंकलन किया जाता है। • यह **फ्रेडरिक-अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटेट एर्लांगेन-नर्नबर्ग (FAU)** और **वी-डेम इंस्टीट्यूट, द स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क** तथा **ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट** के शोधकर्ताओं के मध्य एक साझा प्रयास का परिणाम है। • इस सूचकांक के तहत **0 (सबसे खराब)** और **1 (सबसे अच्छा)** के मध्य देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। • भारत को अंतर्राष्ट्रीय **अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक** में 0.352 स्कोर प्राप्त हुआ है जो काफी कम स्कोर है। इस मामले में भारत सऊदी अरब (0.278) और लीबिया (0.238) के समकक्ष है।
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 (Human Freedom Index 2020	• मानव स्वतंत्रता सूचकांक विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को एक व्यापक मापक के आधार पर प्रस्तुत करता है जिसमें व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता शामिल हैं। • यह **अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट** द्वारा सह-प्रकाशित किया गया था।
ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स **{Global Smart City Index (SCI)}**	• यह सूचकांक **इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (Institute for Management Development)** द्वारा **सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन (Singapore University for Technology and Design)** के सहयोग से जारी किया गया है।

	• SCI, 2020 में **सिंगापुर सर्वोच्च स्थान** पर है, उसके उपरांत **हेलसिंकी** और **ज्यूरिख** क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। • भारत में **हैदराबाद** को 85वां और **नई दिल्ली** को 86वां स्थान प्रदान किया गया है।
शहरी जीवन की गुणवत्ता सूचकांक {Urban Quality of Life (UQoL) Index}	• IIT-बॉम्बे ने हाल ही में अपनी शहरी जीवन की गुणवत्ता (UQoL) सूचकांक को जारी किया है। इसके तहत इस संस्थान ने कुछ सामान्य श्रेणियों के आधार पर संपूर्ण भारत में विभिन्न शहरों में जीवन की गुणवत्ता की तुलना की और उन्हें तदनुसार रैंक प्रदान की है। • इसके तहत जल, ऊर्जा, विद्युत, साक्षरता दर, लिंग समानता, अन्य के मध्य रोजगार दर सहित तुलना की विभिन्न श्रेणियां हैं।
पार्टनरशिप इन पापुलेशन एंड डेवलपमेंट {Partners in Population and Development (PPD)}	• हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने PPD द्वारा आयोजित **अंतर मंत्रालयी सम्मेलन** को संबोधित किया। • PPD 27 विकासशील देशों (भारत सहित) का एक अंतर-सरकारी गठबंधन है। यह विशेष रूप से **प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास** के क्षेत्र में **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-to-South collaboration)** के विस्तार एवं सुधार हेतु गठित किया गया है। ○ इसे वर्ष 1994 में काहिरा में आयोजित **जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Population and Development)** के दौरान सृजित किया गया था।
सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review: UPR) प्रक्रिया	• **UPR प्रक्रिया के तीसरे दौर** के भाग के रूप में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा - सार्वभौमिक बुनियादी आय, बाल अधिकार आदि से संबंधित कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। • UPR के तहत **संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा** की जाती है। ○ UPR प्रक्रिया का संचालन **मानव अधिकार परिषद (Human Rights Council: HRC)** के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। ○ HRC वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो सभी मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। • UPR का उद्देश्य **सभी देशों में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार** करना और किसी भी स्थान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को संबोधित करना है।
सुरक्षा स्टोर पहल (Suraksha Store Initiative)	• इसका शुभारंभ उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत) द्वारा किया गया है। • यह किराना स्टोर पर उपभोक्ताओं और दुकान मालिकों के लिए एक सुरक्षित एवं सुनिश्चित परिवेश के सृजन हेतु प्रारंभ एक **सार्वजनिक निजी पहल** है। • इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में **किराना स्टोर मालिकों को उनके व्यवसायों के संचालन के दौरान** अनुपालन संबंधित आवश्यक **कोविड-19 सुरक्षा दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल** के बारे जानकारी प्रदान करना है। • ये प्रोटोकॉल भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए थे।
"मेरी सहेली" पहल ("Meri Saheli" initiative)	• **भारतीय रेलवे** ने सभी रेलवे जोनों में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई के लिए "मेरी सहेली" नामक पहल को आरंभ किया है। • इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली **महिला यात्रियों को** आरंभिक स्टेशन से गंतव्य

	स्टेशन तक की उनकी पूरी यात्रा के दौरान **सुरक्षा प्रदान करना है।** • ऐसी अन्य पहलों में शामिल हैं: ○ **उज्जवला योजना** का उद्देश्य तस्करी को रोकना और पीड़ित का बचाव, पुनर्वास, उसे समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करना एवं उनको उनके मूल देश में वापस भेजना है। ○ **स्वाधार गृह योजना** का उद्देश्य किसी सामाजिक एवं आर्थिक सहायता से वंचित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे- आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा संबंधी उपचार और देखभाल की पूर्ति करना है। ○ **सखी वन स्टॉप सेंटरों** का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर, परिवार, समुदाय के भीतर और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है।
वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 (Global Teacher Prize 2020)	• महाराष्ट्र के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने 1 मिलियन डॉलर के वार्षिक **वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020** को प्राप्त किया है। • उन्हें **लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा** देने और भारत में एक **क्विक रेस्पोंस (Quick-Response: QR) कूटबद्ध पाठ्यपुस्तकों के प्रचलन को गति प्रदान करने** के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। • इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2014 में **वर्के फ़ाउंडेशन (वैश्विक धर्मार्थ फ़ाउंडेशन)** द्वारा एक असाधारण शिक्षक को मान्यता देने के लिए की गई थी, जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।
लीलावती पुरस्कार 2020 (Lilavati awards 2020)	• यह पुरस्कार **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)** की एक पहल है। इसका उद्देश्य AICTE से संबद्ध संस्थानों के महिला उत्थान से संबंधित प्रयासों को मान्यता देना है। • इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय मूल्यों का उपयोग करके स्वच्छता (sanitation), सफाई (hygiene), स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता सृजित करना है। • इस पुरस्कार का नाम 12वीं शताब्दी की **पुस्तक "लीलावती"** के नाम पर रखा गया है। यह पुस्तक **गणितज्ञ भास्कर II** द्वारा लिखी गई थी।
नोबेल शांति पुरस्कार, 2020 (Nobel Peace Prize, 2020)	• वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के **विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP)** को दिया गया है। WFP को यह पुरस्कार: ○ भुखमरी से निपटने के लिए इसके प्रयासों के लिए, ○ संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति हेतु योगदान के लिए, तथा ○ युद्ध और संघर्ष में भुखमरी को हथियार के रूप में उपयोग को रोकने हेतु इसके प्रयासों के लिए दिया गया है। • **WFP के बारे में:** ○ इसे वर्ष 1960 में आयोजित खाद्य और कृषि संगठन सम्मेलन के बाद वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। यह भुखमरी का समाधान करने वाला और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। ○ इसका मुख्यालय **रोम,** इटली में है। ○ इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करना और खाद्य प्रदान करने या नकद-आधारित अंतरण प्रदान करके खाद्य सुरक्षा को लचीला बनाना है। ○ यह पूर्ण रूप से सरकारों, निगमों और व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक दान से संचालित होता

© Vision IAS

	है और यह UNDG (संयुक्त राष्ट्र विकास समूह) का सदस्य है। ○ SDGs के एक लक्ष्य - वैश्विक भुखमरी का उन्मूलन - को प्राप्त करने में WFP, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक साधन है। ○ WFP वर्ष 1963 से भारत में कार्यरत है और हाल ही में इसने भारत के लिए रणनीति योजना (2019-23) को प्रस्तुत किया है। • हाल ही में, केंद्र ने WPF को उसके अन्नपूर्ति कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत एक स्वचालित अनाज वितरक मशीन के द्वारा अनाज का वितरण किया जाएगा, जैसे- चावल के लिए ए.टी.एम.। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करना है।

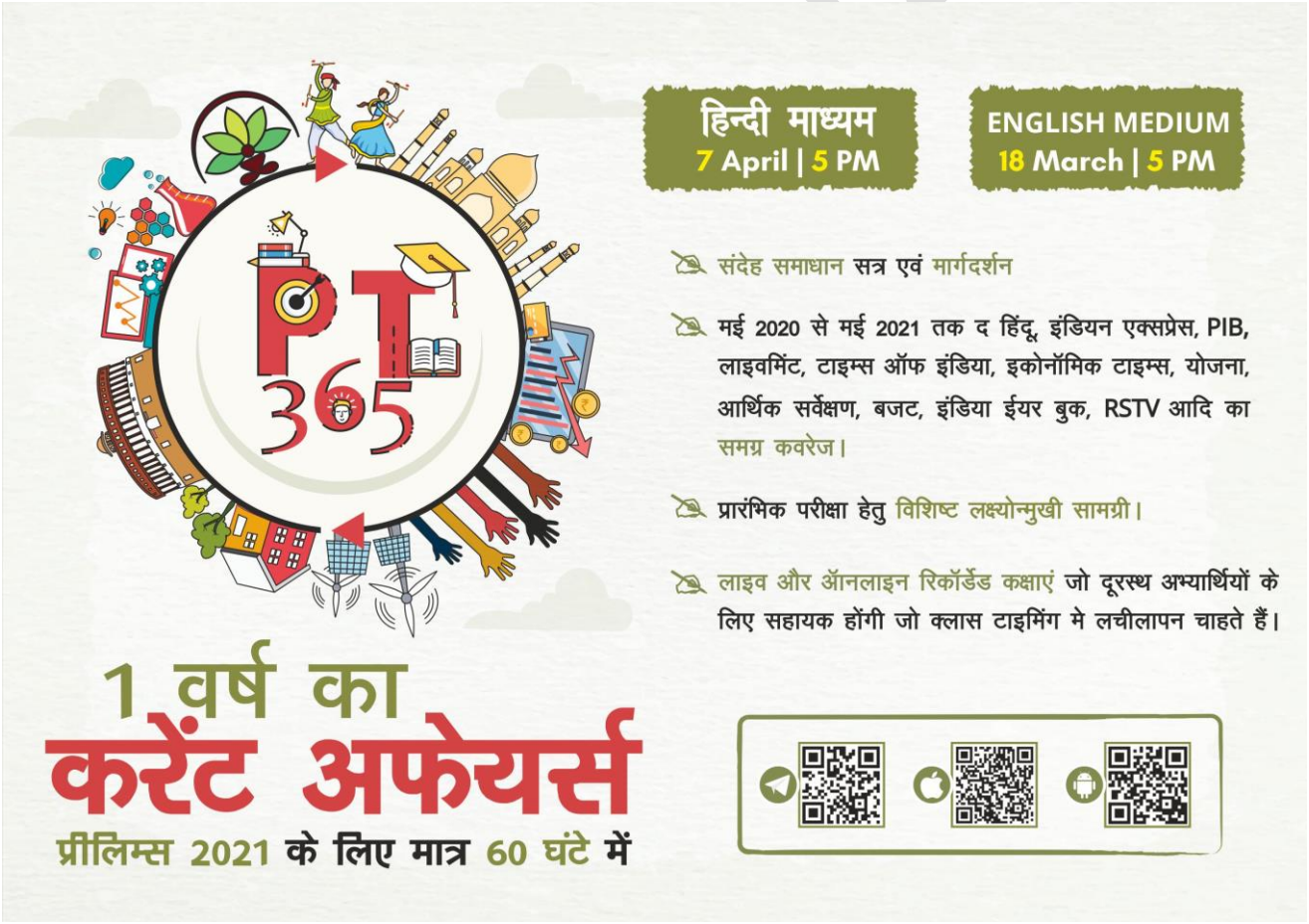

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations to all successful candidates

7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS

9 IN TOP 10 SELECTION IN CSE 2018

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI